



रोजना

जुलाई 2022

विकास को समर्पित मासिक

₹ 22

भारत में जनजातियाँ

अनुसूचित जनजातियों की कल्याण-नीति
हर्ष चौहान

जनजातियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ
डॉ एच सुदर्शन, डॉ तान्या शेषाद्री

परम्पराएँ और सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य
अमलान बिस्वास

गुजरात की जनजातियाँ
दिलीप राणा

छत्तीसगढ़ : आजादी के गीत
डॉ सुशील त्रिवेदी





Drishti IAS

UGC/NTA-NET/JRF

हिंदी साहित्य

डॉ. विकास दिव्यकीर्ति के मार्गदर्शन में तैयार कोर्स

(लाइव ऑनलाइन) ►

एडमिशन
प्रारंभ

फीस : ₹25,000/- ₹20,000/-

इतिहास

मोड : ऑनलाइन

फीस : ₹15,000/- ₹10,000/-

भूगोल

मोड : ऑनलाइन

फीस : ₹15,000/- ₹10,000/-

NET/JRF के साथ-साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिये भी उपयोगी कोर्स।

डाउनलोड करें दृष्टि लर्निंग ऐप / 9311406441

वैकल्पिक विषय

ऑफलाइन बैच

दिल्ली केंद्र

हिंदी साहित्य (वीडियो क्लासेज)

राजनीति विज्ञान

इतिहास

सभी कोर्सेज ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध | 8750187501

प्रयागराज केंद्र

हिंदी साहित्य (वीडियो क्लासेज)

भूगोल

इतिहास

सभी कोर्सेज ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध | 9151006915

एडमिशन प्रारंभ

IAS
मेन्स टेस्ट सीरीज़
2022

सामान्य अध्ययन

मोड : ऑनलाइन/ऑफलाइन ►

अंग्रेज़ी एवं हिंदी माध्यम

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406441


नंबर पर कॉल या वाट्सएप करें

विज़िट करें
www.drishtiIAS.com

अपने फोन पर इंस्टॉल करें
Drishti Learning App



scan me



वरिष्ठ संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल
संपादक : डॉ ममता रानी

संपादकीय कार्यालय

648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर,
 लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003

संयुक्त निदेशक (उत्पादन) : डीकेसी हृदयनाथ

योजना का लक्ष्य देश के आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का सरकारी नीतियों के व्यापक संदर्भ में गहराई से विश्लेषण कर इन पर विमर्श के लिए एक जीवंत मंच उपलब्ध कराना है।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने और व्यक्तिगत हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो।

योजना में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए योजना उत्तरदायी नहीं हैं।

योजना में प्रकाशित आलेखों में प्रयुक्त मानचित्र व प्रतीक आधिकारिक नहीं हैं, बल्कि सांकेतिक हैं। ये मानचित्र या प्रतीक किसी भी देश का आधिकारिक प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

योजना लेखकों द्वारा आलेखों के साथ अपने विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र कर उपलब्ध कराए गए आंकड़ों/तालिकाओं/इन्फोग्राफिक्स के सम्बन्ध में उत्तरदायी नहीं है। योजना किसी भी लेख में केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किसी भी ब्रांड या निजी संस्थाओं का समर्थन या प्रचार नहीं करती है।

योजना घर मंगाने, शुल्क में छूट के साथ दरों व प्लान की विस्तृत जानकारी के लिए पृष्ठ-58 पर देखें।

योजना की सदस्यता का शुल्क जमा करने के बाद पत्रिका प्राप्त होने में कम से कम 8 सप्ताह का समय लगता है। इस अवधि के समाप्त होने के बाद ही योजना प्राप्त न होने की शिकायत करें।

योजना न मिलने की शिकायत या पुराने अंक मंगाने के लिए नीचे दिए गए ई-मेल पर लिखें -

pjucir@gmail.com

या संपर्क करें-

दूरभाष : 011-24367453

(सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर
 प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक)

योजना की सदस्यता की जानकारी लेने तथा विज्ञापन छपवाने के लिए संपर्क करें-

अभिषेक चतुर्वेदी, संपादक, पत्रिका एकांश
 प्रकाशन विभाग, कमरा सं. 779, सातवां तला,
 सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोदी रोड,
 नयी दिल्ली-110003

इस अंक में

अनुसूचित जनजातियों की कल्याण-नीति
 हर्ष चौहान 7



जनजातियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ
 डॉ एच सुदर्शन, डॉ तान्या शेषाद्री 11
 परम्पराएँ और सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य
 अमलान बिस्वास 15

गुजरात की जनजातियाँ
 दिलीप राणा 19

माँ—अनमोल स्नेह 24

छतीसगढ़ : आज़ादी के गीत
 डॉ सुशील त्रिवेदी 31

गोंड समुदाय की समृद्ध विरासत
 डॉ शामराव कोरेति 35

झारखण्ड की जनजातियाँ
 विवेक वैधव 39

जनजातीय बहुल इलाकों के
 खिलाड़ियों का दबदबा
 शिवेन्द्र चतुर्वेदी 47



देशज संस्कृतियाँ
 डॉ मधुरा दत्ता 53

नियमित स्तंभ

क्या आप जानते हैं?

अनुसूचित जनजातियों की

कल्याण योजनाएँ 44

पुस्तक चर्चा 59



आगामी अंक : साहित्य और आज़ादी



प्रकाशन विभाग के देश भर में स्थित विक्रय केन्द्रों की सूची के लिए देखें पृ.सं. 43

हिंदी, असमिया, बांग्ला, अंग्रेज़ी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु, मराठी, ओडिया,



आपकी राय

yojanahindi-dpd@gov.in



सामाजिक सुरक्षा के विविध आयाम

‘योजना’ पत्रिका का मई 2022 का अंक ज्ञानप्रद था। इस अंक में सामाजिक सुरक्षा के विभिन्न पक्षों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई थी। सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई थी एवं कुछ ज़रूरी आंकड़े भी प्रस्तुत किए गए थे।

वर्तमान में समाज किसी भी एक पक्ष को सुरक्षित करके सुरक्षित नहीं हो सकता। इसलिए सामाजिक सुरक्षा में विविधता लाना समय की माँग हो गई है। जहाँ खेल एवं खिलाड़ियों की सुरक्षा समाज को समृद्ध भी बनाती है एवं देश का मान भी बढ़ाती है वहाँ दिव्यांग जनों की सुरक्षा उन्हें देश की तरक्की का साझीदार बनाती है।

समग्र स्वास्थ्य की देखभाल सभी वर्गों के हित में है। ये पारम्परिक भारतीय चिकित्सा को भी एक बड़ा मंच देती है और प्राकृतिक जीवन शैली को भी प्रोत्साहित करती है। बाल संरक्षण बच्चों के बचपन की रक्षा करती है। कृषकों की सुरक्षा ग्रामीण इलाकों की सामाजिक सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा बड़ी आबादी को इसके दायरे में ले आती है।

इस प्रस्तुति के लिए योजना की टीम को बधाई। आगामी अंक का इंतजार रहेगा।

— नितेश कुमार

गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश

नई प्रौद्योगिकियों से बदलाव

नई प्रौद्योगिकियों को समर्पित ‘योजना’ का जून अंक अत्यंत सूचनाप्रद व सारांभित लगा। आज के उपभोक्तावादी युग में जीवन बहुत सक्रियता से भरा है। नित नये प्रयोगों और आधुनिक तकनीकों से दुनिया में प्रत्येक क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। इसी संदर्भ में

‘आज की चर्चित प्रौद्योगिकियाँ’ लेख अत्यन्त सूचनाप्रद है। लेखक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कम्प्यूटिंग, क्लाउड कम्प्यूटिंग और ब्लॉकचेन के साथ-साथ एनएफटी व मेटावर्स जैसी चर्चित प्रौद्योगिकियों से आमजन को बहुत सरल तरीके से परिचित कराने का प्रयास किया है। सामान्य समझ इनके प्रयोग को सहज ही आत्मसात करने को प्रेरित करेगी।

— सुरेन्द्र कुमार
दिल्ली

वर्तमान तकनीक का इस्तेमाल

‘योजना’ का जून 2022 के अंक का ‘रोगों के इलाज में अचूक तकनीकी’ लेख काफी ज्ञानवर्धक लगा। इस लेख में दी गई चिकित्सा से संबंधित मौजूदा तकनीक की विभिन्न पद्धतियों का विवरण लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और इस क्षेत्र में भविष्य की तकनीक के बारे में व्यापक परिदृश्य मुहैया कराती हैं। साथ ही नाभिकीय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ऑपरेशन थिएटरों में इस्तेमाल, 3D इमेज लर्निंग, एंडोवैस्क्यूलर सर्जरी जैसे नवोन्नेषी और नए विकल्पों से परिचय प्राप्त हुआ।

अभिप्राय यह है कि नई तकनीकों का लक्ष्य तभी प्रभावकारी होगा, जब स्वास्थ्य सेवाओं को सघन बनाया जाए। यह सेवाएँ स्वस्थ लोगों वाला राष्ट्र विकास के अपने

लक्ष्यों में योगदान करने तथा उन्हें प्राप्त करने में और भारत को अधिक बलशाली एवं जीवंत बनाने में तभी समर्थ होंगी।

— श्वितज्ज
नई दिल्ली

खेलों के साथ आर्थिक सुरक्षा

‘योजना’ के मई अंक में प्रकाशित खेलों के साथ आर्थिक सुरक्षा लेख काफी जानकारी से परिपूर्ण रहा। खेलों के प्रति लोगों का रुझान काफी दिलचस्प रहा है। पहले कहा जाता था- खेलोंगे कूदोंगे बनोंगे खराब, पढ़ोंगे लिखोंगे बनोंगे नवाब। लेकिन आज का नया मंत्र है- पढ़ोंगे लिखोंगे बनोंगे नवाब, खेलोंगे कूदोंगे बनोंगे लाजवाब।


आज के दौर में हमारे जीवन में खेलों का महत्व अब काफी बड़ा हो गया है। खेल मनोरंजन ही नहीं, शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक विकास में भी मज़बूती प्रदान करता है। यह धैर्य और अनुशासन सिखाता है। अब तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केन्द्रीय सरकार भी कई प्रकार की योजनाएँ और प्रोग्राम चला रही है। युवा इसे करिअर के तौर पर भी विकल्प चुन सकते हैं। सरकार की राष्ट्रीय खेल नीति व राष्ट्रीय खेलकूद विकास से न सिर्फ खिलाड़ियों को आर्थिक लाभ मिलेगा बल्कि प्रदेश के युवाओं का रुझान भी खेल के प्रति बढ़ेगा।

— प्रिया
नई दिल्ली


आपकी राय का पृष्ठ पाठकों के विचार और उनकी टिप्पणियाँ ‘योजना’ टीम से साझा करने के लिए ही है। अपने पत्र हमें ईमेल करें-

yojanahindi-dpd@gov.in

पर या लिखें - वरिष्ठ संपादक, 648, सूचना भवन,
सीजीओ परिसर, लोदी रोड, नयी दिल्ली-110 003



संपादकीय



अपनी जड़ों से जुड़ी जनजातियाँ

भारत के जनजातीय समुदायों की जड़ें प्रकृति, स्थानीय रोज़गार, परम्परागत बोलचाल और लोक संस्कृति के साथ बहुत गहराई तक जुड़ी हैं और ये लोग अक्सर अपने समुदाय में ही सीमित रहते हैं। ‘ट्राइब’ अर्थात् जनजाति शब्द लैटिन भाषा के ट्राइबस से बना है जिसका अर्थ होता है ‘ग्रीब’ जो बाद में समुदायों के संदर्भ में प्रयोग किया जाने लगा। औपनिवेशिक जातिगत परिवेश में सीधे-सादे देहाती ढंग से रहते हुए ये जनजातीय समुदाय हमारे देश की समृद्ध धरोहर को जीवित रखे हुए हैं और भारत के स्वाधीनता संग्राम में अपने ऐतिहासिक योगदान से इन्होंने देश के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान अर्जित किया है। इन समुदायों ने अपने क्षेत्रों में तब तक स्वायत्त प्रशासन स्थापित किया जब तक उपनिवेशवादी शासकों ने बहुसंख्यक समुदायों में उनका विलय शुरू नहीं किया था। छत्तीसगढ़ी भाषा के लोकगीत ‘ददरिया’ की दो पर्कितयों की इस रागिनी में स्वराज की भावना की सशक्त अभिव्यक्ति की गई है—

दीया माँगे बाती, बाती माँगे तेल

सुराज लेबो अंगरेज, कतका देबे जेल?

अर्थात् दीपक को बत्ती चाहिए और बत्ती को तेल की ज़रूरत होती है। अरे अँग्रेजों! हम स्वराज लेकर रहेंगे और हमें इसकी परवाह नहीं कि तुम हमें कितनी बार जेल भेजोगे।

जनजातीय लोग अपने देसी रहन-सहन और मान्यताओं के बल पर ही आधुनिक जीवनशैली और भौतिक संसाधनों को चुनौती देते हैं। उनका सादगी भरा रहन-सहन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे मुद्दों से जूझ रहे संसार को सीख दे रहा है।

उद्योग स्थापित करने और बाँध बनाने जैसी विभिन्न विकास परियोजनाएँ शुरू करने पर इन जनजातीय समुदायों को बार-बार विस्थापित किया जाता है और इन्हें सुविधाओं का अभाव भी झेलना पड़ता है क्योंकि इन परियोजनाओं के कारण वनक्षेत्रों की कटाई की जाती है तथा इन्हें और दूर वाले स्थानों पर धकेल दिया जाता है। इनसे अपने विकास के लिए मुख्य धारा की संस्कृति अपनाने की अपेक्षा करने से उनकी मान्यताओं, रीति-रिवाजों और व्यवहार में बाधा पहुँचती है जिससे उनकी विशिष्ट पहचान और स्थापित सामाजिक व्यवस्था मिट जाती है। इसी कारण यह बड़ी चुनौती है जिससे आवश्यक हो जाता है कि उनके अस्तित्व को मान्यता दी जाए और समाज में उनकी विशिष्ट पहचान भी स्थापित की जाए। संविधान के अनुच्छेद 46 का उद्देश्य है कि “सरकार कमज़ोर वर्गों और विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और अर्थिक हितों को आगे बढ़ाने पर खास ध्यान देगी और सामाजिक अन्याय तथा हर प्रकार के शोषण से उनकी सुरक्षा करेगी।”

फिर सरकार ने अनुसूचित जनजातियों को और ज्यादा संरक्षण देने के उद्देश्य से अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 को अधिक प्रभावी बनाया। संसद ने “अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर ज़्यादातियाँ रोकने तथा इन समुदायों को शोषण से बचाने के लिए उन्हें फिर बसाकर राहत-सहायता उपलब्ध कराने” का अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 पारित किया। अनुसूचित जनजाति समुदायों के समावेशी विकास के लिए कई योजनाएँ और नीतियाँ लागू की जा रही हैं जिससे इन समुदायों को विशेष मानवीय सुविधाएँ मिलें और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी स्थापित हो। स्वाधीनता आंदोलन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और बलिदान की स्मृति में जाने-माने जनजातीय नेता बिरसा मुण्डा के जन्मदिवस 15 नवंबर को ‘जनजातीय गौरव दिवस’ के रूप में मनाने की हाल में ही घोषणा की गई है।

आज के भारत में जनजातीय समुदायों ने शिक्षा, खेलकूद, विभिन्न कला-विधाओं (नृत्य, संगीत, पेन्टिंग, वगैरह) के क्षेत्रों में बहुत उल्लेखनीय सफलताएँ अर्जित करके भारत की सांस्कृतिक परम्परा को बहुत आगे बढ़ाया है। हमारा देश जनजातीय समुदायों की अनूठी परम्परा को पुनः स्थापित करने, उनकी पहचान फिर से बहाल करने और इन समुदायों को समाज के अधिन अंग के रूप में मान्यता प्रदान करने के प्रयासों में जुटा है। इसके लिए ज़रूरी है कि नीति-निर्माता जनजातीय समुदायों के अधिकारों की पूरी रक्षा करें जिससे समाज का समावेशी और सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो सके। ■



CAREERWILL IAS

IAS Foundation Course 2023

India's First Self Paced Course

Learn at your own Speed, time & Convenience



डॉ. अमिषेक

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी



डॉ. मंजेश कुमार

आरतीय संविधान एवं
शज्वलवस्था



राजेश मिश्र

भूगोल



रवि मिश्रा

कला एवं संस्कृति



संजीव शर्मा

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन



डॉ. मनोज छपरिया

आरतीय समाज, सामाजिक
न्याय एवं आंतरिक सुरक्षा



डॉ. एस. के. झा

अर्थव्यवस्था



के. आर्शवाद

अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं
कैरेंट अफेयर्स



दीपक कुमार

शासन, सत्यागिष्ठा एवं
अभियान (Paper-IV)



दिवाकर गुप्ता

शासन व्यवस्था

डी.के. चौधारी

डी.पी.एन. सिंह

कुमार अनुराग

**WE DON'T JUST CLAIM TO BE THE BEST, WE INDEED ARE, ATTEND TWO FREE CLASSES
AND DECIDE FOR YOURSELF.**

New Batches
starts from

18 JULY 2022

COUPON

Use this Coupon code:
YOJANA4000



4000₹ OFF

Scan Qr Code to Download App

Helpline No: 7082189797, 9310934121, 9310998566



**A-16, Career Will Tower, (Near Parnami Hospital),
Azadpur Metro Station Delhi-110033**

YH-1946/2022

अनुसूचित जनजातियों की कल्याण-नीति

हर्ष चौहान

संविधान निर्माताओं ने इस तथ्य का ध्यान रखा कि देश में कुछ समुदाय सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक तौर पर बेहद पिछड़े हैं। उनके मुताबिक, इसके लिए आधुनिक तरीके से खेती नहीं होना, आधारभूत संरचना से जुड़ी सुविधाओं की कमी और भौगोलिक अलगाव जैसी वजहें ज़िम्मेदार थीं। इन समुदायों की उन्नति के लिए भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसके तहत, शैक्षणिक संस्थानों, रोज़गार और सरकारी निकायों में अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। संविधान के अनुच्छेद 366 (25) के मुताबिक, अनुसूचित जनजाति का मतलब, “ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों से है, जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 में मान्यता दी गई है।”¹ अनुसूचित जनजाति को 30 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में अधिसूचित किया गया है और इससे जुड़ी अधिसूचना के मुताबिक, जनजातियों की कुल संख्या 705 है। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में जनजातीय समुदाय की आबादी 10.43 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत है। अनुसूचित जनजाति समुदाय की कुल आबादी का 89.97 प्रतिशत हिस्सा गाँवों और 10.03 प्रतिशत हिस्सा शहरों में रहता है।



ग्रेजी शासन से पहले अनुसूचित जनजाति को अपनी शासन प्रणाली और जीवनशैली के लिए पूरी स्वतंत्रता हासिल थी। ब्रिटिश शासन के दौरान, अनुसूचित जनजाति को उपहास के नज़रिये से देखा जाने लगा और उन्हें अपने पुश्तैनी अधिकारों से वंचित करने के लिए कई कानून लाए गए। साथ ही, अधिकारों की माँग करने पर उनके साथ अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। संविधान निर्माताओं ने अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ खास उपाय किए हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक, “राज्य कमज़ोर और वंचित तबकों, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और अन्य तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।”² इसी तरह, अनुच्छेद 15 और 16 के तहत, सरकार को अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया है। संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून, 1989 पास किया है। इसका मकसद अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार और अपराधों को रोकना और पीड़ितों को राहत और पुनर्वास मुहैया कराना है।³ अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून, 2006 के तहत, अनुसूचित जनजाति के लोगों को मान्यता देने के साथ-साथ उनके वन अधिकारों और जंगल की ज़मीन पर स्वामित्व को भी

स्वीकार किया गया है।⁴

अनुसूचित जनजाति समुदाय के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा ज़रूरी है और नियोजन की प्रक्रिया में इस समुदाय का विशेष ध्यान



बिरसा
मुण्डा

आदिवासी अधिकारों के अद्वितीय नायक,
उन्होंने मुण्डा लोगों को उनकी राजनीतिक मुक्ति
के लिए एकजुट करते हुए उनमें राष्ट्रवाद की
भावना का संचार किया

#AmritMahotsav

@publicationsdivision

DPD_India

@dpd_India

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय
आयोग अनुसूचित जनजातियों के
विरुद्ध अपराध और शोषण की
रोकथाम करता है।

विशेष संवैधानिक दर्जा दिया गया। आयोग की ज़िम्मेदारियाँ कुछ इस तरह हैं:

- अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध कराए गए सुरक्षा प्रावधानों से जुड़े सभी मामलों की जाँच कर उन पर नज़र रखना;
- अनुसूचित जनजाति के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की जाँच करना;
- अनुसूचित जनजाति के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े नियोजन की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना और ज़रूरी सलाह देना। साथ ही, संघ और किसी भी राज्य में जनजातीय समुदाय के विकास का मूल्यांकन करना;
- अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा, कल्याण और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सुझाव पेश करना, ताकि केंद्र या राज्य सरकार इन सुझावों पर प्रभावी तरीके से काम कर सके;
- अनुसूचित जनजाति समुदाय की सुरक्षा, कल्याण और विकास के मकसद से अन्य ज़िम्मेदारियों को पूरा करना और
- समुदाय की सुरक्षा और हितों के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सालाना आधार पर और ज़रूरत के हिसाब से राष्ट्रपति को अवगत कराना। अनुसूचित जनजाति से जुड़े सभी प्रमुख नीतिगत विषयों में केंद्र और राज्य सरकारें आयोग से सलाह-मशवरा करेंगी।

आयोग के खंड 5 के उप-खंड (ए) और उपखंड (बी) से जुड़ी शिकायतों की जाँच करते समय आयोग के पास व्यवहार न्यायालय का अधिकार होगा और वह इन कार्यों के लिए भी अधिकृत है:

- देश के किसी भी हिस्से से किसी भी शख्स को तलब करना और आधिकारिक तौर पर उसका बयान लेना
- ज़रूरत पड़ने पर किसी भी दस्तावेज़ को ढूँढ़ना और उसे तैयार करना
- हलफनामा के ज़रिये प्रमाण प्राप्त करना;
- किसी अदालय या कार्यालय से कोई सार्वजनिक रिकॉर्ड या कॉपी माँगना;
- गवाहों और दस्तावेजों की जाँच के लिए संबद्ध सूचना जारी करना;
- अन्य मामले जिनके बारे में नियमों के आधार पर राष्ट्रपति फैसला कर सकते हैं।

संविधान के अनुच्छेद 338ए के खंड 9 के मुताबिक,

“अनुसूचित जनजाति से जुड़े सभी नीतिगत मामलों में केंद्र और राज्य सरकारें आयोग से सलाह-मशवरा करेंगी।”

संविधान के अनुच्छेद 46 के मुताबिक, ‘राज्य कमज़ोर और वंचित तबकों, विशेष तौर पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देगा और सामाजिक अन्याय और अन्य तरह के शोषण से उनकी रक्षा करेगा।’

रखा जाता है। इन अधिकारों की रक्षा के लिए, संविधान निर्माताओं ने राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया, जो इस समुदाय के अधिकारों के संरक्षक और थिंकटैक की तरह काम करता है। जनजातीय समुदाय के लोगों के अधिकारों की रक्षा और उनके अधिकारों के लिए अलग-अलग संस्थानों की ज़िम्मेदारी सुनिश्चित करना राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत इसका गठन किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तीन सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। अध्यक्ष को केंद्र के कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा हासिल होता है, जबकि सदस्यों का दर्जा भारत सरकार के सचिव के बगाबर होता है। इस आयोग का दिल्ली में स्थायी सचिवालय है, जबकि देशभर में इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके पास व्यवहार न्यायालय (सिविल कोर्ट) का अधिकार भी है। आम तौर पर, जनजातीय समुदाय के लोग हितग्राही नहीं होते हैं, बल्कि वे अपरमार्थी यानी परोपकारी स्वभाव के होते हैं। जनजातीय समुदाय के लोग निजी फायदे के बजाय समुदाय के हितों को तवज्ज्ञ देते हैं। इस समुदाय के पास ज्ञान और संसाधनों का खजाना है। हालांकि, अन्य समुदाय के लोगों द्वारा जनजातीय समुदाय की काफी उपेक्षा हुई है और उनका पिछड़ापन और अन्य समस्याएँ इसी का नतीजा हैं।

भारत में जनजातीय समुदाय की समस्याएँ बिल्कुल अलग तरह की हैं। दरअसल, अलग-अलग क्षेत्रों में उनकी सांस्कृतिक विशेषताएँ और मूल्य अलग-अलग हैं। वे जहाँ भी रहते हैं, वहाँ आर्थिक विकास के साथ पारिस्थितिकीय संतुलन भी सुनिश्चित करते हैं, जिसे आधुनिक दुनिया में सतत विकास के तौर पर जाना जाता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए, कुछ विशेष ज़रूरतों की पहचान की गई और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने नीति कार्यान्वयन और जाँच को लेकर 10 क्षेत्रों की पहचान की है, जिसमें जनजातीय समुदाय से जुड़ी मुख्य चिंताओं को शामिल किया गया है। इन क्षेत्रों में, वन अधिकार (सीएफआर और पीईएसए)⁶, आरएँडआर⁷, खनन से जुड़े (डीएमएफ और एमएमडीआरआर)⁸,

वित्तीय मामले और विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, अत्याचार, शिकायत, समावेशन और बहिष्करण, स्वास्थ्य और पोषण, शिक्षा, कानूनी और संवैधानिक मुद्दे एवं कल्याणकारी योजनाओं में अनुसूचित जनजाति से जुड़े पहलू शामिल हैं। आयोग इन 10 क्षेत्रों के दायरे में 'शिकायत निपटारा और नियोजन' इकाई के तौर पर काम करता है। आयोग को संविधान के अनुच्छेद 5(ए) और (बी) के तहत, शिकायतों का निपटारा करने का अधिकार है, जबकि (सी) और (ई) के तहत इसे नियोजन की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए अधिकार दिए गए हैं।

शिकायतों का निपटारा

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने एक संवैधानिक इकाई के तौर पर भारत में अनुसूचित जनजाति की बेहतरी और उनके अधिकारों की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है। आयोग को लोगों, सिविल सोसायटी और गैर-सरकारी संगठनों से अनुसूचित जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें मिलती हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इस समुदाय के लोगों पर होने वाले अत्याचारों, शोषण और सामाजिक अन्याय के मामले को उठाता है। ऐसे मामलों पर आयोग संज्ञान लेता है और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने के लिए हरसंभव कोशिश की जाती है। इस प्रक्रिया में आयोग को राज्य या शासन प्रणाली की हर इकाई से सहयोग मिलता है। दूर-दराज़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए, आयोग के सदस्य देश के अलग-अलग हिस्सों का दौरा करते हैं। इसके तहत, जनजातीय समुदाय के लोगों को अपनी-अपनी जगहों पर ही शिकायतों का निपटारा करने का मौका मिलता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने ई-पोर्टल www.ncstgrams.gov.in भी शुरू किया है, जिस पर लोग अपनी

जनजातीय समुदाय से जुड़ी योजनाओं का नियोजन और प्रभावकारी

कार्यान्वयन ज़रूरी है, ताकि यह समुदाय अपनी संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सके। भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के मुताबिक, आयोग नियोजन की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग संवाद शृंखला के तहत जनजातीय समुदाय से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर नियमित रूप से संबंधित पक्षों के साथ सलाह-मशवरा करता है। विचार-विमर्श की इस प्रक्रिया से आयोग को बेहतर समाधान ढूँढ़ने में मदद मिलती है।

संबंधित पक्षों के साथ सलाह-मशवरा करता है। विचार-विमर्श की इस प्रक्रिया से आयोग को बेहतर समाधान ढूँढ़ने में मदद मिलती है। मानव विज्ञानियों द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि भूमंडलीकरण, आधुनिकीकरण और अलग-अलग संस्कृतियों के असर से जनजातीय समुदाय में भी बदलाव हुआ है। इन अध्ययनों के मुताबिक, भारत में जनजातीय समुदाय के जीवन और संस्कृति के बुनियादी सिद्धांत इन मूल्यों पर आधारित हैं:

- प्रकृति के साथ तादात्मय; शरीर, मन और आत्मा से उसके साथ जुड़ाव।
- सहअस्तित्व, सौहार्द और अन्य जीवधारियों के साथ सहअस्तित्व।
- सामूहिक जीवन या सामूहिक अस्तित्व और 'साझा करने' का सिद्धांत- भोजन, ज़मीन और वन संसाधनों को साझा करना, जैसे कि शिकार करने के बाद शिकार को साझा करना, बीज, श्रम और मेहनत साझा करना, जंगल और पहाड़ों में संकटों और ज़ोखिम का मिल-जुल कर सामना करना आदि।
- निजी संपत्ति इकट्ठा नहीं करना यानी पर्यावरण के अनुकूल और सादा जीवन।
- संयम रखना और निर्लिप्त भाव से विवादों का निपटारा करना। जनजातीय समुदाय के लोग कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं। इसके बजाय वे पीछे हट जाते हैं और विवादों को नज़रअंदाज़ करते हैं। ■

संदर्भ

- <https://dopt.gov.in/sites/default/files/ch-11.pdf>
- <https://tribal.nic.in/actRules/preventionofAtricies.pdf>
- <https://tribal.nic.in/FRA/data/FRARulesBook.pdf>
- <https://ncst.nic.in/sites/default/files/2021/document/NCST%20Pamphlet%20english>
- <https://ncst.nic.in/content/functions-and-duties-commissions/>
- <https://pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=1796220>
- <https://dolr.gov.in/sites/default/files/National%20Rehabilitation%20%26%20Resettlement%20Policy%2C%202007.pdf>
- <https://pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=154462>

जात्रा भगत

छोटा नागपुर (झारखण्ड) में भगत आंदोलन के संस्थापक जात्रा ने अपने साथी साथियों को ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए नियमों की अवज्ञा करने के लिए निर्देशित किया। उनके अनुयायी ताना भगत कहलाते हैं। 1921 के आसपास उन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया।

#AmritMahotsav

@publicationsdivision DPD_India @dpd_India

शिकायतें दर्ज कर सकते हैं। हमारे देश के संविधान निर्माताओं को इस बात की जानकारी थी कि जनजातीय समुदाय की अपनी खास जीवनशैली है, लिहाज़ा उन्होंने इस समुदाय के लिए देश के राष्ट्रपति को विशेष ज़िम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अपनी सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपनी होती है।








नियोजन

जनजातीय समुदाय से जुड़ी योजनाओं का नियोजन और प्रभावकारी कार्यान्वयन ज़रूरी है, ताकि यह समुदाय अपनी संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल कर सके। भारत के संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के मुताबिक, आयोग नियोजन की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग संवाद शृंखला के तहत जनजातीय समुदाय से जुड़े अलग-अलग मुद्दों पर नियमित रूप से संबंधित पक्षों के साथ सलाह-मशवरा करता है। विचार-विमर्श की इस प्रक्रिया से आयोग को बेहतर समाधान ढूँढ़ने में मदद मिलती है।

Build your BASE to ace UPSC Mains

Introducing
lex^tGuides

न कम न ज्यादा ये है हमारा वादा



Flat
30% OFF
+ Free Shipping

Xtra
10% OFF
on order above ₹ 499/-

Use Coupon
MAG10

www.dishapublication.com



TOP
Indian
Academic
Publisher

Available at : dishapublication.com | amazon.in | flipkart.com | Leading Bookshops

जनजातियों के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ

डॉ एच सुदर्शन
डॉ तान्या शेषाद्री

यूनाइटेड नेशन्स स्टेट ऑफ द वर्ल्डस इंडिजिनस पीपल्स रिपोर्ट में कहा गया है कि ‘‘देशी लोगों के लिए स्वास्थ्य, प्रकृति के साथ, स्वयं के साथ और दूसरों के साथ, मानव के सामंजस्यपूर्ण सह-अस्तित्व के समान है, जिसका उद्देश्य आध्यात्मिक, व्यक्तिगत और सामाजिक पूर्णता तथा शांति में समग्र कल्याण है।’’ यह घोषणा करता है कि जब देशी संदर्भ के लिए उपयुक्त स्वास्थ्य पद्धतियों की बात आती है, ‘‘स्वास्थ्य सेवाओं के मॉडल को स्वास्थ्य की देशी अवधारणा को ध्यान में रखना चाहिए और स्वास्थ्य देखभाल की पहुँच तथा कवरेज बढ़ाने की कार्यनीति के रूप में देशी स्वास्थ्य प्रणालियों को संरक्षित और मजबूत करना चाहिए। यह, प्रासंगिक स्वास्थ्य कर्मियों, समुदायों, पारम्परिक चिकित्सकों, नीति-निर्माताओं और सरकारी अधिकारियों के बीच सहयोग के स्पष्ट तंत्र की स्थापना की माँग करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मानव संसाधन महामारी विज्ञान, प्रोफाइल और देशी समुदायों के सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भ में कार्य करें।’’ हालांकि विश्व स्तर पर, अधिकांश स्वास्थ्य पद्धतियाँ अपने देशी लोगों तक पर्याप्त और उचित स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाने के लिए अलग-अलग प्रकार से संघर्ष करती हैं।



रत में हम एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक जनजातीय समुदाय से दूसरे में, सेवाओं तक पहुँचने और रोग-कोंड्रित स्वास्थ्य सेवा से आगे बढ़कर जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और विकास के लिए एकीकृत दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के मामले में समान चुनौतियों को पहचानते हैं।

यद्यपि प्रत्येक जनजाति का विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक संदर्भ, उनके स्वास्थ्य की स्थिति और उचित स्वास्थ्य सेवाओं के नियोजन पर कोंड्रित समझ को निर्देशित करता है, भारत में इस तरह के विचार के लिए बहुत कम डेटा उपलब्ध है। भारत में जनजातीय लोगों के लिए स्वास्थ्य डेटा के मुख्य प्रोत्त, सरकार द्वारा समय-समय पर किए गए जनसारियोंकी स्वास्थ्य सर्वेक्षण हैं। हालांकि, उनकी कार्यप्रणाली स्थानीय स्तर पर विश्वसनीय अनुमान या असहमति की अनुमति नहीं देती है। सरकार की नियमित स्वास्थ्य सूचना प्रणाली भी सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ अंतःक्रिया करने वाली की जनजातीय पहचान को नहीं पकड़ती है और इसलिए, जबकि सेवाओं के उपयोग और कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर बहुत विस्तृत डेटा उपलब्ध हैं, वे जनजातीय स्थिति के आधार पर डेटा को अलग करने की अनुमति नहीं देते हैं। इस प्रकार जनजातीय लोगों तक पहुँचने में विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएँ और स्वास्थ्य प्रणाली की कमियाँ कई वर्षों तक सामने नहीं आ पाती हैं जब तक कि जनगणना या राष्ट्रीय सर्वेक्षण में

महत्वपूर्ण कमियों का पता नहीं चलता। भारत में जनजातीय आबादी के बीच अनुसंधान अक्सर मलेरिया या गर्भावस्था और संबंधित परिणामों जैसी विशिष्ट बीमारियों पर ध्यान कोंड्रित करने वाले प्रतिनिध्यात्मक सर्वेक्षणों तक सीमित होता है, और शायद ही कभी बड़े सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों पर ध्यान कोंड्रित किया जाता है जो कई जनजातीय लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तक खराब पहुँच का कारण होते हैं। जनजातीय स्वास्थ्य की अधिकांश उपेक्षा का कारण, गाँव या जनजातीय आबादी के स्तर पर उपलब्ध स्टीक जानकारी की कमी को माना जा सकता है। यह बदले



विश्व स्तर पर तंबाकू निषेध दिवस जागरूकता कार्यक्रम

डॉ. एच सुदर्शन पद्मश्री पुरस्कार से समानित हैं और कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चार दशकों से अधिक समय से जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा और कल्याण से जुड़े रहे हैं। वे विभिन्न राज्य स्तर पर योगदान करते हुए जनजातीय स्वास्थ्य पर विशेषज्ञ समितियाँ/कार्य बल में भी शामिल रहे हैं। ईमेल: drhsudarshan@gmail.com

डॉ तान्या शेषाद्री आदिवासी स्वास्थ्य के क्षेत्र में सामुदायिक स्वास्थ्य व्यवसायी और शोधकर्ता हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हैल्थ, बैंगलुरु में सहायक फैकल्टी भी हैं। ईमेल: tanya.seshadri@gmail.com



सुदूर आदिवासी बस्ती में मोबाइल क्लीनिक

में जनजातीय -विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति स्थानीय स्वास्थ्य प्रणालियों की समझ और प्रतिक्रिया की कमी की ओर ले जाता है।

वर्तमान में, जनजातीय स्वास्थ्य पर जानकारी एकत्र करने और कल्पना करने के प्रयास 2018 में विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रकाशित जनजातीय स्वास्थ्य रिपोर्ट जैसे बड़े सरकारी कार्यबलों द्वारा या किसी विशेष स्थिति या घटना/परिदृश्य पर केंद्रित स्थानीय नागरिक समाज की पहल के माध्यम से किए जाते हैं। ये अक्सर ज़मीनी स्थिति का व्यापक मूल्यांकन प्रदान नहीं करते हैं और आम तौर पर किसी विशेष क्षेत्र या परिदृश्य में जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित 'क्यों' या 'कैसे' सवालों के जवाब देने का प्रयास नहीं करते हैं।

सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि स्वास्थ्य पर विभिन्न वार्तालाप शायद ही कभी स्वास्थ्य के विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक निर्धारकों के प्रभाव और वन अधिकारों के साथ लोगों के संघर्ष को स्वीकार करते हैं जो इन निर्धारकों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। एक जनजातीय परिवार जिसका अभी तक पैतृक खेती और स्वामित्व वाली भूमि पर वैध स्वामित्व नहीं है, वह भोजन और आजीविका की असुरक्षा की स्थिति में रहता है और संभवतः बाल स्वास्थ्य और शिक्षा को, अधिक आवश्यक दैनिक जीवन की ज़रूरतों की तुलना में कम प्राथमिकता देता है। जीवन-यापन की ये निरापद स्थिति और आजीवन तनाव, रुग्णता और मृत्यु दर के पारम्परिक उपायों में शायद ही प्रतिबिंबित होता है। दुर्भाग्य से, स्वास्थ्य शोधकर्ताओं ने कई प्रमुख सामाजिक निर्धारकों के अपर्याप्त आकलन किए गए हैं।

स्वास्थ्य की स्थिति

देश भर में प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पर दशकों से ध्यान केंद्रित करने के बावजूद, सभी जनजातीय समुदायों में प्रसवपूर्व, प्रसव और प्रसवोत्तर सेवाओं तक पहुँच के लिए अब भी गंभीर कमियाँ हैं, चाहे वे किसी भी क्षेत्र से संबंधित हों। अधिकांश क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को स्थानीय भौगोलिक या सामाजिक-सांस्कृतिक संदर्भों के अनुकूल नहीं बनाया गया है, जिससे सेवाओं का उपयोग और गुणवत्ता खराब हो रही है। देश भर में एकसमान परिवार कल्याण दृष्टिकोण विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) और अन्य जनजातीय समुदायों की परिवार कल्याण आवश्यकताओं के अनुकूलन को रोकता है; प्रतिबंध वर्तमान में कुछ समूहों पर लागू होते हैं जो उनके प्रजनन अधिकारों में बाधा डालते हैं, जबकि अन्य को बांझपन उपचार और/या सुरक्षित गर्भपात सेवाओं की आवश्यकता होती है। जनजातीय बच्चों में बचपन की बीमारियों के लिए उपचार की सुविधाएँ गैर-जनजातीय समकक्षों की तुलना में काफी खराब हैं; अधिकांश राज्यों में जनजातीय बच्चों में शिशु मृत्यु दर और पाँच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु

दर अधिक है। जनजातीय क्षेत्रों में किशोर प्रजनन और यौन स्वास्थ्य कैसे प्रदान किया जाए, इस बारे में बहुत कम जानकारी मौजूद है।

जनजातीयों में पोषण का सेवन एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होता है; उप-इष्टतम प्रोटीन, कैलोरी और सूक्ष्म पोषक तत्वों का सेवन कई जनजातीय समुदायों में एक समस्या है। स्कूली बच्चों में कुपोषण की व्यापकता गैर-जनजातीय समकक्षों की तुलना में आम तौर पर खराब है। जनजातीय महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और अन्य पोषण की कमी के विकार अधिक हैं, जो गर्भावस्था में प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं और जनजातीय बच्चों की अरक्षितता में बढ़ि द्विकालीन अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा योजनाओं का कारब्रेज कम है और गुणवत्ता खराब है।

मलेरिया जैसे संक्रामक रोगों के मामले अधिक होते हैं और अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में रुग्णता तथा मृत्यु दर अधिक होती है। मलेरिया इन क्षेत्रों में अन्य जगहों की तुलना में अधिक होता है; जागरूकता सामग्री तक पहुँच, निवारक उपायों और उचित उपचार का अभाव है। पूर्वोत्तर भारतीय जनजातीय क्षेत्रों में एचआईवी/एडस का प्रसार तुलनात्मक रूप से अधिक है। संक्रामक रोगों पर, रोग निगरानी और महामारी विज्ञान के आंकड़े अपर्याप्त हैं। जनजातीय क्षेत्रों में संक्रामक रोग नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ जनजातीय क्षेत्रों में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण नहीं है; बहुत कम संगठन गैर-संचारी रोगों पर काम करते हैं। कुछ जनजातीय समुदायों में गैर-संचारी रोगों (जैसे चाय बागानों में काम करने वाले असम की जनजातियों के बीच उच्च रक्तचाप) के अधिक प्रसार की सूचना है; जनजातीय समुदायों के बीच इन स्थितियों की महामारी विज्ञान की विशेषताएँ अन्य क्षेत्रों से भिन्न प्रतीत होती हैं। इन समुदायों में मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बीमारियों और मादक द्रव्यों के सेवन के बारे में अध्ययन भी व्यवस्थित रूप से नहीं किया गया है; मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या देश भर के कई जनजातीय समुदायों में एक गंभीर सामाजिक चिंता के रूप में उभर रही है।

पर्यावरणीय स्वास्थ्य सामान्य रूप से एक उपेक्षित क्षेत्र है लेकिन इन समुदायों में, यह स्वास्थ्य का एक प्रमुख सामाजिक निर्धारक है। खनन, संसाधन निष्कर्षण और अक्सर अन्य नीतियों के प्रतिकूल प्रभावों के कारण जनजातीय क्षेत्र तेज़ी से बदलावों के दौर से गुजर रहे हैं; हालाँकि जनजातीय स्वास्थ्य प्रणालियाँ ऐसे बदलावों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। जनजातीय समुदायों में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में दुर्लभ वंशानुगत और आनुवंशिक रोग प्रचलित हैं; जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में इन स्थितियों के लिए सेवाओं और रेफरल के लिए विशिष्ट कार्यक्रमों और दिशानिर्देशों का अभाव है।

स्वास्थ्य प्रणालियाँ

विश्व स्वास्थ्य संगठन की हिमायत वाली स्वास्थ्य प्रणाली हमें वित्त पोषण, संसाधन उपयोग और शासन के संदर्भ में स्वास्थ्य प्रणाली की समझ प्रदान करने में मदद करती है, लेकिन यह भी अपर्याप्त है। हमारा मानना है कि शिक्षा, भूमि अधिकार और अधिकारिता जैसे मानव विकास के अन्य आयामों के साथ स्वास्थ्य के अंतर्संबंधों का पता लगाने की आवश्यकता है, और इनकी अब विशेष रूप से पूरे भारत में जनजातीय समुदायों के संबंध में उपेक्षा नहीं की जा सकती है। इसलिए, स्वास्थ्य में कुछ चुनौतियों का समाधान करने के लिए, हमें व्यापक सामाजिक निर्धारकों को प्रभावित करने वाले अंतर्निहित कारणों को स्वीकार करने और उन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है।

जनजातीय ज़िलों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों, योजनाओं और सेवाओं के

वितरण में विभिन्न कमियों के लिए कुशासन ज़िम्मेदार है। जनजातीय स्वास्थ्य सेवाएँ गंभीर रूप से कम वित्तपोषित हैं और समान विकास में सुधार के लिए अधिक आवंटन की आवश्यकता है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य कर्मियों की अत्यधिक कमी है; इसके अलावा, स्वास्थ्य कार्यबल में जनजातीय प्रतिनिधित्व काफी अपर्याप्त है, जिससे इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यक्रमों के अनुकूलन और कार्यान्वयन में बाधा आ रही है।



आदिवासी बस्तियों में कोविड-19 टीकाकरण के लिए नुकड़ नाटक

प्रतिबंधात्मक मानदंड और दिशनिर्देश जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रतिधारण और प्रदर्शन में बाधा डालते हैं। जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे और उपकरणों की कमी के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं की खराब पहुँच व्याप्त है। जनजातीय समुदायों में समृद्ध पारम्परिक स्वास्थ्य ज्ञान मौजूद है, फिर भी स्वास्थ्य प्रणालियाँ सकारात्मक पारम्परिक स्वास्थ्य पद्धतियों की क्षमता का दोहन नहीं करती हैं। साथ ही, कुछ क्षेत्रों में प्रतिकूल सांस्कृतिक प्रथाओं को रोकने के लिए विशिष्ट उपायों की आवश्यकता है। कई सामाजिक निर्धारक जनजातीय स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं जैसे भौगोलिक अलगाव, प्रवास, विस्थापन और सशस्त्र संघर्ष के लिए लक्षित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

दूसरी ओर, जनजातीय स्वास्थ्य पर किए गए अनुसंधान खर्डित हैं और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रदर्शन, उपयोग और कवरेज पर अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जनजातीय स्वास्थ्य के बारे में व्यापक जानकारी ज़िला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रकार से कम है। समग्र राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य योजनाओं में जनजातीय स्वास्थ्य पर कोई विशेष या अतिरिक्त ध्यान नहीं दिया गया है, इसलिए संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों में भी इस पर ज़ोर नहीं दिया गया है।

नागरिक समाज और गैर-लाभकारी गैर-सरकारी संगठन कई जनजातीय क्षेत्रों में सेवाएँ प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और अक्सर जनजातीय विशिष्ट मुद्दों की हिमायत करते हैं। आमतौर पर, ये संगठन किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में जनजातीय लोगों के स्वास्थ्य और आरोग्य के लिए समुदाय-आधारित कार्यक्रम या सुविधा-आधारित धर्मार्थ सेवा मॉडल का उपयोग करते हैं।

विशेष फोकस की ज़रूरत

अनुसूचित जनजाति (एसटी) शब्द कई विविधताओं की श्रेणी है जिसमें 700 से अधिक समुदाय हैं जिनके बीच व्यापक अनुवर्शिक, जातीय, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता है। हालांकि यह वर्गीकरण सकारात्मक कार्रवाई के लिए समूह की पहचान के बास्ते उपयोगी है,



कोविड-19 जागरूकता के लिए सामुदायिक बैठकें

लेकिन यह विभिन्न जनजातीय लोगों तक पहुँचने के लिए आवश्यक दृष्टिकोणों में अंतर और एक जनजाति से दूसरी जनजाति में तथा एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे में स्वास्थ्य परिणामों में महत्वपूर्ण अंतर को पहचानने में मदद नहीं करता है। इन सभी अंतरों के बावजूद, लगभग हर राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए स्वास्थ्य संकेतक राज्य के अन्य लोगों की तुलना में काफी पीछे हैं।

जनजातीय लोगों के लगातार खराब स्वास्थ्य परिणाम, उनके विशेष सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक परिदृश्य और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मुख्यधारा से दशकों तक हाशिए पर रहने के कारण, जनजातीय लोगों, विशेष रूप से उनके स्वास्थ्य के प्रति एक विशेष दृष्टिकोण अपनाएं जाने की आवश्यकता है। इस तरह के फोकस को नीचे से ऊपर की ओर उभरने की ज़रूरत है, जिसका अर्थ है कि ब्लॉक स्तर पर ज़िलों और स्थानीय निकायों को जनजातीय स्वास्थ्य (या शिक्षा, शासन या किसी अन्य सार्वजनिक नीति निर्माण पहल के मामले के लिए) के संबंध में समावेशी प्रक्रियाओं की आवश्यकता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। जनजातीय स्वास्थ्य का राष्ट्रीय स्तर पर संश्लेषण केवल आवर्ती विषयों और जनजातीय स्वास्थ्य में कमियों को उजागर कर सकता है, और राष्ट्रीय तथा राज्य नीतियों में उठाई जाने वाली कुछ क्षेत्रों की या क्षेत्र-विशिष्ट समस्याओं की पहचान कर सकता है। हालांकि, परिदृश्य और सामाजिक-राजनीतिक बातावरण की विविधता जिसमें जनजातीय लोग रहते हैं, ज़िला स्तर और नीचे के स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों और स्थानीय सरकारों के स्तर पर समावेशी शासन और स्थानीय स्तर की नियोजन और संवेदीकरण की आवश्यकता है। इन समुदायों को निम्नतम आर्थिक पंचक में शामिल करना और उनकी ज़रूरतों को पूरा करने तथा समस्याओं का समाधान करने के लिए बड़े आर्थिक सुधारों की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है।

इन समुदायों के ऐतिहासिक व्यवहार और पर्यावरण के साथ उनके घनिष्ठ संबंधों से कुछ विशिष्ट स्वास्थ्य समस्याएँ सामने आई हैं, जिन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हिमोगलेबिनोपैथी जैसी आनुवर्शिक बीमारियों से लेकर कीट/जानवरों के काटने या चोट लगने तक, इनमें से कई समुदायों को स्क्रीनिंग और देखभाल की ज़रूरत होती है, जो स्थानीय सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्ध नहीं हैं। जैसा कि देखा गया है, इन समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियाँ स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता से कहीं अधिक हैं। समय की आवश्यकता स्वास्थ्य सेवाओं में समस्याओं का वर्णन करने से परे, स्थानीय स्वास्थ्य सुधारों को अनुकूलित तथा कार्यान्वित करने के लिए नागरिक समाज और समुदाय-आधारित संगठनों के साथ सहयोगात्मक भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करना है। ■

8 IN TOP 10 SELECTIONS IN CSE 2021

from various programs of VISION IAS

Heartiest Congratulations

to all candidates selected in CSE 2021

**2
AIR**



**ANKITA
AGARWAL**

**3
AIR**



**GAMINI
SINGLA**

**4
AIR**



**AISHWARYA
VERMA**

**5
AIR**



**UTKARSH
DWIVEDI**

**6
AIR**



**YAKSH
CHAUDHARY**

= हिंदी माध्यम टॉपर =

**18
AIR**



**रवि कुमार
सिंहाग**

लाइव/ऑनलाइन व ऑफलाइन कक्षाएं

कोई क्लास न छूटे

रिकार्डेंड क्लास्सेस, मिनी टेस्ट, डेली असाइनमेंट और अध्ययन सामग्री के साथ पूर्णतः रिवीजन करें



MAINS 365

संपूर्ण वर्ष के करेंट अफेयर्स को सिर्फ 60 घंटों में कवर करती कक्षाओं से ऑनलाइन जुड़ें

प्रवेश प्रारंभ



एथिक्स केस स्टडीज

प्रवेश प्रारंभ



एडवांस्ड मुख्य परीक्षा

सामान्य अध्ययन कोर्स

प्रवेश प्रारंभ



निबंध संवर्धन प्रोग्राम

विभिन्न अवधारणाओं का निर्माण और अंतर्संबंध कैसे करें यह समझकर निबंध लेखन की कला सीखें

प्रवेश प्रारंभ



फाउंडेशन कोर्स

सामान्य अध्ययन 2023

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा

UPSC के सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम का व्यापक कवरेज

दिल्ली: 24 जून 1 PM

लखनऊ: 23 जून 9 AM

जयपुर: 22 जून 4 PM



अभ्यास ही सफलता की चाबी है

VisionIAS प्रारंभिक/मुख्य टेस्ट

सीरीज हर 3 में से 2 सफल

उम्मीदवारों द्वारा चुना गया

○ सामान्य अध्ययन ○ निबंध ○ दर्शनशास्त्र



सभी द्वारा पढ़ी गई एवं सभी द्वारा अनुशासित

VisionIAS मासिक करेंट अफेयर्स पत्रिका

DELHI

• 1st Floor, Apsara Arcade, Near Metro Gate 6, 1/8 B, Pusa Road, Karol Bagh
 • Contact : 8468022022, 9019066066

JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | LUCKNOW | AHMEDABAD | CHANDIGARH | GUWAHATI

परम्पराएँ और सामाजिक-आर्थिक परिप्रेक्ष्य

अमलान बिस्वास

जनजाति यानी 'ट्राइब' शब्द की व्युत्पत्ति रोमन से हुई है जो लैटिन शब्द 'ट्राइब्स' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'ग्रीब'। इसका उपयोग रोमन समाज में जनसमूह को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता था। सोलहवीं शताब्दी में, पूर्वजों से वंश के दावे में एक समुदाय को निरूपित करने के लिए अँग्रेज़ी उपयोग में इसे लोकप्रियता मिली। इसके बाद, इसका उपयोग औपनिवेशिक नृवंशविज्ञान और नृविज्ञान में, 'पृथक कुलीन जंगली समुदाय' को नामित करने के लिए किया गया था, जो पूरी तरह सादगी में रहते थे। भारत में जनजातीय समुदाय पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों- चंडीगढ़ तथा पुदुच्चरी को छोड़कर देश के सभी हिस्सों में निवास करते हैं। वे भारत की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत हैं और लगभग सात सौ समुदायों में वर्गीकृत हैं जिनमें 'प्रमुख जनजातियाँ' और 'उप-जनजातियाँ' दोनों शामिल हैं।

भा

रत में कुल जनजातीय जनसंख्या की लगभग 12 प्रतिशत आबादी पूर्वोत्तर राज्यों में रहती है। मध्य भारतीय राज्यों, जहाँ जनजातीय आबादी अल्पसंख्यक है, उसके विपरीत मिज़ोरम, मेघालय और नगालैंड में जनजातीय समुदाय राज्य की कुल आबादी का अस्सी प्रतिशत से अधिक है। वास्तव में, एनईआर (पूर्वोत्तर क्षेत्र), कम से कम 133 अनुसूचित जनजाति समूहों का घर होने के कारण अपनी अलग पहचान रखता है। ये भारत¹ में वर्तमान में पहचाने जाने वाले कुल 659 ऐसे विशिष्ट समूहों में शामिल हैं। हालांकि, यह देखा जा सकता है कि त्रिपुरा में जनजातीय आबादी 1951 की 56 प्रतिशत से घटकर 2001 में 30 प्रतिशत से भी कम हो गई। अरुणाचल प्रदेश में, जनजातीय आबादी 1951 की 90 प्रतिशत से घटकर 1991 में 64 प्रतिशत से भी कम हो गई। बोडो, असम का एक समतल भूमि जनजातीय समुदाय, बोडोलैंड क्षेत्रीय क्षेत्र के कई इलाकों में अल्पसंख्यक बन गया है।

पारिस्थितिकी और निवासी

यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि अशांत माहौल और भू-राजनीति से ग्रसित होने के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र भारतीय उपमहाद्वीप का पिछड़ा और कम विकसित क्षेत्र बना हुआ है, हालांकि यह देश के 7.9 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में फैला है। शानदार पहाड़ियों, गहरी घाटियों, अस्थर नदियों तथा नालों, लहरदार भूमि, उपजाऊ घाटियों और विविध बनस्पतियों तथा जीवों वाला क्षेत्र एक शानदार परिदृश्य प्रस्तुत करता है।

उल्लेखनीय रूप से, यह चार देशों- बांग्लादेश, भूटान, चीन और म्यांमार के साथ 4200 कि.मी. की अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। साथ ही, यह सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक के नाम से मशहूर एक संकरे रास्ते से शेष भारत से जुड़ जाता है। यह क्षेत्र पहाड़ियों और मैदानों का मिश्रण है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड और सिक्किम को पहाड़ी क्षेत्र के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जबकि असम काफी हद तक मैदानी इलाका है। स्थलाकृति और जलवायु हमेशा बड़ी बाधाओं के रूप में रही हैं और पूर्वोत्तर भारत देश का एक सुदूर भौगोलिक क्षेत्र बना रहा है।



लेखक सेवानिवृत्त आईएसएस (भारतीय सांख्यिकी सेवा) के अधिकारी हैं। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण और मानव विज्ञान सर्वेक्षण के साथ काम किया है। वर्तमान में वे सामाजिक और मानवशास्त्रीय मुद्दों पर लेखन कर रहे हैं। ईमेल: biswas.aj@gmail.com



रानी गाइदिन्ल्यू

#AmritMahotsav

@publicationsdivision /DPD_India @dpd_India

नगा राजनीतिक नेता, रानी गाइदिन्ल्यू 13 साल की उम्र में स्वतंत्रता अंदोलन में शामिल हो गई। उन्हें 1932 में नमक सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। 1933-1947 तक, वह अलग-अलग जेलों में रहीं और 14 साल जेल में बिताने के बाद 1947 में आजादी के बाद ही रिहा हुई।

पूर्वोत्तर क्षेत्र को विविध जनजातीय समुदायों, भाषाई और जातीय पहचानों का धारक होने के कारण अक्सर भारत के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में वर्णित किया जाता है। सामाजिक-सांस्कृतिक समानता, भाषाई आत्मीयता, जातीय संबद्धता और सामान्य क्षेत्र जैसे किसी कारक के आधार पर, इन जनजातीय समुदायों को बोरा, खासी, नागा, लुशी-कुकी, अरुणाचली और अन्य जैसे कुछ समूहों के तहत आसानी से रखा जा सकता है। उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय समुदायों की अपनी पारम्परिक शासन प्रणाली है। यहाँ मुखियापन प्रचलित है, जबकि अन्य ग्राम परिषद द्वारा शासित होना पसंद करते हैं।

परम्परा उन सांस्कृतिक विशेषताओं को दिया गया नाम था, जिन्हें परिवर्तन की स्थिति में सौंपना जारी रखा जाना था, विचार किया जाना था, खत्म⁴ नहीं किया जाना था। प्रत्येक समाज की अपनी सांस्कृतिक परम्परा, सामाजिक व्यवस्था, मूल्य, रीत-रिवाज़ और उत्सव के विभिन्न रंगीन तरीके होते हैं जो ज्यादातर कृषि से संबंधित होते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं- अरुणाचल प्रदेश में मोल (तांगसा), मोपिन तथा सोलुंग (आदि), ओझोआले (वांचो), न्योकुम (न्यिशी), रेह (मिश्मी), लोस्सर (मोनपा), बूरी-बूट (पहाड़ी मिरिस); असम में माघ बिहू, बोहाग बिहू, अली-ऐ-लिङांग (मिशिंग), बैखो (राभा), बैशागु (दिमासा) और अन्य; नगालैंड में मोत्सू (एओ), नगाडा (रेंगमा), मोन्यू (फोम), नकन्युलम (चांग), सेक्रेनी (अंगामी) और सुहकरुहनी (चाकेनसांग); मणिपुर में लाई हराओबा नृत्य, थबल चोंगबा नृत्य, रासलीला और अन्य; मिजोरम में चापचर कुट, मीम कुट और चेराव (बाँस नृत्य); त्रिपुरा में खारची पूजा, गरिया पूजा, करे पूजा और अन्य; मेघालय में बंगाला महोत्सव (गारो), शाद सुक माइसियम (खासी) और बेहदीनखलम (जयंतिया) और अन्य।

जनजातीय समुदायों के सामाजिक-राजनीतिक जीवन में, राजशाही और लोकतंत्र सेंद्रियिक रूप से सह-अस्तित्व में हैं। जनजातियों के सदस्य रिश्तेदारी और विवाह से एकजुट होते हैं। इस प्रकार राजनीतिक और घरेलू मामलों के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है। वंश विभाजन जनजातीय समुदायों की राजनीतिक संरचना का मुख्य सिद्धांत है। हर जगह जनजातीय समुदाय अपने गैर-आदिवासी समकक्षों की

तुलना में अपने समाजों में कहीं अधिक समतावादी स्त्री-पुरुष संबंधों के लिए जाने जाते हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र की स्थिति मोटे तौर पर इस बड़ी तस्वीर के अनुरूप है।

हाल में हुए बदलाव

जनजातीय समुदायों के सामाजिक-सांस्कृतिक तत्व स्थिर नहीं हैं; बल्कि वे विभिन्न कारणों से बदल रहे हैं। समय के साथ, वे विविध प्रकृति के बदलते परिवेश के अनुरूप ढल रहे हैं। तदनुसार, वे खुद को नई बदली हुई स्थिति के अनुकूल बनाने के प्रयास करते हैं, जो कि नई वैश्विक व्यवस्था में भागीदारी की उत्सुकता

पूर्वोत्तर क्षेत्र को विविध जनजातीय समुदायों, भाषाई और जातीय पहचानों का धारक होने के कारण अक्सर भारत के सांस्कृतिक केंद्र के रूप में वर्णित किया जाता है। उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय समुदायों की अपनी पारम्परिक शासन प्रणाली है। यहाँ मुखियापन प्रचलित है, जबकि अन्य ग्राम परिषद द्वारा शासित होना पसंद करते हैं।

संस्कृति और परम्परा

ऊपर वर्णित प्रत्येक पद्धति की अपनी तकनीक और विधियाँ हैं। यह पर्यावरण और जलवायु की स्थितियों पर निर्भर करता है जिसमें किसान का पारम्परिक ज्ञान अगले मौसम के लिए भूमि, बीज, बुवाई का समय, रोपाई, कटाई, भंडारण और बीजों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता

तालिका 1: उत्तर पूर्व के चुनिंदा सामाजिक-आर्थिक संकेतक

राज्य	जनसांख्यिकीय		स्वास्थ्य		शिक्षा साक्षरता दर (%) (2011) ¹
	लिंग अनुपात (2011) ¹	ग्रामीण जनसंख्या (%) (2011) ¹	शिशु मृत्यु दर (%) (2013) ²	स्वच्छता सुविधाएँ (%) (2011) ³	
1	2	3	4	5	6
अरुणाचल प्रदेश	938	77.33	32	61.97	65.38
অসম	958	85.92	54	64.89	72.19
मणिपुर	992	69.79	10	89.30	79.21
मेघालय	989	79.92	47	62.91	74.43
मिज़ोरम	976	48.49	35	91.91	91.33
नगालैंड	931	71.03	18	76.52	79.55
सिक्किम	890	75.03	22	87.20	81.42
त्रिपुरा	960	73.03	26	86.04	87.22
कुल मिलाकर देश संकेतक	940	68.84	40	46.92	74.04

स्रोत: 1. भारत सरकार, 2011; 2. एसआरएस, 2014; 3. परिवारों के प्रतिशत में मापा गया। भारत सरकार (2008-09) भारत में आवास की स्थिति और सुविधाएँ (65वां दौर, एनएसएसओ रिपोर्ट संख्या 535)

से बहुत स्पष्ट है। यह लिंगानुपात, शिक्षा, शिशु मृत्यु दर या स्वच्छता जैसे सामाजिक आर्थिक संकेतकों से स्पष्ट है जो पिछड़ेपन या कम विकास को दूर करने की आकांक्षा की धारणा को प्रकट करता है (तालिका:1)। इसके अलावा, मानक नमूना सर्वेक्षणों⁵ के हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि निर्णय लेने में महिलाओं की भागीदारी इस क्षेत्र में दक्षिणी राज्यों⁶ की तुलना में भी अधिक थी।

2011 की जनगणना के अनुसार, लिंगानुपात मणिपुर (992) में सबसे अधिक है, इसके बाद मेघालय (989), मिज़ोरम (976) और सिक्किम (890) में सबसे कम है। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक असम (85.92) में और सबसे कम मिज़ोरम (48.49) में है। शिशु मृत्यु दर (कुल) असम (54 प्रतिशत) में सबसे अधिक दर्ज की गई, इसके बाद मेघालय (47 प्रतिशत) और मिज़ोरम (35 प्रतिशत) का स्थान रहा है। यह मणिपुर (10 प्रतिशत) में सबसे कम है।

यहाँ के आवासों में स्वच्छता सुविधाओं के आंकड़े भी मुख्य भूमि के कई हिस्सों की तुलना में बेहतर स्थिति को दर्शाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर निर्भरता तालिका 1 के आंकड़ों से स्पष्ट है।

क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक और संकेतक, चाहे वह ज़िला हो या राज्य, सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) को दर्शाता है, 2018 से उपलब्ध कराया गया है। नीति आयोग 2018 से सालाना एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रकाशित कर रहा है। नीति आयोग का तीसरा संस्करण- एसडीजी इंडिया इंडेक्स (2020-21) प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास

लक्ष्यों पर लक्ष्य-वार स्कोर की गणना करता है, और लक्ष्य 17 पर गुणात्मक मूल्यांकन, 17 मापदंडों को कवर करता है।

कुल मिलाकर राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के स्कोर, 16 सतत विकास लक्ष्यों में इसके प्रदर्शन के आधार पर उप-राष्ट्रीय इकाई के समग्र प्रदर्शन को मापने के लिए लक्ष्य-वार स्कोर से उत्पन्न होते हैं। ये स्कोर 0-100 के बीच होते हैं, राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को उनके स्कोर के आधार पर आकांक्षी (स्कोर 0-49), निर्वाहक (स्कोर 50-64), फ्रंट रनर (65-99) और लक्ष्य प्राप्तिकर्ता (स्कोर 100) के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। राज्यों में, 2020-21 में फ्रंट रनर श्रेणी में उत्तराखण्ड, गुजरात, महाराष्ट्र, मिज़ोरम, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा शामिल हैं। आश्चर्यजनक रूप से, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दो राज्यों मिज़ोरम और त्रिपुरा ने 2020-21 में सर्वोच्च रैंक, यानी फ्रंट रनर श्रेणी हासिल की।

नीति आयोग द्वारा विकसित पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) ज़िला एसडीजी सूचकांक 2021-22 के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य की उपलब्धि पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूचकांक को 84 संकेतकों से बनाया गया है और इसमें पूर्वोत्तर क्षेत्र के आठ राज्यों के 15 वैश्विक लक्ष्यों, 50 सतत विकास लक्ष्यों और 103 ज़िलों को शामिल किया गया है। सूचकांक बड़ी कमियों की पहचान करने में मदद करेगा और क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में तेज़ी से प्रगति के लिए उपायों को सूचित करेगा। नीति आयोग एनईआर ज़िला एसडीजी सूचकांक, 2021-22 में ज़िलेवार समग्र प्रदर्शन देखा जा सकता है। 103 ज़िलों के लिए स्कोर पूर्वी सिक्किम

**वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं का
जनजातीय समुदायों की संस्कृति पर⁷
गंभीर प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण
प्रत्येक समाज पर एक सजातीय
उपभोक्तावादी संस्कृति और मूल्य
प्रणाली थोपता है। गतिकी का नियम
हर समाज पर सार्वभौमिक रूप से
लागू होता है और जनजातीय समाज
कोई अपवाद नहीं है।**

(सिक्किम) में 75.87 से किफिर (नगालैंड) में 53 तक है। फ्रंट रनर श्रेणी में 64 ज़िले और निर्वहन श्रेणी में 39 ज़िले हैं। सिक्किम और त्रिपुरा के सभी ज़िले फ्रंट रनर श्रेणी में आते हैं।

वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं का जनजातीय समुदायों की संस्कृति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। वैश्वीकरण प्रत्येक समाज पर एक सजातीय उपभोक्तावादी संस्कृति और मूल्य प्रणाली थोपता है। गतिकी का नियम हर समाज पर सार्वभौमिक रूप से लागू होता है और जनजातीय समाज कोई अपवाद नहीं है।

इस प्रकार, जनजातीय समुदायों के स्वदेशी और बहिर्जात दोनों तरह की परिवर्तन की ताकतों के संपर्क में आने से जनजातीय समुदायों की जीवन शैली और संस्कृति पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

यद्यपि कृषि, विशेष रूप से स्थानांतरित खेती, उनमें से कई के लिए आजीविका का एक प्रमुख साधन बनी हुई है, उनकी आजीविका का साधन, निर्वाह कृषि आय से विविध आधुनिक बाजार-उन्मुख रोज़गार और अर्थव्यवस्था में बदल जाता है। विभिन्न विकास पहलों के परिणामस्वरूप उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न व्यवसायों के संदर्भ में आय के स्रोतों में विविधता आई है। आधुनिक शिक्षा आजीविका के साधनों में परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह परिवर्तन व्यवस्थित रूप से प्रति व्यक्ति आय और शैक्षिक स्तर में वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। इनके अलावा अधिक विवरण की कोई गुंजाइश नहीं हुआ है।

होने के कारण, ‘पिछड़े और कम विकसित’ शब्द के बारे में परित्याग कथन के अंकुरण को महसूस किया जा सकता है, और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के जनजातीय समुदायों पर इसका प्रभाव गहराई से देखा जा सकता है। ■

सन्दर्भ

1. जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।
2. भारत सरकार, 1981।
3. हजारिका, मज़िल- मैन एण्ड एन्वार्नमेंट इन नॉर्थईस्ट इंडिया: ऐन ईकोलॉजिकल परस्पैक्टर
4. ब्लाउड लेवी-स्ट्रॉस
5. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण
6. आईआईपीएस एण्ड ओआरसी मैक्रो, 2007
- असारी, महमूद- द्राईबल इकोनिमिज़ इन असम: ए स्टडी ऑफ नॉर्थईस्टन इंडिया
- भारत की जनगणना- 2011 की जनगणना
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। भारत की जनजातीय संस्कृति नीति आयोग- नॉर्थईस्टन रीजन डिस्ट्रिक्ट एसडीजी इंडेक्सएण्ड डैशबोर्ड, बेसलाइन रिपोर्ट 2021-22
- नीति आयोग- एसडीजी इंडिया इंडेक्स एण्ड डैशबोर्ड, बेसलाइन रिपोर्ट 2020-21
- सेनगुप्ता, सार्थक- द्राईबल सिनुएशन इन नॉर्थईस्ट इंडिया
- श्रीवास्तव, विनय कुमार- सोश्यो-इकानोमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द्राईबल कम्प्युनिटीज डैट काल दैमैल्व्ह विंदु
- जाक्सा, वर्जिनियस- द्राईब्स एण्ड सोश्यो एक्सक्लूज़न

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय

के द्वीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के सहयोग से ‘जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालय बनाने के सिद्धांतों और सिफारिशों’ पर हाल ही में नई दिल्ली में दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का समन्वय संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा किया गया था, जो पिछले कई वर्षों से मंत्रालय के साथ विभिन्न विकास परियोजनाओं पर काम कर रहा है।

यूनेस्को के निदेशक और प्रतिनिधि श्री एरिक फाल्ट ने अपने संबोधन में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के संग्रहालयों को विकसित करने के लिए भारत सरकार की सराहना की क्योंकि यह पहल दुनिया में अपनी तरह की पहली होगी। उन्होंने कहा कि कार्य जटिल है। श्री एरिक ने विभिन्न सिफारिशों दीं कि कैसे परियोजना की एकता और जनजातीय समुदायों के स्वामित्व को प्राथमिक हितधारकों के रूप में जनजातीय समुदायों को चुनकर और उन्हें अवधारणा, डिजाइन और मानस वर्शन के विकास में शामिल करके सुनिश्चित किया जा सकता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के सचिव श्री अनिल कुमार झा ने कहा कि ये संग्रहालय स्वतंत्रता आंदोलनों में जनजातियों के योगदान को पहचानने और उनकी जनजातीय सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए हैं। उन्होंने कहा कि ये संग्रहालय उन-



गुमनाम नायकों की स्मृति में स्थापित किए जा रहे हैं जिन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया। कार्यशाला का उद्देश्य इन संग्रहालयों के विकास के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण विकसित करना और प्रमुख अधिकारियों को इन संग्रहालयों की स्थापना में आवश्यक समावेशी प्रक्रियाओं के लिए प्रशिक्षित करना है।

कार्यशाला में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के निदेशक और प्रतिनिधि, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, राष्ट्रीय स्तर की समिति के सदस्य और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और भारतीय बन प्रबंधन संस्थान के प्रमुख विशेषज्ञ शामिल थे।

(ग्रोत-पत्र सूचना कार्यालय)

गुजरात की जनजातियाँ

दिलीप राणा

अनुसूचित जनजातियाँ मूलतः इसी देश की रहने वाली हैं, इनकी अपनी विशिष्ट संस्कृति है, ये भौगोलिक रूप से अलग-थलग रहती हैं और इनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। सदियों से वनों और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने के कारण ये जनजातीय समूह विकास की सामान्य प्रक्रिया के लाभों से बंचित रहे हैं। सरकार ने वनबंधु कल्याण योजना-वीकेवाई के तहत अनेक पहलें शुरू करके गुजरात के जनजातीय समुदायों के समेकित सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता पाई है।

20


11 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 604.39 लाख थी जिनमें से जनजातीय लोगों की संख्या कुल 89.17 लाख अर्थात् 14.76 प्रतिशत थी। अनुसूचित जनजातीय लोगों की साक्षरता दर बढ़कर 62.5 प्रतिशत हो गई है। 2001 के बाद से जनजातियों की साक्षरता दर में बराबर सुधार आया है। यह अंतराल 21.4 प्रतिशत से घटकर 15.4 प्रतिशत हो गया है। इसलिए ज़रूरी है कि अनुसूचित जनजातियों और विशेषकर इनकी महिलाओं की साक्षरता दर बढ़ाई जाए। राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कुल 26 समूह हैं। प्रमुख जनजातीय समुदाय हैं:- भील, गरासिया और ढोली भील; तलाविया, हलपति; ढोड़िया; नायकड़ा, नायक; गमित, गमाता, कठोड़ी, पड़हार, सिद्धि, कोलधा और कोतवालिया सहित ये आदिकालीन जनजातीय समूह हैं। गुजरात में अनुसूचित जनजातियाँ राज्य की पूर्वी सीमा से लगे क्षेत्रों में रहती हैं।

1. भील


भील शब्द द्रविड़ शब्द बिल्लु से बना है जिसका अर्थ होता है तीर कमान से तीर छोड़ना। भील प्राचीन काल से ही तीर लेकर चलते हैं और इसी कारण उन्हें भील कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भीलों के कुल 7,58,046 परिवार हैं और भीलों की जनसंख्या 42,15,603 है जो राज्य की कुल जनजातीय जनसंख्या का 46.28 प्रतिशत है। इनमें से 21,33,216 पुरुष और 20,82,387 महिलाएँ हैं। भील लोग मुख्य रूप से बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, पंचमहल, दाहोद, डांग, भरुच, नर्मदा, तापी, सूरत आदि ज़िलों में रहते हैं। भीलम, तविथाडभील, गरासिया घेली भील, दूंगरी भील, मेवासी भील, रावल भील, ताड़की भील, भगली, पवारा, वल्वी, वसव और वसावे जैसी मुख्य भील प्रजातियाँ इनमें से प्रमुख हैं।

2. हलपति

हलपति जनजातियाँ गुजरात के दक्षिणी ज़िलों सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड़ और भरुच में रहती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की कुल जनसंख्या 6,43,120 है जो राज्य की आबादी का 7.21 प्रतिशत है। इनके कुल 1,48,512 परिवार हैं जो बीस उपजातियों में बटे हुए हैं। ये उपजातियाँ हैं- तलाविया, रछोड़िया, वोरिया, दमारिया, वलसाड़िया, ओलपड़िया, माँडवी और उबी।



राठवा जनजाति



राज्य के क्षेत्र का 18 प्रतिशत (5884 गाँव)

26 जनजातियाँ (विशेष रूप से कमज़ोर पाँच जनजातीय समूहों सहित)

गुजरात की 28.0 प्रतिशत साक्षरता दर के मुकाबले अनुसूचित जनजातियों में साक्षरता दर 62.5 प्रतिशत है

14 पूर्वी ज़िलों, 48 तालुकों, 15 पांकड़ों और 4 क्लस्टर (झुंडों) में केंद्रित

3. राठवा

मुंबई गजेटियर में उपलब्ध जानकारी के अनुसार राठवा भील मध्य प्रदेश के निकट अलीराजपुर के मूल निवासी हैं जहाँ से वे आकर गुजरात के छोटाउदेपुर, पंचमहल और दाहोद ज़िलों में बस गए। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 7.2 प्रतिशत (6,42,348) है, जिनमें 3,25,550 पुरुष और 3,16,798 महिलाएँ हैं और इनके कुल परिवारों की संख्या 1,14,073 है। इन लोगों का मुख्य व्यवसाय खेतीबाड़ी, पशुपालन, मुर्गापालन, वानिकी और मज़दूरी है। ये लोग खाद, बाँस, लकड़ी, घास और कंदमूल बनाने का काम करते हैं।

4. ढोड़िया

यह जनजाति विशेषकर दक्षिण गुजरात के डांग, नवसारी, वलसाड़ और तापी ज़िलों में पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या 7.13 प्रतिशत अर्थात् 6,25,695 हैं, जिनमें 3,17,608 पुरुष और 3,18,087 महिलाएँ हैं तथा इनके कुल



भील जनजाति

परिवारों की संख्या 1,42,534 है। भीली जिले में छत को ढूढ़ा करते हैं और उसके नीचे रहने वालों को ढोड़िया या ढोड़िया या ढोड़ी कहा जाता है। वे आजीविका के लिए खेत में काम करते हैं या मज़दूरी करके अथवा मछली पालन, बन्य उत्पादों को इकट्ठा करके या निजी-सरकारी क्षेत्र में काम करके जीवनयापन करते हैं। इनके 'तूर' और 'पेरेया' नृत्य बहुत लोकप्रिय हैं।

5. नायक-नायकड़ा

2011 की जनगणना के अनुसार गुजरात की कुल जनजातीय जनसंख्या का 5.16 प्रतिशत इन नायक-नायकड़ा प्रजातियों का है और इनकी कुल आबादी 4,59,908 है, जिनमें 2,32,965 पुरुष और 2,26,943 महिलाएँ हैं तथा इनके कुल 87,297 परिवार हैं। ये जनजातियाँ अधिकांश रूप से पंचमहल, दाहोद, खेड़ा, साबरकांठा, महिसागर, नवसारी, वलसाड़, सावरकांठा, महिसागर, नवसारी, वलसाड़,

सूरत और तापी ज़िलों में पाई जाती हैं। इस समूह में पटेल, नायक, चोलीवाला नायक, कापड़िया नायक, मोटा नायक और नाना नायक जैसी उपजातियाँ शामिल हैं।

6. गमित

गमित या मावची जनजातियाँ दक्षिण गुजरात में रहती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी कुल 4.24 प्रतिशत अर्थात् 3,78,445 है, जिनमें 1,87,673 पुरुष और 1,90,772 महिलाएँ हैं और इनके परिवारों की कुल संख्या 85,331 है। गमित असल में भीलों की ही उपजाति है क्योंकि जो भील गाँव या स्थान पर बस गए उन्हें गमित कहा जाने लगा।

7. कोकना/कुकना

ये लोग भारत के कोकण क्षेत्र से आए थे। इनका रंग काला होता है और ये लंबे होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की कुल आबादी 4.05 प्रतिशत अर्थात् 361587 है जिनमें 1,80,075 पुरुष और 1,81,512 महिलाएँ हैं तथा इनके परिवारों की कुल संख्या 72,090 है। ये लोग मुख्य रूप से सूरत, नवसारी, वलसाड़, तापी और डांग ज़िलों के भीतरी इलाकों में रहते हैं। इनके घर खाद, मिट्टी, लकड़ी और खजूर के पत्तों से बने होते हैं जिनकी छत पिरामिड अथवा शंकु आकार की होती है। ये लोग खेतीबाड़ी खेतिहार मज़दूरी, पशुपालन, मछलीपालन, मार्पा-खेती और दिहाड़ी-मज़दूरी करके गुजर-बसर करते हैं।

8. वरली

'वरली' शब्द की उत्पत्ति 'वराल' से हुई है जिसका अर्थ होता है ज़मीन का छोटा-सा टुकड़ा। वरली समुदाय के लोग छोटी-छोटी आकार वाली जोतों में खेती करते हैं। एक मान्यता के अनुसार वरली लोग भील समुदाय की ही एक उपजाति हैं। शूद्र, मुडे, दावर और मिहिर लोगों की उपजातियाँ और 24 कबीले हैं। वरली पेंटिंग्स समूचे देश में और विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं जो मुख्यतया गोबर-मर्ती

की दीवारों पर चावल को पानी में भिगोकर कीकर (बबूल) और बाँस की छड़ियों से बनाई जाती हैं तथा इन पेटिंग्स में इन लोगों की सामाजिक-सांस्कृतिक धारणाएँ और कार्यशैली दर्शाई जाती है।

9. चौधरी


दक्षिण गुजरात के ज़िलों में रहने वाले चौधरी समुदाय के लोग स्वयं को राजपूतों के वंशज मानते हैं। इनकी तीन मुख्य जातियाँ हैं- पावगढ़ी, तकरिया और वलवई। 2011 की जनगणना के अनुसार इस कबीले के लोगों की आबादी 3,02,958 (3.40 प्रतिशत) है, जिनमें 1,50,446 पुरुष और 1,52,512 महिलाएँ हैं और इनके कुल परिवारों की संख्या 68,639 है।

10. धानक

यह जाति भरूच, छोटाउदेपुर, दाहोद और पंचमहल में पाई जाती है। एक लोककथा के अनुसार ये मूलतः चौहान राजपूत थे। इनकी तीन उप-प्रजातियाँ हैं- (1) ताड़वी, (2) वाल्वी और (3) तेतारिया। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की आबादी 2,80,949 (3.15 प्रतिशत) है जिनमें से 1,44,948 पुरुष और 1,36,001 महिलाएँ हैं और इनके परिवारों की कुल संख्या 59,650 है।

11. पटेलिया

पावगढ़ में पटाई रावल समुदाय के पतन के बाद दाहोद, लिमखेड़ा, संतरामपुर आदि वनक्षेत्रों में आकर बसे राजपूत और क्षत्रिय ही पटेलिया नाम से जाने जाते हैं। वे गाँवों के प्रधान बन गए और गाँवों की पूरी व्यवस्था उन्होंने ही संभाल ली तथा इस प्रकार वे लोग 'ग्राम पटेल' कहलाने लगे। ये 'पटेल' ही आगे चलकर 'पटेलिया' बन गए और अब यह समूची जनजाति 'पटेलिया' कहलाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की आबादी 1.28 प्रतिशत (1,44,414) है जिनमें 58,290 पुरुष और 56,124 महिलाएँ हैं और



संग्रहालयों में प्रदर्शित आभूषणों के आकर्षक एवं मनमोहक डिज़ाइनों को देखकर गहनों के प्रति जनजातीय लोगों के लगाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले के दौर में तो ये आभूषण चूना पथर, कौड़ियों, जंगली धास, ब्रिटिश काल के चाँदी के सिक्कों से बनाए जाते थे तथा हिंदू सुनार चाँदी तथा अन्य मिश्रित धातुओं के आभूषण भी तैयार करते थे।

इनके परिवारों की कुल संख्या 21,378 है।

12. पोमला

बड़ोदा (वडोदरा) की जनगणना के आधार पर कहा जा सकता है कि यह जनजाति करीब 200 वर्ष पहले तमिलनाडु के मद्रास (चेन्नई) से विस्थापित होकर आई थी। उनकी भाषा और बोली में तेलुगु का ज्यादा पुट है जिससे उनके संबंधों का अनुमान भी लगाया जा सकता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की जनसंख्या मात्र 687 (0.07 प्रतिशत) है जिनमें 358 पुरुष और 329 महिलाएँ हैं और इनके परिवारों की कुल संख्या 134 है।

13. पड़घी

ये जनजातियाँ मुख्य रूप से सूरत, बलसाड़, भरूच, पंचमहल, बड़ोदरा, सावरकांठा, डांग, खेड़ा, गाँधीनगर, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, जामनगर, कच्छ, राजकोट, सुरेन्द्रनगर और बनासकांठा ज़िलों में रहती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी 3,450 (0.04 प्रतिशत) है जिनमें 1,831 पुरुष और 1,619 महिलाएँ हैं तथा इनके परिवारों की कुल संख्या 779 है।

14. चारण

इस जनजाति के लोग गिर सोमनाथ और जूनागढ़ के ज़िलों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी 2890 (0.03 प्रतिशत) है जिनमें 1,483 पुरुष और 1,407 महिलाएँ हैं तथा इनके कुल परिवारों की संख्या 493 है।

15. भारवाड

गिर, बारड़ा और अलेच के नेस इलाकों में भारवाड़ जनजातीय लोगों को अनुसूचित जनजातियों में गिना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति के लोगों की आबादी 1,672 (0.02 प्रतिशत) है जिनमें 853 पुरुष और 819 महिलाएँ हैं तथा इनके कुल परिवारों की संख्या 636 है।

16. रबाड़ी

इन्हें नेस इलाके में रहने के कारण अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी आबादी 59,995 (0.62 प्रतिशत) है जिनमें 30,804 पुरुष और 29,191 महिलाएँ हैं तथा इनके परिवारों की कुल संख्या 9,927 है।

17. बरदा

2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति के लोगों की आबादी 748 (0.01 प्रतिशत) है जिनमें 408 पुरुष और 340 महिलाएँ हैं। इन्हें बरिया भील, खंडेशी भील, लिनिया या लहिलिया भील नामों से भी जाना जाता है और ये लोग कच्छ, अहमदाबाद, गाँधीनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, सूरत और बड़ोदरा ज़िलों में रहते हैं।

18. बावचा

बावचा जनजातीय लोग मूल रूप से यादव या पांडव वंश से हैं। ऐसा इनके अपने ममेरे (मामा के परिवार में) भाई-बहनों से विवाह करने के चलन के आधार पर माना जाता है। बुजुर्गों से सुनी बातों के अनुसार बावचा समुदाय सामाजिक-राजनीतिक



बबूल और बाँस की डिंडियों का उपयोग करके भीगे हुए चावल के पानी के साथ गोबर से पुती दीवारों पर बरली पेंटिंग बनाती हुई महिला

कारणों से महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात में बस गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि बावचा लोग बेहद चुस्त और फुर्तीले होने के कारण छत्रपति शिवाजी की सेना में शामिल किए गए थे। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति के लोगों की आबादी 2,889 (0.03 प्रतिशत) है जिनमें 1,536 पुरुष और 1,353 महिलाएँ हैं और इनके परिवारों की कुल संख्या 171 है।

19. गोंड-राजगोंड

गोंड जनजातीय लोगों की बोली गोंडी है जो तमिल, कन्नड़ और तेलुगु का मिलाजुला रूप है। इसलिए माना जा सकता है कि ये लोग दक्षिण भारत से मध्य प्रदेश तक के क्षेत्र से आए थे। ये लोग गोदावरी नदी के रास्ते चांदना और फिर इंद्रावती नदी के ऊपरी हिस्सों से होते हुए दक्षिण और पूर्व की पहाड़ियों पर करके छत्तीसगढ़ के मैदानों के रास्ते वर्धा और सतपुड़ा की पहाड़ियों पर पहुँचे होंगे। कहा जाता है कि गोंड समुदाय ने कई सौ वर्षों तक चांदमा पर शासन किया था। वहाँ उनके तेलुगु लोगों से संबंध विकसित हो गए और उनका नाम 'गौंड' पड़ गया। इसी नाम और पहचान के साथ ये लोग पूर्वी दिशा में बढ़े होंगे। गुजरात में ये लोग मुख्य रूप से सूरत, भरुच, वડोदरा और पंचमहल ज़िलों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी 0.03 प्रतिशत है जिसमें 1,593 पुरुष और 1,372 महिलाएँ हैं तथा इनके परिवारों की कुल संख्या 670 है।

20. कुंबी

कुंबी जनजाति के लोग मुख्य रूप से डांग ज़िले में रहते हैं। 2011 की जनगणना

के अनुसार इस समुदाय की कुल आबादी 60,646 (0.68 प्रतिशत) है जिनमें 30,376 पुरुष और 30,270 महिलाएँ हैं तथा इनके परिवारों की कुल संख्या 670 है।

प्राचीन आदिकालीन जनजातियाँ

गुजरात में कुल पाँच जनजातीय समूह विशेष कमज़ोर स्थिति वाले (पीवीटीजी) माने जाते हैं।

1. सिद्धि

सिद्धि जनजातीय समूह भारत के अनेक राज्यों में, विशेषकर गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और करेल में रहते हैं। कर्नाटक, अंकोला, हरपाल, पेलापुर और मोंगरोल तालुकों में भी ये जनजातीय लोग बसे हुए हैं। गुजरात में इनकी ज्यादा संख्या जूनागढ़ तालुक में है। इसके अलावा अमरेली, जूनागढ़, राजकोट, भावनगर और पोरबंदर में भी ये समूह रहते हैं। आंग्ल-भारतीय मूल के जो अफ्रीकी जनजातीय लोग भारत के विभिन्न राज्यों में आकर बस गए थे वही सिद्धि कहलाते हैं। ये समुदाय आदिकालीन (प्राचीन) जनजातीयों में से हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इन जनजातीय लोगों की कुल आबादी 8,661 (0.10 प्रतिशत) है जिनमें 4,273 पुरुष और 4,388 महिलाएँ हैं तथा इनके परिवारों की कुल संख्या 1,726 है। रंगांसा और खुशी के माहौल में रहने वाले सिद्धि जनजातीय लोग अपने लोकप्रिय 'धमाल नृत्य' के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं।

2. पड़हार

पड़हार आदिकालीन जनजातीय समूह के लोग गुजरात के अहमदाबाद और सुरेंद्रनगर ज़िलों में रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल आबादी 30,932 (0.35 प्रतिशत) है जिनमें 15,911 पुरुष और 15,021 महिलाएँ हैं तथा इनके परिवारों की कुल संख्या 5,566 है। ये लोग चूने, घासफूस और लकड़ी से बने घरों में रहे हैं जिन्हें 'कुबा' कहा जाता है।

3. कोतवालिया

यह जनजाति सूरत, नवसारी, नर्मदा, भरुच, वलसाड़ और पुत्रा ज़िलों के जागल या खांप्रास इलाके में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इन लोगों की कुल आबादी 24,249 (0.27 प्रतिशत) है जिनमें 12,155 पुरुष और 12,094 महिलाएँ हैं तथा इनके कुल परिवारों की संख्या 5,674 है। इनका मुख्य व्यवसाय बाँस पर आधारित है और ये लोग बाँस को कल्पवृक्ष मानते हैं।

4. काठोड़ी

काठोड़ी जनजातीय लोग कटकारी भी कहलाते हैं। ये नाम उनके कटीहू तैयार करने के व्यवसाय के आधार पर पड़ा है। इनके दो उप-जनजातीय समुदाय हैं- सोन काठोड़ी और ढोर काठोड़ी। ढोर काठोड़ी लोग गोमाँस खाते हैं परन्तु सोन काठोड़ी समुदाय वाले लोग गोमाँस का सेवन नहीं करते। उनकी बोली, शक्लसूरत

और अन्य रीति रिवाज़ों के आधार पर उन्हें भीलों की उपजाति माना जाता है परन्तु स्वयं काठोड़ी लोग अपने को हनुमान का वंशज मानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति की कुल आबादी 13,632 (0.15 प्रतिशत) है जिनमें 6,787 पुरुष और 6,845 महिलाएँ हैं तथा इनके परिवारों की कुल संख्या 2,981 है।

वीकेवाई का मुख्य उद्देश्य
आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सिंचाई और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराके जनजातीय समुदायों का समेकित, समग्र और समावेशी विकास करना है।

5. कोल्प्या

दक्षिण गुजरात के वलसाड़, भरूच, डांग, बडोदरा, नवसारी ज़िलों में रहने वाली प्राचीन जनजाति कोल्प्या के लोग हेरकोली, टोकरे, कोली, कोल्चा, आदि नामों से जाने जाते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस जनजाति के लोगों की कुल आबादी 67,119 (0.75 प्रतिशत) है जिनमें 34,009 पुरुष और 33,110 महिलाएँ हैं। इनके परिवारों की कुल संख्या 14,222 है।

जनजातीय संस्कृति

घरेलू सामान : इनके घरेलू सामान में खाना पकाने के और कुछ अन्य बर्तन हैं जिनमें से अधिकांश मिट्टी के बने होते हैं तथा कुछेक बर्तन पीतल या एल्यूमिनियम के भी होते हैं।

गहने (आभूषण) : परम्परागत रूप से जनजातीय पुरुष और महिलाएँ आभूषणों और गहनों के बहुत शौकीन होते हैं हालांकि अब इन समुदायों के पुरुषों में गहने पहनने की आदत बहुत कम हो गई है। संग्रहालयों में प्रदर्शित आभूषणों के आकर्षक एवं मनमोहक डिजाइनों को देखकर गहनों के प्रति जनजातीय लोगों के लगाव का अंदाजा लगाया जा सकता है। पहले के दौर में तो ये आभूषण चूना पत्थर, कौड़ियों, जंगली धास, ब्रिटिश काल के चाँदी के सिक्कों से बनाए जाते थे तथा हिंदू सुनार चाँदी तथा अन्य मिश्रित धातुओं के आभूषण भी तैयार करते थे।

कला - पिथोरा और वरली पेटिंग्स: मध्य गुजरात के राठवा अपने घरों की बाँस से बनी दीवारों पर चूने का प्लस्टर लगाते हैं और अपने पुजारी-कलाकार को आमंत्रित करके दीवारों पर स्थानदेवता 'पिथोरादेव' की छवि अंकित कराके 'आभार-व्यक्ति' अथवा 'थैंक्स गिविंग' का त्यौहार मनाते हैं। मौजूदा जनजातियों में दीवारों की यह सजावट सबसे उत्कृष्ट मानी जाती है।

दक्षिण गुजरात में दीवारों की पेटिंग्स में विवाह-समारोह की परम्परागत सजावट और आकर्षक दृश्य बनाए जाते हैं। दक्षिण गुजरात के वरली जनजातीय लोग वैवाहिक आयोजन के पारम्परिक दृश्य दीवारों पर पेट करते हैं। गाँव की महिलाएँ वधू के घर की दीवारों पर चावल के पाउडर से और फिर चूने के प्लस्टर से सजावटी डिजाइन बनाती हैं।

पोशाकों के डिजाइन : हर जनजाति और हर स्थान के पोशाकों के डिजाइन अलग-अलग होते हैं। पूर्वोत्तर गुजरात में भील समुदाय के लोग तीर-कमान, बंदूक, तलवार जैसे सास्त्रों से लैस रहते हैं। दक्षिण गुजरात में भील लोग लंगोटी पहने रहते हैं। नर्मदा क्षेत्र की भील महिलाएँ 'चनिया' (स्कर्ट) पहनती हैं जबकि दक्षिण क्षेत्र की महिलाओं की पोशाक साड़ी है। उत्तर-पूर्व क्षेत्र की महिलाएँ भील, राठवा, पटेल्या, नायकड़ा कई प्लेटों वाली चनिया (स्कर्ट) के ऊपर झूलरी पहनती हैं।

उत्तरी गुजरात में जनजातीय पुरुष धोती, कमीज और फालिया (पगड़ी या साफ़ा) पहनते हैं। पंचमहल क्षेत्र के जनजातीय पुरुष बंडी (ब्लैकंडी) और लुंगी पहनते हैं। राठवाल जनजाति के पुरुष लुंगी, खमिश (कमीज) और सिर पर पगड़ी पहनते हैं और इस जनजाति की महिलाएँ रंगीन चनिया (स्कर्ट), रंगीन कब्जा (ब्लाउज़) और ओढ़नी पहनती हैं। उत्तर में भील महिलाएँ कलाई से कोहनी तक बलोया (एक तरह का चूड़ा) और पैंजनिया (पैरों

का आभूषण) पहनती हैं। पंचमहल की जनजातीय महिलाएँ पीतल या चाँदी के कड़े या बंगडी पहनती हैं और कलाई से कंधे तक बलोया (एक प्रकार की चूड़ियाँ) और एड़ी से घुटनों तक पीतल या चाँदी के आभूषण पहनती हैं।

दक्षिण गुजरात में चौधरी, गमित, ढोड़िया और कुकना जनजातियों के पुरुष धोती या हॉफ पैंट (निक्कर) और पायजामा, खमीश (कमीज) और फैटा (पगड़ी) या टोपी पहनते हैं। महिलाएँ मोटे कपड़े की पीली या चमकदार रंगीन कछोरा स्टाइल की साड़ी तथा कब्जा (ब्लाउज) पहनती हैं। गमित जनजाति की महिलाएँ गर्दन में पत्थर के आभूषण पहनती हैं। पूर्वोत्तर भाग के भील पुरुष तीर-कमान, बंदूक और धारिया (धारदार) गंडासा हाथ में लिए रहते हैं।

उत्तर से दक्षिण तक के जनजातीय लोगों के रीति-रिवाज़ और उनकी पोशाक हर क्षेत्र के अनुरूप भिन्न होती है। उत्तरी भाग में लोगों के रहन-सहन और पोशाक में राजस्थानी प्रभाव और दक्षिणी भाग के लोगों में महाराष्ट्र का प्रभाव दिखाई देता है। हर जनजातीय समुदाय के लोगों का पहनावा अलग-अलग होता है।

जनजातीय चिकित्सा प्रणाली-भागर भाव

जनजातीय चिकित्सक या भगत गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में और विशेषकर डांग, नर्मदा, वलसाड़ तथा दाहोद, पंचमहल, साबरकांठा और बनासकांठा के वनक्षेत्रों में उपलब्ध हैं। ये भगत इन जनजातीय लोगों के धार्मिक और राजनीतिक जीवन में तथा स्वास्थ्य के मामले में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सरकार ने वनबंधु कल्याण योजना-वीकेवाई के तहत अनेक पहलें शुरू करके गुजरात के जनजातीय समुदायों के समेकित सामाजिक आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता पाई है। वीकेवाई का मुख्य उद्देश्य आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सिंचाई और बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराके जनजातीय समुदायों का समेकित, समग्र और समावेशी विकास करना है। इसके लिए आवश्यकता पर आधारित, परिणामोन्मुख और मिशन मोड में योजनाएँ और विभिन्न उपाय लागू किए गए। ■

संदर्भ

1. आदिवासी म्यूजियम, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, गुजरात।
2. वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट-2019-20, आयुक्त, जनजातीय विकास।
3. मुख्य मंत्री का दस-सूत्रीय कार्यक्रम - वनबंधु कल्याण योजना, गुजरात सरकार के जनजातीय विकास विभाग की पहल।
4. गुजरात ट्राइबल गजेटियर-2020, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, गुजरात।
5. गुजरात जनजातीय विकास निगम - पुस्तिका-2019, जीटीडीसी।
6. गुजरात की परम्परागत जनजातीय संस्कृति-2020, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, गुजरात।
7. ट्राइबल इनसाइट - 2011, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, गुजरात।
8. गुजरात की जनजातियाँ - 2007, जनजातीय अनुसंधान संस्थान, गुजरात।
9. वेबसाइट - <https://tribal.gujarat.gov.in>
10. वेबसाइट - <https://comm.tribal.gujarat.gov.in>
11. वेबसाइट - <https://dsag.gujarat.gov.in>
12. वेबसाइट - <https://adijatinigam.gujarat.gov.in>
13. वेबसाइट - <https://eklavya-education.gujarat.gov.in>
14. वेबसाइट - <https://trti.gujarat.gov.in>
15. जनगणना - 2011

माँ—अनमोल स्नेह

माँ, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। जीवन की ये वो भावना होती जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ, सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है।

आज मैं अपनी खुशी, अपना सौभाग्य, आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। मेरी माँ, हीराबा आज 18 जून को अपने सौवें वर्ष में प्रवेश कर रही हैं। यानी उनका जन्म शताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है। पिताजी आज होते, तो पिछले सप्ताह वो भी 100 वर्ष के हो गए होते। यानी 2022 एक ऐसा वर्ष है जब मेरी माँ का जन्मशताब्दी वर्ष प्रारंभ हो रहा है और इसी साल मेरे पिताजी का जन्मशताब्दी वर्ष पूर्ण हुआ है।

पिछले ही हफ्ते मेरे भतीजे ने गांधीनगर से माँ के कुछ बीड़ियों भेजे हैं। घर पर सोसायटी के कुछ नौजवान लड़के आए हैं, पिताजी की तस्वीर कुर्सी पर रखी है, भजन कीर्तन चल रहा है और माँ मगन होकर भजन गा रही हैं, मंजीरा बजा रही हैं। माँ आज भी वैसी ही है। शरीर की ऊर्जा भले कम हो गई है लेकिन मन की ऊर्जा यथावत है।



वैसे हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की कोई परम्परा नहीं रही है। लेकिन परिवार में जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं उन्होंने पिताजी के जन्मशती वर्ष में इस बार 100 पेड़ लगाए हैं।

आज मेरे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है, मेरे व्यक्तित्व में जो कुछ भी अच्छा है, वो माँ और पिताजी की ही देन है। आज जब मैं यहाँ दिल्ली में बैठा हूँ, तो कितना कुछ पुराना याद आ रहा है।

मेरी माँ जितनी सामान्य हैं, उतनी ही असाधारण भी। ठीक वैसे ही, जैसे हर माँ होती है। आज जब मैं अपनी माँ के बारे में लिख रहा हूँ, तो पढ़ते हुए आपको भी ये लग सकता है कि अरे, मेरी माँ भी तो ऐसी ही हैं, मेरी माँ भी तो ऐसा ही किया करती हैं। ये पढ़ते हुए आपके मन में अपनी माँ की छवि उभरेगी।

माँ की तपस्या, उसकी संतान को, सही इंसान बनाती है। माँ की ममता, उसकी संतान को मानवीय संवेदनाओं से भरती है। माँ एक व्यक्ति नहीं है, एक व्यक्तित्व नहीं है, माँ एक स्वरूप है। हमारे यहाँ कहते हैं, जैसा भक्त वैसा भगवान। वैसे ही अपने मन के भाव के अनुसार, हम माँ के स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं।

मेरी माँ का जन्म, मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। बड़नगर से ये बहुत दूर नहीं है।

मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। एक शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं है। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता, वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ, उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ ग़रीबी और घर में हर तरफ अभाव।

हम आज के समय में इन स्थितियों को जोड़कर देखें तो कल्पना कर सकते हैं कि मेरी माँ का बचपन कितनी मुश्किलों भरा

था। शायद ईश्वर ने उनके जीवन को इसी प्रकार से गढ़ने की सोची थी। आज उन परिस्थितियों के बारे में माँ सोचती हैं, तो कहती हैं कि ये ईश्वर की ही इच्छा रही होगी। लेकिन अपनी माँ को खोने का, उनका चेहरा तक ना देख पाने का दर्द उन्हें आज भी है।

बचपन के संघर्षों ने मेरी माँ को उम्र से बहुत पहले बड़ा कर दिया था। वो अपने परिवार में सबसे बड़ी थीं और जब शादी हुई तो भी सबसे बड़ी बहू बनीं। बचपन में जिस तरह वो अपने घर में सभी की चिंता करती थीं, सभी का ध्यान रखती थीं, सारे कामकाज की जिम्मेदारी उठाती थीं, वैसे ही जिम्मेदारियाँ उन्हें सुसुराल में उठानी पड़ीं। इन जिम्मेदारियों के बीच, इन परेशानियों के बीच, माँ हमेशा शांत मन से, हर स्थिति में परिवार को संभाले रहीं।

बड़नगर के जिस घर में हम लोग रहा करते थे वो बहुत ही छोटा था। उस घर में कोई खिड़की नहीं थी, कोई बाथरूम नहीं था, कोई शौचालय नहीं था। कुल मिलाकर मिट्टी की दीवारों और खपरैल की छत से बना वो एक-डेढ़ कमरे का ढांचा ही हमारा घर था, उसी में माँ-पिताजी, हम सब भाई-बहन रहा करते थे।

उस छोटे से घर में माँ को खाना बनाने में कुछ सहूलियत रहे इसलिए पिताजी ने घर में बांस की फट्टी और लकड़ी के पटरों की मदद से एक मचान जैसी बनवा दी थी। वही मचान हमारे घर की रसोई थी। माँ उसी पर चढ़कर खाना बनाया करती थीं और हम लोग उसी पर बैठकर खाना खाया करते थे।

सामान्य रूप से जहाँ अभाव रहता है, वहाँ तनाव भी रहता है। मेरे माता-पिता की विशेषता रही कि अभाव के बीच भी उन्होंने घर में कभी तनाव को हावी नहीं होने दिया। दोनों ने ही अपनी-अपनी जिम्मेदारियाँ साझा की हुई थीं।

कोई भी मौसम हो, गर्मी हो, बारिश हो, पिताजी चार बजे भोर में घर से निकल जाया करते थे। आसपास के लोग पिताजी के कदमों की आवाज से जान जाते थे कि 4 बज गए हैं, दामोदर काका जा रहे हैं। घर से निकलकर मंदिर जाना, प्रभु दर्शन करना और फिर चाय की दुकान पर पहुँच जाना उनका नित्य कर्म रहता था।

माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थीं। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह-सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थीं। गेहूँ पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थीं। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियाँ गुनगुनाती रहती थीं। नरसी मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है “जलकमल छांडी जाने बाला, स्वामी अमारो जागशे” वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, “शिवाजी नु हालरहु”, माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थीं।

माँ कभी अपेक्षा नहीं करती थीं कि हम भाई-बहन अपनी पढ़ाई छोड़कर उनकी मदद करें। वो कभी मदद के लिए, उनका

हाथ बंटाने के लिए नहीं कहती थीं। माँ को लगातार काम करते देखकर हम भाई-बहनों को खुद ही लगता था कि काम में उनका हाथ बंटाएँ। मुझे तालाब में नहाने का, तालाब में तैरने का बड़ा शौक था इसलिए मैं भी घर के कपड़े लेकर उन्हें तालाब में धोने के लिए निकल जाता था। कपड़े भी धुल जाते थे और मेरा खेल भी हो जाता था।

घर चलाने के लिए दो चार पैसे ज्यादा मिल जाएँ, इसके लिए माँ दूसरों के घर के बर्तन भी माँजा करती थीं। समय निकालकर चरखा भी चलाया करती थीं क्योंकि उससे भी कुछ पैसे जुट जाते थे। कपास के छिलके से रुई निकालने का काम, रुई से धागे बनाने का काम, ये सब कुछ माँ खुद ही करती थीं। उन्हें डर रहता था कि कपास के छिलकों के काँटें हमें चुभ ना जाएँ।

अपने काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना, अपना काम किसी दूसरे से करवाना उन्हें कभी पसंद नहीं आया। मुझे याद है,

बड़नगर वाले मिट्टी के घर में बारिश के मौसम से कितनी दिक्कतें होती थीं। लेकिन माँ की कोशिश रहती थी कि परेशानी कम से कम हो। इसलिए जून के महीने में, कड़ी धूप में माँ घर की छत की खपरैल को ठीक करने के लिए ऊपर चढ़ जाया करती थीं। वो अपनी तरफ से तो कोशिश करती ही थीं लेकिन हमारा घर इतना पुराना हो गया था कि उसकी छत, तेज़ बारिश सह नहीं पाती थी।

बारिश में हमारे घर में कभी पानी यहाँ से टपकता था, कभी वहाँ से। पूरे घर में पानी ना भर जाए, घर की दीवारों को नुकसान ना पहुँचे, इसलिए माँ ज़मीन पर बर्तन रख दिया करती थीं। छत से टपकता हुआ पानी उसमें इकट्ठा होता रहता था। उन पलों में भी मैंने माँ को कभी परेशान नहीं देखा, खुद को कोसते नहीं देखा।

आप ये जानकर हैरान रह जाएँगे कि बाद में उसी पानी को माँ घर के काम के लिए अगले 2-3 दिन तक इस्तेमाल करती थीं। जल संरक्षण का इससे अच्छा उदाहरण क्या हो सकता है।

माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थीं। वो घर के भीतर की ज़मीन को गोबर से लीपती थीं। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआँ होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थीं। धुआँ निकल नहीं पाता था इसलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थीं। हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थीं। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियाँ बनाकर भी उन्हें सजाया करती थीं। पुरानी चीजों को रीसायकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ उसकी भी चैपियन रही हैं।

उनका एक और बड़ा ही निराला और अनोखा तरीका मुझे याद है। वो अक्सर पुराने कागजों को भिगोकर, उसके साथ इमली के बीज पीसकर एक पेस्ट जैसा बना लेती थीं, बिल्कुल गोंद की तरह। फिर इस पेस्ट की मदद से वो दीवारों पर शीशों के टुकड़े चिपकाकर बहुत सुंदर चित्र बनाया करती थीं। बाजार से कुछ-कुछ सामान लाकर वो घर के दरवाजे को भी सजाया करती थीं।

माँ इस बात को लेकर हमेशा बहुत नियम से चलती थीं कि बिस्तर बिल्कुल साफ-सुथरा हो, बहुत अच्छे से बिछा हुआ हो। धूल का एक भी कण उन्हें चादर पर बर्दाशत नहीं था। थोड़ी सी सलवट देखते ही वो पूरी चादर फिर से झाड़कर करीने से बिछाती थीं। हम लोग भी माँ की इस आदत का बहुत ध्यान रखते थे। आज इतने वर्षों बाद भी माँ जिस घर में रहती हैं, वहाँ इस बात पर बहुत ज़ोर देती हैं कि उनका बिस्तर जरा भी सिकुड़ा हुआ ना हो।

हर काम में पर्फेक्शन का उनका भाव इस उम्र में भी वैसा का वैसा ही है। और गाँधीनगर में अब तो भैया का परिवार है, मेरे भतीजों का परिवार है, वो कोशिश करती हैं कि आज भी अपना सारा काम खुद ही करें।

साफ-सफाई को लेकर वो कितनी सतर्क रहती हैं, ये तो मैं आज भी देखता हूँ। दिल्ली से मैं जब भी गाँधीनगर जाता हूँ, उनसे मिलने पहुँचता हूँ, तो मुझे अपने हाथ से मिठाई ज़रूर खिलाती हैं। और जैसे एक माँ, किसी छोटे बच्चे को कुछ खिलाकर उसका मुँह पोंछती है, वैसे ही मेरी माँ आज भी मुझे कुछ खिलाने के बाद किसी रुमाल से मेरा मुँह ज़रूर पोंछती हैं। वो अपनी साढ़ी में हमेशा एक रुमाल या छोटा तौलिया खांसकर रखती हैं।

माँ के सफाई प्रेम के तो इतने किस्से हैं कि लिखने में बहुत बक्त बीत जाएगा।

माँ में एक और खास बात रही है। जो साफ-सफाई के काम करता है, उसे भी माँ बहुत मान देती है। मुझे याद है, वडनगर में हमारे घर के पास जो नाली थी, जब उसकी सफाई के लिए कोई आता था, तो माँ बिना चाय पिलाए, उसे जाने नहीं देती थीं। बाद में सफाई वाले भी समझ गए थे कि काम के बाद अगर चाय पीनी है, तो वो हमारे घर में ही मिल सकती है।

मेरी माँ की एक और अच्छी आदत रही है जो मुझे हमेशा याद रही। जीव पर दया करना उनके संस्कारों में झलकता रहा है। गर्मी के दिनों में पक्षियों के लिए वो मिट्टी के बर्तनों में दाना और पानी ज़रूर रखा करती थीं। जो हमारे घर के आसपास स्ट्रीट डॉग्स रहते थे, वो भूखे ना रहें, माँ इसका भी ख्याल रखती थीं।

पिताजी अपनी चाय की दुकान से जो मलाई लाते थे, माँ उससे बड़ा अच्छा घी बनाती थीं। और घी पर सिर्फ हम लोगों का ही अधिकार हो, ऐसा नहीं था। घी पर हमारे मोहल्ले की गायों का भी अधिकार था। माँ हर रोज़, नियम से गौमाता को रोटी खिलाती थी। लेकिन सूखी रोटी नहीं, हमेशा उस पर घी लगा के ही देती थीं।

भोजन को लेकर माँ का हमेशा से ये भी आग्रह रहा है कि अन्न का एक भी दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमारे कस्बे में जब किसी

के शादी-ब्याह में सामूहिक भोज का आयोजन होता था तो वहाँ जाने से पहले माँ सभी को ये बात ज़रूर याद दिलाती थीं कि खाना खाते समय अन्न मत बर्बाद करना। घर में भी उन्होंने यही नियम बनाया हुआ था कि उतना ही खाना थाली में लो जितनी भूख हो।

माँ आज भी जितना खाना हो, उतना ही भोजन अपनी थाली में लेती हैं। आज भी अपनी थाली में वो अन्न का एक दाना नहीं छोड़तीं। नियम से खाना, तय समय पर खाना, बहुत चबा-चबा के खाना इस उम्र में भी उनकी आदत में बना हुआ है।

माँ हमेशा दूसरों को खुश देखकर खुश रहा करती हैं। घर में जगह भले कम हो लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा है। हमारे घर से थोड़ी दूर पर एक गाँव था जिसमें मेरे पिताजी के बहुत करीबी दोस्त रहा करते थे। उनका बेटा था अब्बास। दोस्त की असमय मृत्यु के बाद पिताजी अब्बास को हमारे घर ही ले आए थे। एक तरह से अब्बास हमारे घर में ही रहकर पढ़ा। हम सभी बच्चों की तरह माँ अब्बास की भी बहुत देखभाल करती थीं। ईद पर माँ, अब्बास के लिए उसकी पसंद के पकवान बनाती थीं। त्योहारों के समय आसपास के कुछ बच्चे हमारे हाथों ही आकर खाना खाते थे। उन्हें भी मेरी माँ के हाथ का बनाया खाना बहुत पसंद था।

हमारे घर के आसपास जब भी काई साधु-संत आते थे तो

माँ उन्हें घर बुलाकर भोजन अवश्य कराती थीं। जब वो जाने लगते, तो माँ अपने लिए नहीं बल्कि हम भाई-बहनों के लिए आशीर्वाद माँगती थीं। उनसे कहती थीं कि “मेरी संतानों को आशीर्वाद दीजिए कि वो दूसरों के सुख में सुख देखें और दूसरों के दुःख से दुःखी हों। मेरे बच्चों में भक्ति और सेवाभाव पैदा हो उन्हें ऐसा आशीर्वाद दीजिए।”

मेरी माँ का मुझ पर बहुत अटूट विश्वास रहा है। उन्हें अपने दिए संस्कारों पर पूरा भरोसा रहा है। मुझे दशकों पुरानी एक घटना याद आ रही है। तब तक मैं संगठन में रहते हुए जनसेवा के काम में जुट चुका था। घरवालों से संपर्क ना के बराबर ही रह गया था। उसी दौर में एक बार मेरे बड़े भाई, माँ को बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी के दर्शन कराने के लिए ले गए थे। बद्रीनाथ में जब माँ ने दर्शन किए तो केदारनाथ में भी लोगों को खबर लग गई कि मेरी माँ आ रही हैं।

उसी समय अचानक मौसम भी बहुत खराब हो गया था। ये देखकर कुछ लोग केदारघाटी से नीचे की तरफ चल पड़े। वो अपने साथ में कंबल भी ले गए। वो रास्ते में बुजुर्ग महिलाओं से पूछते जा रहे थे कि क्या आप नरेंद्र मोदी की माँ हैं? ऐसे ही पूछते हुए वो लोग माँ तक पहुँचे। उन्होंने माँ को कंबल दिया, चाय पिलाई। फिर तो वो लोग पूरी यात्रा भर माँ के साथ ही रहे। केदारनाथ पहुँचने पर उन लोगों ने माँ के रहने के लिए अच्छा इंतजाम किया। इस घटना का माँ के मन में बड़ा प्रभाव पड़ा। तीर्थ यात्रा से लौटकर जब माँ मुझसे मिलीं तो कहा कि “कुछ तो अच्छा काम कर रहे हो तुम, लोग तुम्हें पहचानते हैं।”

अब इस घटना के इतने वर्षों बाद, जब आज लोग माँ के पास

जाकर पूछते हैं कि आपका बेटा पीएम है, आपको गर्व होता होगा, तो माँ का जवाब बड़ा गहरा होता है। माँ उन्हें कहती है कि जितना आपको गर्व होता है, उतना ही मुझे भी होता है। वैसे भी मेरा कुछ नहीं है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। वो तो भगवान का है।

आपने भी देखा होगा, मेरी माँ कभी किसी सरकारी या सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं जाती हैं। अब तक दो बार ही ऐसा हुआ है जब वो किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में मेरे साथ आई हैं।

एक बार मैं जब एकता यात्रा के बाद श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा कर लौटा था, तो अमदाबाद में हुए नागरिक सम्मान कार्यक्रम में माँ ने मंच पर आकर मेरा टीका किया था।

माँ के लिए वो बहुत भावुक पल इसलिए भी था क्योंकि एकता यात्रा के दौरान फगवाड़ा में एक हमला हुआ था, उसमें कुछ लोग मारे भी गए थे। उस समय माँ मुझे लेकर बहुत चिंता में थीं। तब मेरे पास दो लोगों का फोन आया था। एक अक्षरधाम मंदिर के श्रद्धेय प्रमुख स्वामी जी का और दूसरा फोन मेरी माँ का था। माँ को मेरा हाल जानकर कुछ तसल्ली हुई थी।

दूसरी बार वो सार्वजनिक तौर पर मेरे साथ तब आई थी जब मैंने पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 20 साल पहले का वो शपथग्रहण ही आखिरी समारोह है जब माँ सार्वजनिक रूप से मेरे साथ कहीं उपस्थित रहीं हैं। इसके बाद वो कभी किसी कार्यक्रम में मेरे साथ नहीं आई।

मुझे एक और वाक्या याद आ रहा है। जब मैं सीएम बना था तो मेरे मन में इच्छा थी कि अपने सभी शिक्षकों का सार्वजनिक रूप से सम्मान करूँ। मेरे मन में ये भी था कि माँ तो मेरी सबसे बड़ी शिक्षक रही हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा भी गया है माता से बड़ा कोई गुरु नहीं है—‘नास्ति मातृ समो गुरुः।’ इसलिए मैंने माँ से भी कहा था कि आप भी मंच पर आइएगा। लेकिन उन्होंने कहा कि “देख भाई, मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तुम्हारा मेरी कोख से जन्म लेना लिखा हुआ था। तुम्हें मैंने नहीं भगवान ने गढ़ा है।” ये कहकर माँ उस कार्यक्रम में नहीं आई थीं। मेरे सभी शिक्षक आए थे, लेकिन माँ उस कार्यक्रम से दूर ही रहीं।

लेकिन मुझे याद है, उन्होंने उस समारोह से पहले मुझसे ये ज़रूर पूछा था कि हमारे कस्बे में जो शिक्षक जेठाभाई जोशी जी थे क्या उनके परिवार से कोई उस कार्यक्रम में आएगा? बचपन में मेरी शुरुआती पढ़ाई-लिखाई, मुझे अक्षरज्ञान गुरुजी जेठाभाई जोशी जी ने कराया था। माँ को उनका ध्यान था, ये भी पता था कि अब जोशी जी हमारे बीच नहीं हैं। वो खुद नहीं आई लेकिन जेठाभाई जोशी जी के परिवार को जरूर बुलाने को कहा।

अक्षर ज्ञान के बिना भी कोई सचमुच में शिक्षित कैसे होता है, ये मैंने हमेशा अपनी माँ में देखा। उनके सोचने का दृष्टिकोण,

उनकी दूरगामी दृष्टि, मुझे कई बार हैरान कर देती है।

अपने नागरिक कर्तव्यों के प्रति माँ हमेशा से बहुत सजग रही हैं। जब से चुनाव होने शुरू हुए पंचायत से पार्लियामेंट तक के इलेक्शन में उन्होंने वोट देने का दायित्व निभाया। कुछ समय पहले हुए गांधीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी माँ वोट डालने गई थीं।

कई बार मुझे वो कहती हैं कि देखो भाई, पब्लिक का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। वो बोलती हैं कि अपना शरीर हमेशा अच्छा रखना, खुद को स्वस्थ रखना क्योंकि शरीर अच्छा रहेगा तभी तुम अच्छा काम भी कर पाओगे।

एक समय था जब माँ बहुत नियम से चतुर्मास किया करती थीं। माँ को पता है कि नवरात्रि के समय मेरे नियम क्या हैं। पहले तो नहीं कहती थीं, लेकिन इधर बीच वो कहने लगी हैं कि इतने साल तो कर लिया अब नवरात्रि के समय जो कठिन व्रत-तपस्या करते हो, उसे थोड़ा आसान कर लो।

मैंने अपने जीवन में आज तक माँ से कभी किसी के लिए कोई शिकायत नहीं सुनी। ना ही वो किसी की शिकायत करती हैं और ना ही किसी से कुछ अपेक्षा रखती हैं।

माँ के नाम आज भी कोई संपत्ति नहीं है। मैंने उनके शरीर पर कभी सोना नहीं देखा। उन्हें सोने-गहने का कोई मोह नहीं है। वो पहले भी सादगी से रहती थीं और आज भी वैसे ही अपने छोटे से कमरे में पूरी सादगी से रहती हैं।

ईश्वर पर माँ की अगाथ आस्था है, लेकिन वो अंधविश्वास से कोसो दूर रहती है। हमारे घर को उन्होंने हमेशा अंधविश्वास से बचाकर रखा। वो शुरू से कबीरपंथी रही हैं और आज भी उसी परम्परा से अपना पूजा-पाठ करती हैं। हाँ, माला जपने की आदत-सी पड़ गई है उन्हें। दिन भर भजन और माला जपना इतना ज्यादा हो जाता है कि नींद भी भूल जाती हैं। घर के लोगों को माला छिपानी पड़ती है, तब जाकर वो सोती हैं, उन्हें नींद आती है।

इतने बरस की होने के बावजूद, माँ की यादाश्त अब भी बहुत अच्छी है। उन्हें दशकों पहले की भी बातें अच्छी तरह याद हैं। आज भी कभी कोई रिश्तेदार उनसे मिलने जाता है और अपना नाम बताता है, तो वो तुरंत उनके दादा-दादी या नाना-नानी का नाम लेकर बोलती हैं कि अच्छा तुम उनके घर से हो।

दुनिया में क्या चल रहा है, आज भी इस पर माँ की नज़र रहती है। हाल-फिलहाल में मैंने माँ से पूछा कि आजकल टीवी कितना देखती हैं? माँ ने कहा कि टीवी पर तो जब देखो तब सब आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। हाँ, कुछ हैं जो शांति से समझाते हैं और मैं उन्हें देखती हूँ। माँ इतना कुछ गौर कर रही हैं, ये देखकर मैं आश्चर्यचकित रह गया।

उनकी तेज़ याद्वाशत से जुड़ी एक और बात मुझे याद आ रही है। ये 2017 की बात है जब मैं यूपी चुनाव के आखिरी दिनों में, काशी में था। वहाँ से मैं अमदाबाद गया तो माँ के लिए काशी से प्रसाद लेकर भी गया था। माँ से मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन भी किए थे? माँ पूरा ही नाम लेती हैं- काशी विश्वनाथ महादेव। फिर बातचीत में माँ ने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर तक जाने का रास्ता अब भी वैसा ही है, ऐसा लगता है कि किसी के घर में मंदिर बना हुआ है। मैंने हैरान होकर उनसे पूछा कि आप कब गई थीं? माँ ने बताया कि बहुत साल पहले गई थीं। माँ को उतने साल पहले की गई तीर्थ यात्रा भी अच्छी तरह याद है।

माँ में जितनी ज्यादा संवेदनशीलता है, सेवा भाव है, उतनी ही ज्यादा उनकी नज़र भी पारखी रही है। माँ छोटे बच्चों के उपचार के कई देसी तरीके जानती हैं। बड़नगर वाले घर में तो अक्सर हमारे यहाँ सुबह से ही कतार लग जाती थी। लोग अपने 6-8 महीने के बच्चों को दिखाने के लिए माँ के पास लाते थे।

इलाज करने के लिए माँ को कई बार बहुत बारीक पावडर की ज़रूरत होती थी। ये पावडर जुटाने का इंतजाम घर के हम बच्चों का था। माँ हमें चूल्हे से निकली राख, एक कटोरी और एक महीन सा कपड़ा दे देती थीं। फिर हम लोग उस कटोरी के मुँह पर वो कपड़ा कस के बांधकर 5-6 चुटकी राख उस पर रख देते थे। फिर धीरे-धीरे हम कपड़े पर रखी उस राख को सगड़ते थे। ऐसा करने पर राख के जो सबसे महीन कण होते थे, वो कटोरी में नीचे जमा होते जाते थे। माँ हम लोगों को हमेशा कहती थीं कि “अपना काम अच्छे से करना। राख के मोटे दानों की वजह से बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए”।

ऐसी ही मुझे एक और बात याद आ रही है, जिसमें माँ की ममता भी थी और सूझबूझ भी। दरअसल एक बार पिताजी को एक धार्मिक अनुष्ठान करवाना था। इसके लिए हम सभी को नर्मदा जी के तट पर किसी स्थान पर जाना था। भीषण गर्मी के दिन थे इसलिए वहाँ जाने के लिए हम लोग सुबह-सुबह ही घर से निकल लिए थे। करीब तीन-साढ़े तीन घंटे का सफर रहा होगा। हम जहाँ बस से उतरे, वहाँ से आगे का रास्ता पैदल ही जाना था। लेकिन गर्मी इतनी ज्यादा थी कि ज़मीन से जैसे आग निकल रही हो। इसलिए हम लोग नर्मदा जी किनारे पर पानी में पैर रखकर चलने लगे थे। नदी में इस तरह चलना आसान नहीं होता। कुछ ही देर में हम बच्चे बुरी तरह थक गए। ज़ोर की भूख भी लगी थी। माँ हम सभी की स्थिति देख रही थीं, समझ रही थीं। माँ ने पिताजी को कहा कि थोड़ी देर के लिए बीच में यहाँ रुक जाते हैं। माँ ने पिताजी को

तुरंत आसपास कहीं से गुड़ खरीदकर लाने को कहा। पिताजी दौड़े हुए गए और गुड़ खरीदकर लाए। मैं तब बच्चा था लेकिन गुड़ खाने के बाद पानी पीते ही जैसे शरीर में नई ऊर्जा आ गई। हम सभी फिर चल पड़े। उस गर्मी में पूजा के लिए उस तरह निकलना, माँ की वो समझदारी, पिताजी का तुरंत गुड़ खरीदकर लाना, मुझे आज भी एक-एक पल अच्छी तरह याद है।

दूसरों की इच्छा का सम्मान करने की भावना, दूसरों पर अपनी इच्छा ना थोपने की भावना, मैंने माँ में बचपन से ही देखी है। खासतौर पर मुझे लेकर वो बहुत ध्यान रखती थीं कि वो मेरे और मेरे निर्णयों को बीच कभी दीवार ना बनें। उनसे मुझे हमेशा प्रोत्साहन ही मिला। बचपन से वो मेरे मन में एक अलग ही प्रकार की प्रवृत्ति पनपते हुए देख रही थीं। मैं अपने सभी भाई-बहनों से अलग सा रहता था।

उनकी तेज़ याद्वाशत से जुड़ी एक और बात मुझे याद आ रही है। ये 2017 की बात है जब मैं यूपी चुनाव के आखिरी दिनों में, काशी में था। वहाँ से मैं अमदाबाद गया तो माँ के लिए काशी से प्रसाद लेकर भी गया था। माँ से मिला तो उन्होंने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन भी किए थे? माँ पूरा ही नाम लेती हैं- काशी विश्वनाथ महादेव। फिर बातचीत में माँ ने पूछा कि क्या काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर तक जाने का रास्ता अब भी वैसा ही है, ऐसा लगता है कि किसी के घर में मंदिर बना हुआ है। मैंने हैरान होकर उनसे पूछा कि आप कब गई थीं? माँ ने बताया कि बहुत साल पहले गई थीं।

मेरी दिनचर्या की वजह से, मेरे तरह-तरह के प्रयोगों की वजह से कई बार माँ को मेरे लिए अलग से इंतजाम भी करने पड़ते थे। लेकिन उनके चेहरे पर कभी शिक्षन नहीं आई, माँ ने कभी इसे बोझ नहीं माना। जैसे मैं महीनों-महीनों के लिए खाने में नमक छोड़ देता था। कई बार ऐसा होता था कि मैं हफ्तों-हफ्तों अन्न त्याग देता था, सिर्फ दूध ही पीया करता था। कभी तय कर लेता था कि अब 6 महीने तक मीठा नहीं खाऊँगा। सर्दी के दिनों में, मैं खुले में सोता था, नहाने के लिए मटके के ठंडे पानी से नहाया करता था। मैं अपनी परीक्षा स्वयं ही ले रहा था। माँ मेरे मनोभावों को समझ रही थीं। वो कोई जिद नहीं करती थीं। वो यही कहती थीं- ठीक है भाई, जैसा तुम्हारा मन करे।

माँ को आभास हो रहा था कि मैं कुछ अलग ही दिशा में जा रहा हूँ। मुझे याद है, एक बार हमारे घर के पास गिरी महादेव मंदिर में एक महात्मा जी आए हुए

थे। वो हाथ में ज्वार उगा कर तपस्या कर रहे थे। मैं बड़े मन से उनकी सेवा में जुटा हुआ था। उसी दौरान मेरी मौसी की शादी पड़ गई थी। परिवार में सबको वहाँ जाने का बहुत मन था। मामा के घर जाना था, माँ की बहन की शादी थी, इसलिए माँ भी बहुत उत्साह में थीं। सब अपनी तैयारी में जुटे थे लेकिन मैंने माँ के पास जाकर कहा कि मैं मौसी की शादी में नहीं जाना चाहता। माँ ने वजह पूछी तो मैंने उन्हें महात्मा जी वाली बात बताई।

माँ को दुःख ज़रूर हुआ कि मैं उनकी बहन की शादी में नहीं जा रहा, लेकिन उन्होंने मेरे मन का आदर किया। वो यही बोलीं कि ठीक है, जैसा तुम्हारा मन करे, वैसा ही करो। लेकिन उन्हें इस बात की चिंता थी कि मैं अकेले घर में रहूँगा कैसे? मुझे तकलीफ ना हो इसलिए वो मेरे लिए 4-5 दिन का सूखा खाना बनाकर घर में रख गई थीं।

मैंने जब घर छोड़ने का फैसला कर लिया, तो उसे भी माँ कई दिन पहले ही समझ गई थीं। मैं माँ-पिताजी से बात-बात में कहता ही रहता था कि मेरा मन करता है कि बाहर जाकर देखूँ, दुनिया क्या है। मैं उनसे कहता था कि रामकृष्ण मिशन के मठ में जाना है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी उनसे खूब बातें करता था। माँ-पिताजी ये सब सुनते रहते थे। ये सिलसिला कई दिन तक लगातार चला।

एक दिन आखिरकार मैंने माँ-पिता को घर छोड़ने की इच्छा बताई और उनसे आशीर्वाद माँगा। मेरी बात सुनकर पिताजी बहुत दुःखी हुए। वो थोड़ा खिन्न होकर बोले- तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। लेकिन मैंने कहा कि मैं ऐसे बिना आशीर्वाद घर छोड़कर नहीं जाऊँगा। माँ को मेरे बारे में सब कुछ पता था ही। उन्होंने फिर मेरे मन का सम्मान किया। वो बोलीं कि जो तुम्हारा मन करे, वही करो। हाँ, पिताजी की तसल्ली के लिए उन्होंने उनसे कहा कि वो चाहें तो मेरी जन्मपत्री किसी को दिखा लें। हमारे एक रिश्तेदार को ज्योतिष का भी ज्ञान था। पिताजी मेरी जन्मपत्री के साथ उनसे मिले। जन्मपत्री देखने के बाद उन्होंने कहा कि “उसकी तो राह ही कुछ अलग है, ईश्वर ने जहाँ तय किया है, वो वहाँ जाएगा।”

इसके कुछ घंटों बाद ही मैंने घर छोड़ दिया था। तब तक पिताजी भी बहुत सहज हो चुके थे। पिताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। घर से निकलने से पहले माँ ने मुझे दही और गुड़ भी खिलाया। वो जानती थीं कि अब मेरा आगे का जीवन कैसा होने जा रहा है। माँ की ममता कितनी ही कठोर होने की कोशिश करे, जब उसकी संतान घर से दूर जा रही हो, तो पिघल ही जाती है। माँ की आंख में आँसू थे लेकिन मेरे लिए खूब सारा आशीर्वाद भी था।

घर छोड़ने के बाद के वर्षों में, मैं जहाँ रहा, जिस हाल में रहा, माँ के आशीर्वाद की अनुभूति हमेशा मेरे साथ रही। माँ मुझसे गुजराती में ही बात करती हैं। गुजराती में तुम के लिए तू और आप के लिए तमे कहा जाता है। मैं जितने दिन घर में रहा, माँ मुझसे तू कहकर ही बात करती थीं। लेकिन जब मैंने घर छोड़ा, अपनी राह बदली, उसके बाद कभी भी माँ ने मुझसे तू कहकर बात नहीं की। वो आज भी मुझे आप या तमे कहकर ही बात करती हैं।

मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपने सिद्धांत पर डटे रहने, ग्रीब के लिए काम करते रहने के लिए प्रेरित किया है। मुझे याद है, जब मेरा मुख्यमंत्री बनना तय हुआ तो मैं गुजरात में नहीं था। एयरपोर्ट से मैं सीधे माँ से मिलने गया था। खुशी से भरी हुई माँ का पहला सवाल यही था कि क्या तुम अब यहाँ रहा करोगे? माँ मेरा उत्तर जानती थीं। फिर मुझसे बोलीं- “मुझे सरकार में तुम्हारा काम तो समझ नहीं आता लेकिन मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम कभी रिश्वत नहीं लेना।”

यहाँ दिल्ली आने के बाद माँ से मिलना-जुलना और भी कम हो गया है। जब गाँधीनगर जाता हूँ तो कभी-कभार माँ के घर जाना होता है। माँ से मिलना होता है, बस कुछ पलों के लिए। लेकिन माँ के मन में इसे लेकर कोई नाराज़ी या दुःख का भाव मैंने आज तक महसूस नहीं किया। माँ का स्नेह मेरे लिए वैसा ही है, माँ का आशीर्वाद मेरे लिए वैसा ही है। माँ अक्सर पूछती हैं- दिल्ली में अच्छा लगता है? मन लगता है?

वो मुझे बार-बार याद दिलाती हैं कि मेरी चिंता मत किया करो, तुम पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। माँ से जब भी फोन पर बात होती है तो यही कहती हैं कि “देख भाई, कभी कोई गलत काम मत करना, बुरा काम मत करना, ग्रीब के लिए काम करना।”

आज अगर मैं अपनी माँ और अपने पिता के जीवन को देखूँ, तो उनकी सबसे बड़ी विशेषताएँ रही हैं ईमानदारी और स्वाभिमान। ग्रीबी से जूझते हुए परिस्थितियाँ कैसी भी रही हों, मेरे माता-पिता ने ना कभी ईमानदारी का रास्ता छोड़ा ना ही अपने स्वाभिमान से समझौता किया। उनके पास हर मुश्किल से निकलने का एक ही तरीका था- मेहनत, दिन रात मेहनत।

पिताजी जब तक जीवित रहे उन्होंने इस बात का पालन किया कि वो किसी पर बोझ नहीं बनें। मेरी माँ आज भी इसी प्रयास में रहती हैं कि किसी पर बोझ नहीं बनें, जितना संभव हो पाए, अपने काम खुद करें।

आज भी जब मैं माँ से मिलता हूँ, तो वो हमेशा कहती हैं कि “मैं मरते समय तक किसी की सेवा नहीं लेना चाहती, बस ऐसे ही चलते-फिरते चले जाने की इच्छा है।”

मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ। मैं जब अपनी माँ और उनके जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहनों-बेटियों के लिए असंभव हो।

अभाव की हर कथा से बहुत ऊपर, एक माँ की गौरव गाथा होती है।

संघर्ष के हर पल से बहुत ऊपर, एक माँ की इच्छाशक्ति होती है। माँ, आपको जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होने जा रहा है। सार्वजनिक रूप से कभी आपके लिए इतना लिखने का, इतना कहने का साहस नहीं कर पाया।

आप स्वस्थ रहें, हम सभी पर आपका आशीर्वाद बना रहे, ईश्वर से यही प्रार्थना है।

नमन। ■

(प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के ब्लॉग
<https://www.narendramodi.in> से साभार)



Drishti IAS

CAPF असिस्टेंट कमांडेंट

Quick Revision Course

मोड : लाइव ऑनलाइन

फीस : ₹7500/-

लगभग **120+** घंटों की कक्षाएँ

एडमिशन प्रारंभ

अतिरिक्त जानकारी के लिये कॉल करें/ 9311406441

दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध अन्य कोर्सेज़

IAS Foundation Course
सामान्य अध्ययन
प्रिलिम्स + मैन्स

- 1200+ घंटों की 500+ कक्षाएँ
- सभी टॉपिक के लिये प्रिंटेड नोट्स
- 3 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS Foundation Course
General Studies
Prelims + Mains

- 400+ Classes of 1000+ hrs.
- Printed Notes of All Segments
- Other special facilities for 3 years

IAS Prelims Course
सामान्य अध्ययन
केवल प्रिलिम्स

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'विश्व बुक सीरीज़' की 9 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

IAS + UPPCS + BPSC Optional Subject
हिंदी साहित्य
द्वारा - डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- 400+ घंटों की कक्षाएँ
- पाठ्यक्रम में शामिल सभी पाठ्य-पुस्तकें तथा प्रिंटेड नोट्स
- 145 वैशक अभ्यास प्रश्न और 18 टेस्ट पेपर (ऑफल उत्तर सहित)

BPSC Prelims Course
बिहार PCS

- 350+ घंटों की कक्षाएँ
- 'BPSC सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

RAS/RTS Prelims Course
राजस्थान PCS

- 500+ घंटों की कक्षाएँ
- 'RAS सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

एथिक्स (पेपर-4)
द्वारा - डॉ. विकास दिव्यकीर्ति

- कुल 70 कक्षाएँ
- IAS के साथ-साथ UPPCS के लिये पूर्णतः सटीक
- मूल्यांकन की सुविधा के साथ 6 टेस्ट

UKPSC Prelims Course
उत्तराखण्ड PCS

- 115+ घंटों की कक्षाएँ
- 'UKPSC सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

MADHYAPRADESH PCS

- 450+ घंटों की कक्षाएँ
- 'MPPSC सीरीज़' की 8 पुस्तकें
- 2 वर्षों के लिये अन्य विशेष सुविधाएँ

अतिरिक्त जानकारी के लिये 9311406442
नंबर पर कॉल या वाट्सएप करें

विज़िट करें
www.drishtIAS.com

अपने फोन पर हँस्टॉल करें
Drishti Learning App



छत्तीसगढ़ : आजादी के गीत


डॉ सुशील त्रिवेदी

जनजातीय संस्कृति में परम्परागत गीत-संगीत से ही जनजातीय जीवन-शैली की पहचान बनती है। इन गीतों और संगीत से इन लोगों के जीवन की प्राकृतिक संवेदना, उद्घाम प्यार और आंतरिक ऊर्जा का पता चलता है। छत्तीसगढ़ का जनजातीय क्षेत्र परम्परागत गीत-संगीत से निरंतर गूँजता रहता है। छत्तीसगढ़ के वन-क्षेत्रों और जनजातीय इलाकों ने, शहरी इलाकों से बहुत पहले ही, स्वतंत्रता संघर्ष के प्रारम्भिक दौर में ही ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया था। प्रारम्भ में, जनजातीय बोलियों में इनके गीतों में विद्रोह के स्वर थे, और धीरे-धीरे उसमें पूरे देश में चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष के स्वर शामिल हो गए।

भा

रत को अँग्रेजों के शासन से मुक्ति दिलाने के लिए आगामी तूफान के आसार तो देश में 1853 से ही दिखने लगे थे। यह कहा गया है कि 1853 में “एक बदली जो हाथ भर से अधिक बड़ी नहीं थी वह पूरे आकाश मंडल में छा जाने के लिए बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी और कुछ समय में ही, 1857 में, एक तूफान बन गई।” भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास पराधीनता की पीड़ा और शोषण की कड़वाहट को व्यक्त करता है तो उसके साथ ही वह पराधीनता से मुक्ति पाने के संघर्ष के दौरान भारतवासियों में देश गैरव की नवजागृत चेतना से भी परिचय कराता है। हमारे इतिहास का यह अध्याय यदि देश की वेदी पर बलिदान करने वाले अमर शहीदों के रक्त से रंजित है तो वह शांति और अहिंसा के सिद्धांत पर चलकर किए गए सत्याग्रह की तेज़स्विता से भी आपूरित है। स्वतंत्रता के लिए किए जाने वाले संग्राम में समाज के सभी वर्गों ने भागीदारी की थी। इस संघर्ष में देश में नवजागरण लाने के प्रयास में साहित्यकारों, पत्रकारों और लोक कलाकारों ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई थी। इन रचनाकारों ने अपनी रचनाओं में सशस्त्र सैनिकों से लेकर भूमिगत क्रांतिकारियों तक, सुधाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के सेनानियों से लेकर महात्मा गांधी के अनुयायी सत्याग्रहियों तक और अन्य महानायकों से लेकर आम लोगों तक के योगदान को उजागर किया था।

देश के हर राज्य की प्रमुख भाषा में उस काल में ऐसा साहित्य रचा गया जिससे राष्ट्रीय चेतना उत्तेजित हुई थी। प्रमुख भाषाओं



प्रकाशन विभाग द्वारा आजादी के गीतों पर आधारित एक पुस्तक

के स्थापित रचनाकारों ने देशभक्ति की रचनाओं के द्वारा पराधीनता को सबसे बड़ा अभिशाप बताया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष तथा आत्म-उत्सर्ग करने की प्रेरणा दी थी। देश की प्रमुख भाषाओं के साथ-साथ लोक भाषाओं और जनजातीय भाषाओं तथा बोलियों में भी राष्ट्रीय चेतना जागृत करने वाले गीतों की रचना हुई। यह कहना उचित होगा है कि प्रमुख भाषाओं की रचनाओं का प्रसार प्रबुद्ध वर्ग तक सीमित था जबकि लोक भाषाओं तथा जनजातीय भाषाओं और बोलियों में रचे गये गीत आम-जन के अपने गीत बन गए थे। जैसे हर मौसम, हर उत्सव, हर त्योहार और हर संस्कार के लिए लोकगीत घर-घर गए जाते हैं वैसे ही स्वतंत्रता के संग्राम का गुणगान करने, लोगों को संघर्ष करने की प्रेरणा देने और शहीदों का मान करने वाले लोकगीत तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना के संस्कार गीत बन गए थे।

जनजातीय संस्कृति में पारम्परिक गीत और संगीत आदिवासियों की जीवनशैली की पहचान बनाते हैं। उनके जीवन के हर सोपान में गीत और संगीत उनके नैसर्गिक उत्साह, निश्चल प्रेमभाव और स्वाभाविक ओज को लालित्य के साथ प्रदर्शित करता है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल में परम्परागत जनजातीय गीतों की स्वर और संगीत की ध्वनि अनवरत तरंगित होती रहती है। छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्रों और आदिवासी इलाकों में, वैसे भी शहरी क्षेत्रों से कहीं बहुत पहले, अँग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की बड़ी घटनाओं के रूप में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बज गया था। आदिवासी क्षेत्रों में उनकी अपनी बोलियों के गीतों में पहले उनके



एक कोटक व्यक्ति पारम्परिक बाँसुरी पर भुगाड़ बजाते हुए

अपने क्षेत्र के विद्रोह और फिर देश में चल रहे आंदोलन के स्वर लोक में गूंजने लगे। ये जनजातीय गीत एक ओर तो अपने नायक का गुणगान करते थे तो दूसरी ओर अपने साथियों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे।

आदिवासियों की स्वतंत्र चेतना अलग-अलग जनजातीय बोलियों- हलबी, भतरी, मुरिया, गोंडी, उरांव, कोरकू, बैगा आदि के- गीतों में उभरती है। इन गीतों की विषय-वस्तु आदिवासी विद्रोहों की घटनाएँ और राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की घटनाएँ हैं। इनमें भी छत्तीसगढ़ में हुए आदिवासी विद्रोह की दो सबसे बड़ी घटनाएँ इन गीतों में सर्वाधिक मार्मिकता और विस्तार के साथ उभरती हैं। इनमें से पहली घटना सोनाखान के जमींदार वीर नारायण सिंह द्वारा 1857 में आदिवासी किसानों की सेना लेकर अँग्रेजों से युद्ध करने और उन्हें सार्वजनिक रूप से फाँसी दी जाने से संबंधित है और दूसरी घटना बस्तर में 1910 में गुंडाधुर के नेतृत्व में हुए महान विप्लव 'भुमकाल' की घटना से जुड़ी है।

छत्तीसगढ़ी में नारायण सिंह का गुणगान

"छत्तीसगढ़ हर ठोकिस ताल, अटठारह सो सतावन साल ।

गरजिस वीर नारायण सिंह-लेखिस सबै फिरंगी हीन ।

कर भारत माँ के जैकार, पहिरिन फाँसी के गलहार ।

कतको करीन बीर बलिदान, उन शहीद मन ला परनाम ।"

गीत में कहा गया है, 1857 के वर्ष में छत्तीसगढ़ ने अपनी ताल ठोक दी। वीर नारायण सिंह ने गर्जना की, जिससे सारे फिरंगी घबरा गए। वीर नारायण सिंह ने भारत माँ की जय बोलते हुए फाँसी का फंदा गले के हार के रूप में पहन लिया। अनेक वीरों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए बलिदान किया है- उन सभी को प्रणाम।

सन् 1920 के बाद जब स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने सम्भाला तो आंदोलन गाँव-गाँव तक फैल गया। छत्तीसगढ़ी में लोकगीत 'ददरिया' की दो पक्कियों वाली शैली में स्वराज की भावना बड़ी मार्मिकता से व्यक्त हुई है-

दिया माँगे बाती, बाती माँगे तेल।

सुराज लेबो अंगरेज, कतका देबे जेल?

दीपक बाती माँगता, बाती तेल माँगती है। अरे अंगरेज! हम स्वराज्य लेकर रहेंगे, चाहे तुम हमें कितनी ही बार जेल में डालो।

छत्तीसगढ़ी में ही आल्हा शैली में राष्ट्रीय आल्हा, आल्हा सुराज और अन्य अनेक गीत बहुत प्रचलित हुए थे।

भतरी बोली में भुमकाल गीत

बस्तर की सभी जनजातीय बोलियों में भतरी सर्वाधिक लालित्यपूर्ण बोली है। इस बोली में बस्तर के स्वतंत्रता संग्राम का साक्षी है- 'भुमकाल गीत' अर्थात् 'विप्लव गीत'। इस गीत की कुछ पक्कियाँ इस प्रकार हैं-

सुना सुजन हे, सान-सियान हे!

भुमकाल-गीत, गाइ सुनाइबी।

किरपा करो मोके हे भगवान!

काई के ना जानी, पीला लोक मुई।

सुना तमी-बाप-भाई।

कायेरी कुचर, पाँगन-नासन

करले आचे काय लाभ।

रोजे दिनर अत्येचार ने चेत चेघला।

इस गीत में पूरे भुमकाल विद्रोह का वर्णन है। इन प्रारंभिक पक्कियों में गायक कहता है- ओ सुजन! ओ छोटे-बड़े! मैं तुम्हें भुमकाल गीत सुनाता हूँ। हे भगवान दया करो, नादान हूँ। तुम्हीं पिता हो, तुम्हीं बंधु हो। ईर्ष्या द्वेष, मारण-मंत्र से क्या लाभ। रोज-रोज के अत्येचारों से गढ़ेया ग्रामवासियों में चेतना आई। और इसके बाद पूरे गीत में भुमकाल क्रांति का घटना क्रम गाया गया है।

हलबी गीत

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में हलबा जन जाति अत्यंत संघर्षशील और प्रगत मानी जाती है। इस जन जाति की हलबी बोली में अनेक गीत संघर्ष का शांखनाद करते थे।

स्वतंत्र रत्नो आमचो भारत, एक हजार बरख आगे।

हरिक पदिम देश थे रलो, तेबेले कहानी जागे॥

सत धरम ले लोर रला, रजो धरम चो छाप।

सरसुन ने गोटी धान ने पोल, निकरते रला पाप॥

यह हलबी लोक गीत जनजातीय लोक गीत परम्परा की एक महान निधि है। यह एक लंबी रचना है जिसमें भारत का गुणगान करते हुए पूरे स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास वर्णित है। इस गीत के प्रारंभ में यह कहा गया है कि 1000 साल पहले हमारा भारत एक स्वतंत्र देश था यहाँ सत्य और धर्म का राज था। यहाँ समय पर वर्षा होती थी और भरपूर फसल पैदा होती थी। यहाँ के लोग भूख और दुख को नहीं जानते थे।

प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का वर्णन इस प्रकार है-

अठारा सौ संतावन बरख इली, देस न शुमुक होली॥

मारा-मारी पूजा-पूजी, ठाने ठाने गोली॥

कितरो साहेब मारे गेला, कितरो बायले पिला।

मारा पेटा धरा झमा, मरते मरते दिला॥

हिंदु पठान मिलन संगी, सुलाम भुमुक होला॥

तोप, तरवार, बंदूक भाला, मारला गोली गोला॥

और इसके बाद पूरा इतिहास हलबी लोक गीत की पारम्परिक धुन में उभरता है।

गोंडी गीत

छत्तीसगढ़ में गोंड जन जाति का प्राधान्य रहा है और उनकी गोंडी बोली में अनेक गीत रचे गए जो आदिवासी क्षेत्र में जन जीवन का अंग बन गए। ऐसे तीन गीत-

भरत भैया अंग्रेज से करो रे लड़ाई।
कुन धरे टंगिया, कुन धरे बलुआ, कुन धरे तीर गुलेला।
मर्द तो धरे तोरे अंगिया रे टंगिया,
नारी धरीन तोरे फरसा।
जंगल के रहने वाले बैगा रे भैया, वा धरे तीर गुलेला।
गोण्ड भैया धरे तोरे लपकी बुंदकिया।
औ म भरे जेहर के गोलियाँ।

इस गोंडी गीत में गायक कहता है— हे मित्र, हमें अब अँग्रेजों से लड़ाई करनी पड़ेगी। यह निर्णय करना होगा कि कौन टंगिया, बल्लम और तीर गुलेल चलायेगा। आज़ादी की इस लड़ाई में पुरुष कंधे पर टंगिया रखेंगे और स्त्रियाँ हाथ में फरसा लेंगी। एकदम जंगल में रहने वाले बैगा भाई तीर और गुलेल चलाकर साथ देंगे। सारे गोंड लोग नई और तेज़ मार करने वाले बंदूक रखेंगे। बंदूकों में ऐसी जहरीली गोलियाँ भरी हैं जिनके लगने से कोई भी दुश्मन नहीं बच सकता।

एक अन्य गीत में कहा गया है :

हम भारत के गोण्ड-बैगा, आज़ादी ख्यार।
अंग्रेजन ला मार भगाओ, भारत ले रे।
हम भैया छाती अड़ाओ, हम तो खून बहाओ, भारत ख्यार।
अंग्रेजन ला मार भगाओ, भारत ले रे।
हम भारत के भाई-बहिने, मिलके करवो रक्षा,
अंग्रेजन ला मार भगाओ, करवो अपना रक्षा, भैया भारत ख्यार।
अंग्रेजन ला मार भगाओ, भारत ले रे।
हम भारत के गोण्ड-बैगा,
कर देवो जान निछावर, भैया भारत ख्यार।
अंग्रेजन ला मार, भगाओ, भारत ले रे।



बैगा जनजातीय नृत्य करते हुए

हम भारत के रहने वाले आदिवासी गोण्ड और बैगा हैं। हममें भी आजाद रहने की लालसा है, इसलिए हमें अपनी छाती पर गोलियाँ झेलना पड़े, खून बहाना पड़े, हम सब भाई-बहिन भारत की रक्षा करेंगे। हम सभी गोण्ड-बैगा भाईयों से निवेदन करते हैं कि अपने प्राण देश पर निछावर करने का अवसर आ गया है। एकता और साहस से अँग्रेजों को मार भगाना आज सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इससे कोई भी गोण्ड और बैगा पीछे नहीं हटेगा।

बैगा गीत

छत्तीसगढ़ के मध्य में बसने वाली बैगा जन जाति विशेष पिछड़ी जन जाति है। इसकी अपनी विशेष सांस्कृतिक पहचान है और इसके लोकगीत और नृत्य अत्यंत प्रभावशाली हैं। बैगा क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की भावना उनकी बोली में कुछ ऐसे व्यक्त हुई :

देश ला काम आबो बाय, देश ला जिताबो रे।

डॉंगरी पहार रे, गाँधी संग जाबो रे॥

फिरंगी ला भगाबो बाय, देश ला जिताबो रे।

डॉंगरी पहार रे, गाँधी संग जाबो रे॥

सुभाष संग जाबो रे, गाँधी संग जाबो बाय।

देश ला काम आबो बाय, देश ला बचाबो रे॥

इन ला न रहन देबो बाय, देश ला बचाबो रे।

डॉंगरी पहार रे गाँधी संग जाबो रे॥

ऐ बाई मुझे देश को जिताना है चाहे उसमें शहीद हो जाऊँ। मुझे जंगलों और पहाड़ों पर गाँधी जी के साथ जाना है। अँग्रेजों को देश से भगाना है और देश को आजाद कराना है। इसके लिए मैं जंगलों और पहाड़ों पर गाँधी जी के साथ जाऊँगा। मैं सुभाष चंद्र बोस के पास जाऊँ या गाँधी जी के पास जाऊँ। परंतु देश को आजाद करा कर ही रहूँगा चाहे उसमें शहीद हो जाऊँ। इन अँग्रेजों को अब अपने देश में नहीं रहने दूँगा। हमें अपने देश को बचाना है, उसके लिए जंगलों और पहाड़ों पर गाँधी जी के साथ जाना है।

उरांव गीत

छत्तीसगढ़ के उत्तर में उरांव जन जाति बहुत प्रभावशील है। इस जन जाति की उरांव बोली में अनेक गीत रचे गए थे जो पूरे क्षेत्र की राष्ट्रीय आंदोलन को उभारते थे। ऐसा ही एक गीत :

चींया चींया बाबा राजिनिम चींया बाबा

देशेनिम चींया बाबा किलसनिम चींया बाबा

राजा अंग्रेज, हाकिम अंग्रेज, जरीछार ननाबाबा

राजिनिम चींया बाबा देशेनिम चींया बाबा

इस गीत में उरांव जाति के लोग अपने इष्टदेव चींया बाबा का स्मरण करते हुए कहते हैं— अँग्रेज़ राजा को हटाओ, जनता का राज्य लाओ।

स्वतंत्रता संग्राम की लोकधर्मिता को नमन

भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर लोकांचलों और आदिवासी क्षेत्रों में गूंजने वाले ये गीत आदिवासियों की स्वतंत्रता की चेतना और देश की मुक्ति के लिए किए गए उनके संघर्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति हैं। ये गीत हमारी वाचिक परम्परा की अमूल्य धरोहर भी हैं। ये गीत यह भी बताते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम लोकधर्मी था। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव पर इन लोक गीतों का स्मरण कर हम स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासियों के महान योगदान का स्मरण करते हैं और उन्हें नमन करते हैं। ■

ट्रांसपेरेंसी कोड के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था, 14e के शीर्षकों के वास्तविक नए संस्करण की पहचान करें

ISBN: 9789355320643

INR: 725




भारतीय अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति की पहचान करने के लिए:

- ऐप स्टोर या गगल प्ले से ट्रांसपेरेंसी ऐप डाउनलोड करें
- पुस्तक की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए ट्रांसपेरेंसी ऐप के साथ क्यूआर कोड को स्कैन करें
- पुस्तक को प्रामाणिक के रूप में सत्यापित किए जाने पर ऐप एक हरे रंग का चेकमार्क प्रदर्शित करेगा


पीछे ट्रांसपेरेंसी कोड स्टीकर देखें

अगर आपको पीछे स्टीकर नहीं मिलता है तो इसे पायरेटेड समझें

यू.पी.पी.सी.एस. एवं अन्य राज्य परीक्षाओं हेतु उपयोगी पुस्तकें



INR: 375



INR: 410

ISBN: 9789355321206

ISBN: 9789355321244

**खरीदने के लिए
स्कैन करें ►**



*Prices are subject to change.

VH-19642022

Toll free number: 18001035875 | support.india@mheducation.com | www.mheducation.co.in

गोंड समुदाय की समृद्ध विरासत

डॉ शामराव कोरेति

विरासत किसी भी व्यक्ति या समूह की पहचान, चेतना और एकजुटता का बुनियादी स्रोत होती है। भारतीय जनजातीय समुदाय हमेशा से लोगों की दिलचस्पी का केंद्र रहा है। पूर्वजों से हमें जो भी विरासत में मिली है, उसे धरोहर, सामाजिक संरचना, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहलू जैसे नाम दिए जा सकते हैं। भारत के जनजातीय समूहों की सामाजिक-सांस्कृतिक बारीकियों को प्रमुखता से पेश करने की ज़रूरत है, खास तौर पर मध्य भारत के गोंड समुदाय के सांस्कृतिक पहलुओं के बारे में भी बताया जाना चाहिए। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, देश में जनजातीय समुदाय के लोगों की संख्या 10.9 करोड़ थी। देश की कुल आबादी में इस समुदाय की हिस्सेदारी 8.6 प्रतिशत है। देश के कुल जनजातीय समूहों में गोंड समुदाय की संख्या सबसे ज्यादा है।



ड समुदाय में कई उप-जनजातियाँ हैं। हालांकि, सांस्कृतिक और नस्लीय तौर पर ये सभी एक जैसी हैं। नस्ल के तौर पर गोंड समुदाय की उत्पत्ति को लेकर कई तरह के सिद्धांत पेश किए गए हैं। हालांकि, जाने-माने मानव विज्ञानी हीमेनडोर्फ की राय है कि हिंदुओं और अन्य समुदाय के लोगों ने इस जनजातीय समुदाय का नाम गोंड रखा। इस समुदाय के लोग अपने लिए इस नाम का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बजाय वे अभी भी खुद की पहचान 'कोई' या 'कोईतुर' के तौर पर बताते हैं।

गोंड समुदाय की सामाजिक संरचना काफी पुरानी और अनूठी है। यह सामाजिक व्यवस्था इस समुदाय के मार्गदर्शक और गुरु पहाँदी कुपार लिंगों द्वारा स्थापित की गई थी। यह व्यवस्था अपने अनोखेपन के साथ अभी तक चल रही है। समय-समय पर दूसरे समुदायों द्वारा कई तरह के हस्तक्षेप का सामना करने के बावजूद गोंड समुदाय अपनी परम्पराओं के साथ जीवन-यापन कर रहा है। गोंड समुदाय से जुड़ी सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन से पता चला है कि यह समुदाय अब अपने सामाजिक विकास के शुरुआती चरण से काफी आगे बढ़ चुका है, जबकि इससे जुड़े कुछ तबके सभ्यता के अपक्षेकृत आधुनिक चरण से भी जुड़ चुके हैं। इस समुदाय में 750 गोत्र हैं और 2,250 कुल देवी-देवता हैं। शुरुआत में इस समुदाय से जुड़ी 12 कथाएँ थीं, जो अब सिर्फ 4 हैं।

परिवार : गोंड समुदाय की सबसे छोटी सामाजिक इकाई परिवार है। किसी गोत्र या कुल में कई परिवारों का समूह होता है। परिवार एक पक्षीय सामाजिक समूह होता है, जिसमें मुख्य तौर पर उनके माता-पिता और बच्चे (लड़का-लड़की दोनों) होते हैं। जहाँ तक महिलाओं की बात है, तो सिर्फ अविवाहित बेटियों को ही परिवार का सदस्य माना जाता है। विवाह के बाद लड़कियाँ अपने पति के परिवार का हिस्सा बन जाती हैं। गोंड समुदाय से जुड़ा परिवार पितृवंशीय होता


है यानी लड़कियों को शादी के बाद अपने पति के घर जाना पड़ता है।

पारी (गोत्र) : गोंड समुदाय की सामाजिक संरचना में परिवार के बाद की इकाई गोत्र है। यह समूह अपने गोत्र या समूह के लिए 'पारी' शब्द का इस्तेमाल करता है। गोंड समुदाय में 'पारी' का मतलब परिवारों के ऐसे समूह से है, जो एक ही गोत्र से आते हैं। इस गोत्र के सदस्य मानते हैं कि उनके पूर्वज एक ही थे। यह गोत्र पितृवंशीय होता है। बच्चों का गोत्र पुरुषों से ही तय होता है। विवाहित होने से पहले तक महिला का गोत्र अपने पिता के गोत्र से जुड़ा होता है। हालांकि, विवाहित महिला को अपने पिता के गोत्र का नहीं माना जाता है। सिर्फ पुरुष का ही गोत्र जन्म से लेकर मृत्यु तक एक रहता है और बच्चों का गोत्र, पिता के हिसाब से ही तय होता है। इस समुदाय में तकरीबन 700 गोत्र और 2,000 से भी ज्यादा कुल देवी-देवता हैं।

उप-जनजातियाँ/उपजातियाँ : गोंड समुदाय से जुड़ी कई उप-जनजातियाँ भी हैं, जिन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्रधान, ओझा, नागर्ची, ढोली और अन्य उप-जनजातियाँ। राज-गोंड,



गोंड समुदाय के सदस्य



गोंड भित्ति चित्र और पुष्प डिजाइन पौधों और जनवरों के ज्यामितीय और शैलीगत आकृतियों को दर्शाते हैं।

खटोला-गोंड, मड़िया-गोंड, धुर-गोन्ड, डडवे-गोंड, मोकाशी-गोंड, गैता-गोन्ड आदि उप-जनजातियाँ भी गोंड समुदाय का ही हिस्सा हैं। भले ही ये अलग-अलग दिखें, लेकिन इन सभी का सामाजिक स्वोत गोंड समुदाय ही है। उनका शारीरिक ढांचा, संस्कृति, खान-पान सब कुछ गोंड परम्परा से ही जुड़ा है।

रिश्ते-नाते

लोगों और सामाजिक समूहों व लोगों के बीच सामाजिक संबंधों का आधार रिश्ते-नाते होते हैं। रिश्ते-नाते के आधार पर ही परस्पर अधिकार और कर्तव्य भी तय होते हैं। परिवार के ढांचे और विवाह के तौर-तरीकों में जितनी तेज़ी से बदलाव हुआ है, रिश्ते-नाते के मामले में इस तरह का बदलाव देखने को नहीं मिलता।

महिलाओं की स्थिति : पारम्परिक गोंड समाज में मोटे तौर पर महिलाओं की हैसियत पुरुषों के बराबर ही है। वे पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और हर काम में हाथ बँटाती हैं। जीविकोपार्जन में भी महिलाओं की भूमिका होती है। ज्यादातर घरेलू काम महिलाएँ ही करती हैं। वे बच्चों और पशुओं की देखभाल करती हैं। साथ ही, परिवार के लिए खाना भी बनाती हैं। परिवार के सभी अहम फैसलों और विवादों में, पुरुष अपनी पत्नी से सलाह लेता है और उनकी राय का भी सम्मान करता है। महिलाओं को कुछ रीति-रिवाजों से दूर रखा जाता है। कुल मिलाकर, गोंड महिलाओं की अपने समाज में हैसियत सम्मानजनक होती है। प्रजनन और

उत्पादन दोनों मामलों में ऐसा है। हालांकि, बदलते वक्त के साथ गोंड समाज में महिलाओं की स्थिति में कुछ बदलाव हुए हैं।

विवाह : पारम्परिक गोंड समाज में कई तरह के विवाह का प्रचलन है। गोंड समुदाय में उन रिश्तेदारों के बीच शादी का प्रचलन नहीं है, जहाँ खून का रिश्ता हो। मामा और बुआ के बच्चों के बीच शादी की परम्परा है। शादी में लड़की और लड़के की मर्जी के अलावा, माता और पिता की सहमति भी ज़रूरी होती है। राज-गोंड समुदाय में शादियाँ हिंदू रीत-रिवाजों के मुताबिक होती हैं, जबकि अन्य उप-जनजातियों में दोषी या बैगा द्वारा शादियाँ कराई जाती हैं। गोंड समाज में विधवा विवाह की भी अनुमति है। ऐसी कई परम्पराएँ आज भी प्रचलन में हैं।

धार्मिक जीवन : गोंड समाज में धार्मिक आस्थाएँ काफी अहम हैं। इस समाज की धार्मिक आस्था इन चीजों पर आधारित है— पौराणिक कथा, अध्यात्म, पुनर्जन्म, पूर्वजों की पूजा, बलि प्रथा, निषेध, पेड़-पौधे, पशु-पक्षी। हालांकि, बाहरी धर्मों के प्रभाव के कारण इन आस्थाओं में कुछ बदलाव भी हुए हैं। गोंड समुदाय शकुन और अंधविश्वास में यकीन करता है। हालांकि, रोज़मरा के कामों में इस मान्यता पर ज़ोर नहीं दिया जाता है। इस समुदाय के लोग अहम कार्यों के लिए शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करते हैं। गोंड समुदाय की अलग-अलग उपजातियों के बीच धार्मिक व ऐसे अन्य कार्य संपन्न कराने वाले को अलग-अलग नामों से जाना जाता है, मसलन पुजर, भगत, बैगा, गुनिया या पंडा आदि।

त्योहार : गोंड समुदाय के धार्मिक त्योहारों में अखाड़ी, जिवाती, पोला, दिवाली नवोत्तिन्दना, दशहरा और फाग आदि शामिल हैं। इनमें से कई त्योहारों का संबंध खेती के मौसम से है। गोंड समुदाय से जुड़े त्योहार सामूहिक रीत-रिवाजों पर आधारित होते हैं। इन त्योहारों को काफी उत्साह के साथ मनाया जाता है। त्योहारों के पीछे की कहानियाँ या तर्क वही हैं, जो मध्य भारत में प्रचलित हैं। हालांकि, हिंदू और अन्य धर्मों के प्रभाव में इन त्योहारों के बुनियादी तौर-तरीकों में कुछ बदलाव हुआ है।

बलि : गोंड समुदाय अपने देवी-देवताओं को बलि भी चढ़ाता है। समुदाय के लोग देवताओं को खुश करने के लिए भैंस, गाय, सूअर, बकरी और मुर्गी की बलि भी देते हैं। बीमारी से मुक्ति के लिए बलि देने का प्रचलन है। माना जाता है कि बलि के ज़रिए उन शैतानी तत्वों का खात्मा मुक्तिकर होगा, जो गाँव के लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं।

मृत्यु : मृत्यु को लेकर गोंड समाज की अलग अवधारणा है। समुदाय का मानना है कि मृत्यु एक स्वाभाविक प्रक्रिया और इसका संबंध देवी शक्तियों से है। गोंड समुदाय बीमारी और मौत, दोनों को देवी शक्तियों का प्रभाव मानता है। शुरूआत में इस समुदाय में शव को दफनाने की परम्परा थी। हालांकि, गोंड राजाओं द्वारा शव को जलाने की परम्परा शुरू करने के बाद से दोनों परम्पराएँ प्रचलन में हैं।

सांस्कृतिक पहलू

गोंड समुदाय ने अपनी सामाजिक संरचना में खुद की सांस्कृतिक परम्परा विकसित की है और इसमें अन्य संस्कृति का ज्यादा प्रभाव नहीं है। उनकी सांस्कृतिक परम्पराएँ सरल हैं और वाचिक परम्परा के

ज़रिये इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच पहुँचाया जाता है।

भोजन: गोंड समुदाय के सामान्य लोगों की खान-पान की आदतें कुछ-कुछ एकसमान हैं। भोजन बनाने के तरीकों में भूना, उबालना, सेंकना आदि शामिल हैं। समुदाय के लोगों का मुख्य भोजन बाजरा और चावल है, जिसे वे उबालकर माँड़ भी बनाते हैं। भोजन की कमी होने पर वे महुआ के सूखे फूलों को भी माँड़ में मिला देते हैं। समुदाय के लोगों महुआ से 18 से भी ज्यादा व्यंजन तैयार करते हैं। समुदाय के लोगों के बीच बाजरे और गेहूँ की रोटी काफी लोकप्रिय है। ये लोग आम तौर पर माँस भी खाते हैं और कुल चिह्न के तौर पर घोषित जानवरों को छोड़कर बाकी सभी तरह के जानवरों का माँस खाते हैं।

शराब: गोंड समुदाय के लोगों को शराब पीना काफी पसंद है। ये लोग आम तौर पर महुआ से फूलों से बनी शराब पीते हैं। यह शराब उनके धार्मिक और सामाजिक रीति-रिवाजों का भी अहम हिस्सा है। हर अहम अवसरों पर शराब की उपलब्धता बेहद ज़रूरी है। विवाह और अन्यथा जैसे अवसरों पर काफी मात्रा में शराब की खपत होती है। भोज में भी इसकी उपलब्धता आवश्यक है। शराब के बिना कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है। हालांकि, आधुनिकता ने स्थितियों में बदलाव किया है।

कपड़े और ज़ेवर: गोंड समाज के पुरुष सदस्य धोती पहनते हैं, जो उनके घुटनों तक होती है। इसके अलावा, गंजी या कमीज, शॉल और माथे पर पगड़ी का इस्तेमाल करते हैं। महिलाएँ अपनी कलाइयों में चाँदी की चूड़ी पहनती हैं और इसे शकुन का प्रतीक माना जाता है। साथ ही, गले में लॉकेट और कान में बालियाँ भी पहनने का रिवाज़ है। महिलाओं 6 से 8 यार्ड की साड़ी पहनती हैं, जो घुटनों तक होती है। गोंड समुदाय की महिलाओं को भी ज़ेवर बहुत पसन्द है। महिलाएँ के ज़ेवर पहनने का मकसद न सिर्फ सुन्दर दिखना है, बल्कि इनसे उनकी सुरक्षा भी होती है। वे अपने शरीर पर टैटू भी बनवाती हैं। टैटू को असली ज़ेवर माना जाता है, जो महिलाओं की मौत के बाद भी उनके साथ रहता है। समुदाय में मान्यता है कि इससे देवता खुश होते हैं। हालांकि, आधुनिकता के प्रचार-प्रसार की वजह से गोंड समुदाय के बीच भी पहनाने का रूप-रंग बदला है।

गीत और नृत्य: गोंड समुदाय के गीतों में उनके जीवन की कहानी होती है। अलग-अलग मौसम और अवसरों के लिए अलग-अलग राग होते हैं। गीतों में काफी जानकारी होती है। गोंड समुदाय से जुड़े मुख्य नृत्यों में कर्मा, रि-ना, रि-लो, रि-ला, सेला डंडा(छड़ी), मंदारी, हुल्की, सुवा आदि शामिल हैं। गीत और नृत्य के साथ-साथ यह समुदाय कई बाद यंत्रों का भी इस्तेमाल करता है, जैसे कि ड्रम, किकिर, बाँसुरी, झाङ्घा आदि। यह समुदाय गीत, संगीत और नृत्य के ज़रिये अपनी भावनाओं को बयाँ करता है। कई नृत्यों की शैली काफी तेज़ है, जिससे वे काफी स्वस्थ रहते हैं। यहाँ तक कि

गोंड समुदाय ने अपनी सामाजिक संरचना में खुद की सांस्कृतिक परम्परा विकसित की है और इसमें अन्य संस्कृति का ज़्यादा प्रभाव नहीं है। उनकी सांस्कृतिक परम्पराएँ सरल हैं और वाचिक परम्परा के ज़रिये इन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच पहुँचाया जाता है।

बाद्य यंत्रों में जो धुन बजती है, उसका स्वर भी काफी ऊँचा होता है। उनके गीत में बेहद सरलता और दुर्लभ सुंदरता होती है। संगीत और नृत्य हजारों वर्षों से परम्परा का हिस्सा रहे हैं। ये नृत्य अभी भी बाहरी परम्पराओं से बिल्कुल प्रभावित नहीं हैं और सदियों से इनका आकर्षण और अनोखापन बरकरार है।

हस्तकला: गोंड समुदाय के लोग हस्तकला में माहिर होते हैं। ये लोग दीवारों पर खूबसूरत पैटिंग और फूलों की डिज़ाइन भी बनाते हैं। समुदाय के लोग अपने घरों की दीवारों पर पैटिंग बनाते हैं, जिनमें ज्यामितीय

डिज़ाइन और पेड़-पौधों व जानवरों के चित्र शामिल हैं। समुदाय के लोग सजावट का काम भी काफी अच्छा जानते हैं। ज़ाहिर तौर पर गोंड संस्कृति संरक्षण के योग्य है। दीवारों और दरवाजों पर ज्यामितीय और चित्रों वाली डिज़ाइन की परम्परा हजारों वर्ष पुरानी है और इसकी जड़ें प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता में मौजूद हैं।

गोतुल: गोंड समुदाय के पारम्परिक गोतुल संस्थानों का इस्तेमाल समुदाय के लोगों के बीच अनुशासन और सहकारिता की भावना विकसित करने के लिए किया जाता था। यह सिर्फ रात्रि में लड़के और लड़कियों के बीच मुलाकात का मंच नहीं था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने इस बारे में बताया है। यह ज्ञानार्जन का केंद्र था और इसे धार्मिक मान्यता भी प्राप्त थी। ऐसे दौर में जब ज़्यादातर जगहों पर शिक्षा संस्थान नहीं थे, गोतुल संस्थान शिक्षा और संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। गोतुल अपने सभी सदस्यों को एकजुटा और अन्य खूबियों के बारे में बताता था। इस संस्थान के सदस्य कहानियाँ, स्थानीय मुहावरे, कहावतें,

पहेली के साथ वन और पर्यावरण, दवाओं-जड़ी बूटियों, शिकार और मछली पालन आदि के बारे में एक-दूसरे के साथ जानकारी साझा करते थे। वे कई तरह के खेल भी खेलते थे। इस वजह से ये लोग मानसिक और शारीरिक रूप से मज़बूत होते थे। हालांकि, आधुनिकता के आगमन के साथ ही गोतुल प्रणाली की मौलिकता खत्म हो गई। आज हमें गोतुल देखने को नहीं मिलता है।

गोंडी भाषा: गोंड समुदाय के लोग रोज़मरा की ज़िंदगी में गोंडी भाषा बोलते हैं। काडवेल, जूले ब्लॉन्च और ग्रियर्सन जैसे भाषाविदों के मुताबिक, यह द्रविड़ भाषा से भी पहले के दौर की भाषा है। उनके मुताबिक, द्रविड़ भाषाओं की उत्पत्ति इसी भाषा से हुई है। गोंड समुदाय के लोग आपस में अपनी मातृभाषा में ही बात करते हैं। हालांकि, जब वे बाहरी लोगों से बात करते हैं, तो बोलचाल की मिला-जुली हिन्दी का इस्तेमाल करते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ी कहा जाता है।

गोंड समुदाय के लोगों ने बेहतर और उच्चस्तरीय सभ्यता विकसित की थी, लिहाज़ा उन्हें जनजातीय समुदाय कहना उचित नहीं होगा। गोंड समुदाय मध्य भारत का शासक वर्ग था। गोंड वंश के महल, तालाब, कलाकृतियों के अवशेष अभी मध्य भारत में मौजूद हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि मध्य भारत के गोंड समुदाय की सांस्कृतिक विरासत काफी समृद्ध है। ■



दिल्ली केन्द्र
मुखर्जी नगर

PATANJALI IAS

जयपुर केन्द्र
रिहिं-सिद्धि चौराहा
एवं लालकोठी

ऑफलाइन/ऑनलाइन

सामाज्य अध्ययन

फाउण्डेशन बैच (प्रीलिम्स + मेन्स)

(अनुभवी प्रामाणिक विशेषज्ञों की टीम)

22 जुलाई | 11:30 बजे

250 Marks
GS
Paper-IV

एथिक्स Ethics

द्वारा - धर्मन्द्र सर

- सारगर्भित, प्रामाणिक, प्रासादिक, सम्पूर्ण प्रिंटेड नोट्स
- प्रतिदिन लेखन अभ्यास
- केस स्टडी के प्रश्नों के समाधान हेतु विशेष कक्षा सत्र
- अभ्यास हेतु 80 केस स्टडी
- टॉपिक आधारित Question Bank एवं शब्दकोश
- UPSC के साथ-साथ UPPSC, MPPSC, RAS के लिए भी उपयोगी
- Tests and Discussion

निःशुल्क सेमीनार

20 जुलाई
सुबह 9:00 बजे

ऑफलाइन/ऑनलाइन

दर्शनशास्त्र

द्वारा - धर्मन्द्र सर

प्रमुख विशेषताएँ

- बेहतरीन वैकल्पिक विषय
- अंकदारी एवं सफलतादारी विषय
- रिवीजन में आसान
- GS और निर्बंध में उपयोगी
- सम्पूर्ण प्रिंटेड नोट्स एवं प्रश्नकोश

250 Marks

निबंध (ESSAY)

द्वारा - धर्मन्द्र सर एवं अन्य विशेषज्ञ

- निबंध लेखन की तकनीक विकसित करने पर बल
- निबंध लेखन हेतु सारगर्भित सामग्री एवं महत्वपूर्ण सूक्ष्मियों का संग्रह
- प्रस्तावना, मध्य भाग एवं उपरांहार लिखने हेतु विशेष अभ्यास सत्र
- टॉपिक आधारित Question Bank
- महत्वपूर्ण निवंधों के मॉडल उत्तर
- 3 Test and Discussion
- UPSC के साथ-साथ UPPSC, MPPSC, RAS एवं अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी

सम्पूर्ण तैयारी

Pre.

Mains

Interview

प्रमुख विशेषताएँ

- सम्पूर्ण प्रिंटेड नोट्स
- टॉपिक आधारित Question Bank
- टेस्ट सीरीज
- Doubt Clearing Session
- सफल अभ्यर्थियों से संवाद
- मासिक समसामयिकी पत्रिका

12वीं पास विद्यार्थी ग्रेजुएशन के साथ-साथ IAS/RAS का फाउण्डेशन (Foundation) कोर्स करें।

DELHI CENTRE

625, First Floor, Near Aggarwal Sweets, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-09
Helpline No.: 9810172345, 8750187505

JAIPUR CENTRE

31, Satya Vihar, Lal Kothi, Near New Vidhan Sabha, Jaipur
Helpline No.: 72406-72406, 9571456789

<https://patanjaliias.in/> 8750187505 <https://www.facebook.com/patanjaliiasclasses/>

Patanjali IAS

► GAURAV BUDANIA | RANK-13 ► DIVYA MISHRA | RANK-28
► AATHAR AAMIR KHAN *for more videos, subscribe our YouTube Channel*

झारखंड की जनजातियाँ

विवेक वैभव

झारखंड राज्य की स्थापना को अभी बीस वर्ष ही हुए हैं लेकिन छोटा नागपुर का यह पठारीय भूभाग तो सदा से है। 'झारखंड' का प्राचीन संदर्भ भारत के संस्कृत ग्रंथों में भी पाया जाता है। आदिकाल से चले आ रहे संस्कृत श्लोक- “आह पत्र पयमपणम्, साल पत्र च भोजनम्, शयनम् खजूरे पत्रार, झारखंड विद्यते” - के अनुसार झारखंड वह स्थान है जहाँ लोग धातु के बने बर्तनों में पेय पदार्थ पीते हैं, साल के पत्तों पर भोजन करते हैं और खजूर के पत्तों पर शयन करते हैं। अबुल फज़्ल ने आइन-ए-अकबरी में झारखंड का उल्लेख करते हुए इसे मध्य प्रदेश और बिहार के बीच स्थित भूक्षेत्र बताया है। हैरानी और दिलचस्पी की बात यह है कि ब्रिटिश शासकों ने अपनी प्रशासनिक भाषा में 'झारखंड' शब्द का कभी प्रयोग नहीं किया और यह शब्द इस क्षेत्र की जनजातियों की बोलचाल या शब्दावली में भी शामिल नहीं किया गया। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी भरने के खिलाफ चलाए गए विरोध आंदोलनों के कारण उपनिवेशवादी शासन को मज़बूर होकर इस क्षेत्र को विशेष अलग प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में मान्यता देनी पड़ी और इसी के साथ इस क्षेत्र की अलग पहचान बन गई।

ख

निज पदार्थों से भरपूर इस पठारीय राज्य में विभिन्न जनजातियों के लोग बसते हैं जिनमें संथाल, हो, खरिया, मुंडा और उरांव जनजातियों के लोग ज़्यादा संख्या में हैं।

हालांकि पूर्वोत्तर भारत से सबसे ज्यादा आबादी वाली उरांव जनजाति को प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड यानी ऑस्ट्रेलियाई मूल का माना जाता है लेकिन ये लोग पूर्व-द्रविड़ काल से यहाँ रह रहे हैं। दूसरी ओर, संथाल जनजातीय समुदाय भारत की प्राचीनतम जनजातियों में से है और उनकी जाति व्यवस्था सबसे पुरानी है तथा यह भारत के सबसे बड़े जनजातीय समुदायों में से भी है।

वैदिक साहित्य में उल्लिखित लंगाला या हल, और कुदाल जैसे कृषि उपकरणों के नाम भी मुंडा जनजाति ने ही सबसे पहले शुरू किए थे क्योंकि खेतीबाड़ी ही इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय है। इस प्रकार सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से देश के जनजातीय समुदाय हमारे सामाजिक-आर्थिक परिवेश के प्रारंभिक काल के द्योतक हैं और उनके रीत-रिवाज़ों, व्यवहार और ज्ञान को संजोकर संरक्षित रखना समूची मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है। इस बात को यों भी कहा जा सकता है कि प्राचीन काल में जब जनसंख्या काफी दूर-दूर और कम होती थी तो उस दौर में जनजातीय समुदाय गाँव और शहरों की बसियों के मुकाबले ज्यादा सशक्त और प्रभावशाली थे और सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वे यदि ग्रामीण और बाहरी बसियों की बराबरी पर नहीं थे तो उनसे किसी

प्रकार कम प्रभावशाली भी नहीं थे। बीएस गुहा ने जनजातीय समूहों के लिए 'निषाद' शब्द का प्रयोग बेहतर समझा है। गुहा के अनुसार भारत के आदिवासी समूहों को वैदिक काल में आर्यों ने यह नाम



झारखंड की एक संथाल महिला

दिया था और भारतीय धर्मग्रंथ महाभारत में 'निषाद राज्य' का भी उल्लेख है तथा इसे आदिवासी समुदायों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका मुख्य व्यवसाय मछली पालन और शिकार करना है। प्राचीन संदर्भों में निषादों के क्षेत्रों को छोटे स्वतंत्र राज्य ही माना जाता था और ये लोग बहुत एकजुट होकर रहते थे तथा आर्थिक रूप से पूरी तरह आत्मनिर्भर थे। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि झारखण्ड और 'निषादों' के रहने के अन्य जनजातीय स्थानों

में लौह खनिज अत्यधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है जो विगत ढाई हजार वर्षों से उत्पादन गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी अलग पहचान की माँग जारी रही और झारखण्ड आंदोलन स्वतंत्र भारत में आर्थिक स्वायत्ता दिए जाने की माँग पर आधारित पहला आंदोलन बन गया। बाद में, इस आंदोलन के कारण ही प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से झारखण्ड को बिहार से अलग कर दिया गया। अलग राज्य बनने के बाद से झारखण्ड की जनता की स्थिति में बहुत सुधार आया है। समृद्ध परम्परा, सघन प्राकृतिक संसाधन और बड़े पैमाने पर व्यावसायिक और वाणिज्यिक गतिविधियों की संभावनाएँ होने के बादजूद झारखण्ड अन्य राज्यों की तुलना में अभी पिछड़ा हुआ है और यहाँ विकास और सुधार की अपार संभावनाएँ हैं।

झारखण्ड में 66 प्रतिशत परिवार ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और प्रत्येक परिवार में औसतन 4.5 व्यक्ति हैं। 17 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जातियों के, 28 प्रतिशत परिवार अनुसूचित जनजातियों के तथा 43 प्रतिशत परिवार अन्य पिछड़े वर्गों के हैं। इनमें से करीब 52 प्रतिशत एकल परिवार हैं अर्थात् उनमें सिर्फ माता-पिता और उनके बच्चे शामिल हैं। कुल परिवारों में आधे से कम यानी 43 प्रतिशत परिवार ही पक्के घरों में रहते हैं। लगभग 97 प्रतिशत परिवारों में बिजली का कनेक्शन है, 82 प्रतिशत घरों में पीने के पानी की सुविधा है और कुल 13 प्रतिशत घरों में नलों से पीने का पानी पहुँचाने की व्यवस्था है। करीब 18 प्रतिशत परिवारों की मुखिया महिलाएँ हैं और ऐसे परिवारों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का 15 प्रतिशत है। स्त्री-पुरुष अनुपात की दृष्टि से झारखण्ड की स्थिति काफी बेहतर है और यहाँ 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या 1050 है। लेकिन, 6 वर्ष तक के आयुवर्ग में यह अनुपात कुछ कम है और 1000 लड़कों के अनुपात में लड़कियों की संख्या 909 है।

जनजातीय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति की अन्य सामान्य परिवारों की स्थिति से तुलना करने के लिए घर में ही शौचालय सुविधा की उपलब्धता, बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व शिक्षा की सुविधा, स्कूल जाने वाले बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति, परिवारों में बच्चों की संख्या, माँ-बच्चे के लिए स्वास्थ्य देखरेख सुविधा और बच्चों के पोषाहार की स्थिति जैसे कई संकेतकों/मानदंडों को आधार बनाया गया है। घरों में शौचालय की व्यवस्था



मुंडा जनजातीय महिला

न होना परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का परिचायक है। परिवार में बच्चों की संख्या से भी उसकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। इसी प्रकार बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा और स्कूली शिक्षा के लिए भेजना भी इन परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का परिचायक है। परिवार में बच्चों की संख्या से भी उसकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। पोषाहार और स्वास्थ्य भी परिवार की स्थिति को दर्शाते हैं। अनुसूचित

जनजातियों के परिवार इन सभी मानदंडों की दृष्टि से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के परिवारों और राज्य के अन्य परिवारों के मुकाबले हर प्रकार से पीछे हैं। घरों में शौचालय की सुविधा न होना और बहुत कम बच्चों को स्कूलपूर्व शिक्षा के लिए भेजना इस समुदाय की स्थिति का स्तर काफी नीचे होने का स्पष्ट संकेत है। अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की स्कूलों में कम उपस्थिति भी चिन्तनीय स्थिति का परिचायक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) के आंकड़ों के अनुसार भी तीसरे और चौथे बच्चे वाले परिवार भी मुख्य रूप से अनुसूचित जनजातियों के ही हैं और यह उनकी पिछड़ी सामाजिक-आर्थिक अवस्था का बड़ा कारण भी है। अनुसूचित जनजातीय परिवारों को स्वास्थ्य सुविधाएँ भी मुश्किल से ही और कम संख्या में उपलब्ध होती हैं जिससे उनकी स्थिति और खराब होती है। अनुसूचित जनजातीय परिवारों के लिए मानवीय विकास से जुड़े आधारभूत उपाय न किए जाने के जातिगत कारणों को छोड़कर इन परिवारों के बच्चे कुपोषण और उपयुक्त खुराक के अभाव का भी शिकार रहते हैं।

एनएफएचएस-5 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकांश मामलों में झारखण्ड में अनुसूचित जनजातीय परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अन्य परिवारों की अपेक्षा खराब है और उन्हें बराबरी के स्तर पर लाने के लिए काफी प्रयास करने ज़रूरी हैं और अनुसूचित जनजाति कल्याण की दिशा में सरकार को बहुत अधिक ध्यान देना होगा। साथ ही यह ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि जहाँ आंकड़ों से आदिवासी परिवारों की खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति का पता चलता है वहाँ यह भी देखना होगा कि अनुसूचित जनजातीय परिवारों के आंकड़े भी अन्य समुदायों के आंकड़ों से ज्यादा पिछड़े नहीं हैं।

जनजातीय अनुसंधान और विकास

झारखण्ड में रांची में विशेष समर्पित जनजातीय अनुसंधान संस्थान है जो है जिसका नाम 'रामदयाल मुंडा जनजातीय अनुसंधान संस्थान' है जो

सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से देश के जनजातीय समुदाय हमारे सामाजिक-आर्थिक परिवेश के प्रारंभिक काल के द्योतक हैं और उनके रीति-रिवाज़ों, व्यवहार और ज्ञान को संजोकर संरक्षित रखना मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत आवश्यक है।

क्षेत्र	मानदंड	राष्ट्रीय औसत (प्रतिशत में)	झारखंड की औसत (प्रतिशत में)	टिप्पणियाँ
कृषि	कृषि	सरकारी बीज केंद्र	16.81	17.78
		अनाज भंडारण के लिए गोदाम	13.76	14.98
	भूमि सुधार और लघु सिंचाई	मृदा की जाँच	6.69	9.18
		उर्वरक की दुकान	25.76	23.47
सड़कें	सड़कें	हर मौसम वाली सड़क से जुड़ी	84.17	83.14
		रेलवे स्टेशन से जुड़ी	4.88	13.63
सभी परिसंपत्तियों का रखरखाव	सीएससी	पंचायत भवन में ही स्थित	25.72	49.37
		अलग से स्थिति	20.57	21.98
		अनुपलब्ध	53.71	28.65
	पंचायत	भवन	76.64	90.32
	जन सूचना बोर्ड	उपलब्ध नहीं	38.51	55.17
		उपलब्ध और अपडेट	46.41	23.12
		उपलब्ध पर अपडेट नहीं	15.08	21.70
वित्तीय और संचार इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचा)	बैंक		22.27	38.91
	एटीएम		14.44	21.56
	इंटरनेट/ब्रॉडबैंड		46.36	38.91
	टेलीफोन मोबाइल दोनों कोई नहीं	लैंडलाइन	0.98	2.06
			66.17	79.72
			26.14	13.95
			6.72	4.27
	डाकघर		41.56	54.46
शिक्षा	शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र/ आईटीआई/ आईएसईआई /डीडीयू-जीके वाई प्रौढ़ शिक्षा केंद्र पुस्तकालय	सरकारी डिग्री कॉलेज	5.93	11.29
			6.95	10.87
			11.59	13.44
			18.39	11.86
		औसत से कम		
स्वास्थ्य	जन औषधि केंद्र		11.79	17.48
	पीएचसी/सीएचसी/ उपकेंद्र पीएचसी उपकेंद्र उपलब्ध नहीं	सीएचसी	6.23	12.20
			15.11	17.48
			22.88	29.69
			55.78	40.63
अन्य	सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस)		76.41	85.50
	आगंनवाड़ी केंद्र		93.70	98.47
	पशु अस्पताल/चिकित्सालय		21.84	17.66
	मछली पालन के विस्तार की सुविधाएँ		10.61	22.02

विश्वविद्यालय चलाया जा रहा है परन्तु ओडिशा, बंगाल, झारखण्ड या छत्तीसगढ़ राज्यों में अभी सरकारी विश्वविद्यालय खोला जाना है जबकि इन राज्यों में जनजातीय समुदायों की संख्या काफी अधिक है।

केंद्र सरकार ने भी जनजातीय लोगों को उत्पादक कार्यों में लगाने और अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की है।

सामाजिक - आर्थिक पिछड़ेपन के कई कारण हैं जो

परिस्थिति या परिवेश की वजह से भी हो सकते हैं। मतलब यह है कि पिछड़ेपन इसलिए भी हो सकता है कि किसी व्यक्ति को कौन-सी परिस्थिति में रहना पड़ रहा है। झारखण्ड के जनजातीय लोगों के पिछड़ेपन के कारणों को जानने-समझने के उद्देश्य से मिशन अंत्योदय 2019 के सर्वेक्षण के आधार पर झारखण्ड और देश के शेष राज्यों की ग्राम पंचायतों का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

गाँवों में सेवाओं और सुविधाओं के बीच अंतराल का विश्लेषण

इस अंतराल विश्लेषण के लिए मिशन अंत्योदय 2019 के सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़े इस्तेमाल किए गए और पंचायती राज मंत्रालय के 2019 के जन योजना अभियान- सबकी योजना सबका विकास के आंकड़ों के साथ समन्वय रखकर ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की भागीदारी योजना प्रक्रिया को समर्थन प्रदान किया गया।

इन सर्वेक्षणों में अपनाए गए मानदंड हैं: (i) कृषि के लिए लिए सरकारी बीज केंद्र, घंडारगृह, मृदा परीक्षण केंद्र, उर्वरक दुकानें; (ii) हर मौसम में चलने वाली सड़कें और राज्य के सभी रेलवे स्टेशनों तक जाने वाली सड़कें; (iii) गाँवों की साझा परिसंपत्तियों की देखभाल और रखरखाव के लिए साझा सेवा केंद्र और जन सूचना बोर्डों की व्यवस्था करना; (iv) वित्तीय व्यवस्था और संचार का बुनियादी ढांचा विकसित करने के लिए बैंक, एटीएम, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सेवाएँ उपलब्ध कराना; (v) शिक्षा के क्षेत्र में डिग्री कॉलेज, पुस्तकालय, व्यावसायिक शिक्षा केंद्र और प्रौद्योगिकी की व्यवस्था; (vi) स्वास्थ्य के लिए जन औषधि केंद्र, साझा स्वास्थ्य केंद्र आदि की व्यवस्था, तथा (vii) सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आंगनबाड़ी केंद्र, पशु चिकित्सालय और मछली पालन की व्यवस्था ताकि राष्ट्रीय औसत के हिसाब



काम पर आदिवासी लोग

से गाँवों और जनजातीय क्षेत्रों के रहन-सहन का अंतर ठीक प्रकार से समझा जा सके।

झारखण्ड राज्य में जनजातीय लोगों की बहुत बड़ी आबादी गाँवों में रहती है और यह भी देखा जा रहा है कि शहरों और क़स्बों के मुकाबले गाँवों में बुनियादी सुविधाएँ, सरकारी सुविधाएँ, शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के संसाधन तथा गुजर-बसर के अवसर बहुत कम हैं। 2019 में झारखण्ड सहित देश के सभी राज्यों की ग्राम पंचायतों की स्थिति का राष्ट्रीय औसत के मुकाबले सर्वेक्षण कराया गया था और इस सर्वेक्षण के आंकड़े

भारत सरकार के पोर्टल <https://missionantyodaya.nic.in> पर उपलब्ध कराए गए थे।

अंतराल विश्लेषण का तुलनात्मक अध्ययन करके यह पता लगा लिया गया है कि कितने प्रतिशत ग्राम पंचायतों में सुविधाएँ, सेवाएँ या सहूलियतें उपलब्ध हैं। निर्धारित मानदंड के अनुसार किए अंतराल विश्लेषण के निष्कर्ष से पता चला है कि अधिकांश मानदंडों के हिसाब से झारखण्ड की स्थिति राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में सड़कों का शानदार नेटवर्क है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में पंचायत भवनों की संख्या भी बहुत ज्यादा है तथा सभी ज़िलों में पीडीईएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) कार्यालय और आंगनबाड़ियाँ बढ़िया काम कर रही हैं। एक अत्यंत रोचक तथ्य यह सामने आया कि राज्य की करीब 80 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में मोबाइल नेटवर्क का बुनियादी ढांचा मौजूद है जो देश के कई अन्य राज्यों से बेहतर है। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्रों में

भी झारखण्ड राज्य राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। मानदंडों के आधार पर देश के अन्य राज्यों की तुलना में झारखण्ड का प्रदर्शन नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।

निर्धारित मानदंड के अनुसार किए अंतराल विश्लेषण के निष्कर्ष से पता चला है कि अधिकांश मानदंडों के हिसाब से झारखण्ड की स्थिति राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य में सड़कों का शानदार नेटवर्क है, राष्ट्रीय औसत की तुलना में पंचायत भवनों की संख्या भी बहुत ज्यादा है तथा सभी ज़िलों में पीडीईएस (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) कार्यालय और आंगनबाड़ियाँ बढ़िया काम कर रही हैं।

इस अंतराल विश्लेषण से यह नतीजा निकाल जा सकता है कि सरकार द्वारा मुहैया कराई जा रही सुविधाओं, सहूलियतों और सेवाओं की उपलब्धता की दृष्टि से झारखण्ड में गाँवों की स्थिति राष्ट्रीय औसत से कहीं बेहतर है। विश्लेषण में पाए गए कई अहम अंतराल ऐसे हैं जो जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर कोई खास विपरीत असर नहीं डाल सकते। सैद्धांतिक रूप से झारखण्ड में जनजातीय समुदायों के विकास की संभावना राष्ट्रीय औसत के मुकाबले बहुत ज्यादा है जिसका यह अर्थ है कि झारखण्ड में जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक

विकास की संभावनाएँ देश के अधिकांश राज्यों से कहीं ज्यादा हैं। लेकिन, झारखण्ड में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास कुछ समय तक धीमा रहा और ऐसा स्थितिजन्य और पर्यावरण आधारित कुछ ऐसे कारणों से हुआ जिन पर उपरोक्त विश्लेषण में कोई चर्चा नहीं हुई। संभव है कि नक्सलवाद, कानून और व्यवस्था से जुड़े मुद्दे, भूमि अधिग्रहण जैसे कई कारणों से फैली अशांति और अलग राज्य बनाए जाने से पहले इस क्षेत्र के कम विकसित होने जैसे मुद्दे तथा राजनीतिक अस्थिरता इत्यादि कारणों से राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ा है।

निष्कर्ष

समुदायों, समाजों और सम्भवताओं जैसी संस्थाओं का विकास आमतौर पर स्थिति और पर्यावरण जैसे विभिन्न कारणों के समावेश पर आधारित होता है। जहाँ भारत जैसे देश में जनजातीय समुदाय की मुख्य धारा में शामिल होने की इच्छा है वहीं स्थितिजन्य और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे झारखण्ड की जनजातियों की प्रगति और विकास में बाधक बने हुए हैं। इसके बावजूद, झारखण्ड में जनजातीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति झारखण्ड की जनसंख्या के अन्य बर्गों के मुकाबले किसी प्रकार भी कम नहीं है जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सरकार के प्रयासों के अपेक्षित परिणाम निकल रहे हैं। झारखण्ड के गाँव और पंचायतें ढाँचे और संसाधनों की दृष्टि से देश के अन्य राज्यों से किसी प्रकार भी पीछे नहीं हैं। इस तरह झारखण्ड में सभी समुदायों को समान रूप से अवसर प्राप्त हो रहे हैं।

लोगों और समुदायों के सर्वांगीण विकास और उन्नति को प्रभावित करने वाले प्रमुख स्थितिजन्य मुद्दे झारखण्ड के सभी समुदायों के अनुकूल हैं। हाल ही में भारत सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश की सभी जनजातियों के लिए विभिन्न नई योजनाएँ शुरू करके और जनजातीय जीवनशैली, कला, संस्कृति और देश के स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को मान्यता प्रदान करके इस दिशा में अहम पहल

की है। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वर्तमान केंद्र सरकार के शासनकाल में जनजातीय लोगों के कल्याण की दिशा में प्रयास कई गुण बढ़ गए हैं जिससे जनजातीय लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति भी तेज़ी से सुधरी है। निस्संदेह इन प्रयासों और भारत सरकार की निरंतर वित्तीय सहायता से जनजातीय और गैर-जनजातीय लोगों के बीच का अंतर दूर हो जाएगा और सभी समुदाय तेज़ और संतुलित विकास करके मुख्यधारा में बराबरी पर आ सकेंगे। ■

संदर्भ

- बी एस गुहा, 1951
- ए जेनेटिक ऑफ़ उरांव्स ऑफ़ छोटानागपुर प्लैटो, आर एल कर्क, एल वाई सी लाइ, जी एच बोंस, एल पी विद्यार्थी, 1962, अमेरिकन जर्नल ऑफ़ फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, 20(3), पृष्ठ 375-385
- एन एनशेंट हिस्ट्री : एथनोग्राफिक स्टडी ऑफ़ द संथाल, अरुण डे, जुलाई-अगस्त, 2015, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ़ नॉवेल रिसर्च इन ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंसेज, वॉल्यूम 2, पृष्ठ 4, पृष्ठ 31-38, आईएसबीएन 23949694
- झारखण्ड मूवमेंट-इंडिजीनस पीपुल्स स्ट्रगल फॉर ऑटोनॉमी इन इंडिया, आरडी मुंडा और एस बसु मलिक, कॉपीराइट 2003 आईडब्ल्यूजीआईए और विरसा, आईएसबीएन 89-90730-72-0 और आईएसबीएन 0105-4503
- गाइडलाइंस फॉर एलोकेशन ऑफ़ फॉर्म्स एंड इंप्लीटेशन ऑफ़ प्रोग्राम्स/एक्टिविटीज अंडर प्रोविजो टु आर्टिकल 275(1) ऑफ़ द कार्सिट्यूशन ऑफ़ इंडिया डियूरिंग 2020-21 एंड ऑनवर्ड्स ऑर्डर नं. 18015/06/2019-ग्रांट्स दिनांक 23.04.2020
- <https://dashboard.tribal.gov.in> द डैशबोर्ड फॉर रियल-टाइम डेटा ऑफ़ द मिनिस्ट्री ऑफ़ ट्राइबल अपरेयर्स
- <https://tribal.nic.in> जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट है
- <https://missionantyodaya.nic.in> भारत सरकार के मंत्रालयों की अकीम के सेवन और संसाधनों के प्रबंधन के लिए यह मिशन अंत्योदय 2020 की सरकारी वेबसाइट है <https://rchiips.org/nhfs/> नेशनल फैमिली हैल्थ सर्वे-5 अक्टूबर, 2021
- <https://stcmis.gov.in/STC> मॉर्नीटरिंग सिस्टम

प्रकाशन विभाग के विक्रय केंद्र

नई दिल्ली	पुस्तक दीर्घा, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड	110003	011-24367260
नवी मुंबई	701, सी- विंग, सातवीं मर्जिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर	400614	022-27570686
कोलकाता	8, एसप्लानेड ईस्ट	700069	033-22488030
चेन्नई	'ए' विंग, राजाजी भवन, बसंत नगर	600090	044-24917673
तिरुअनंतपुरम	प्रेस रोड, नयी गवर्नरमेंट प्रेस के निकट	695001	0471-2330650
हैदराबाद	कमरा सं. 204, दूसरा तल, सीजीओ टावर, कवाड़ीगुड़ा, सिकंदराबाद	500080	040-27535383
बंगलुरु	फस्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला	560034	080-25537244
पटना	बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ	800004	0612-2675823
लखनऊ	हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, क्षेत्र-एच, अलीगंज	226024	0522-2325455
अहमदाबाद	4-सी, नेप्चून टॉवर, चौथी मर्जिल, नेहरू ब्रिज कॉर्नर, आश्रम रोड	380009	079-26588669
गुवाहाटी	असम खाड़ी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड, भूतल, एमआरडी रोड, चांदमारी	781003	0361.2668237

अनुसूचित जनजातियों की कल्याण योजनाएँ

भारत सरकार अनुसूचित जनजातियों और अन्य सभी पिछड़े समुदायों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएँ और नीतियाँ अपनाकर कई उपाय कर रही है। राज्य सरकारें भी अपने संसाधनों से और हर मौके पर केंद्र सरकार के सहयोग से पिछड़े समुदायों के उत्थान की दिशा में प्रयास कर रही हैं। सरकार इस समय अनुसूचित जनजाति घटक योजना (एसटीसी) के माध्यम से अनुसूचित जनजाति कल्याण में बड़ा योगदान कर रही है और भारत सरकार के कई मंत्रालय इन जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए कोष का विशेष प्रबंध करते हैं।

अनुसूचित जनजातियों के लिए अनुसूचित जनजाति घटक या विकास कार्य योजना (एसटीसी या डीएपीएसटी)

2017-18 से पहले केंद्र सरकार से मिलने वाली राशि तत्कालीन योजना आयोग द्वारा 2010 में गठित कार्यबल के सुझाए मानदंडों के अनुरूप जनजातीय उपयोजना (टीएसपी) की नीति के अनुसार मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित की जाती थी। इन राशियों का आवंटन विशेष रूप से होता था और मंत्रालयों/विभागों के योजना प्रबंधन के हिसाब से किया जाता था। गैर-योजना कोष टीएसपी के दायरे से बाहर रखे जाते थे। 2017-18 में योजना और गैर-योजना कोषों के विलय के बाद की नई बजट प्रणाली में टीएसपी का नाम बदलकर डीएपीएसटी अर्थात् ‘अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना’ या ‘अनुसूचित जनजाति घटक योजना’ (एसटीसी) कर दिया गया। एसटीसी के तहत केंद्र सरकार के करीब 41 मंत्रालय/विभाग चिह्नित किए गए। राज्य सरकारों को भी अपनी कुल जनसंख्या में से जनजातीय आबादी के अनुपात के अनुसार अपनी एसटीसी निर्धारित करनी पड़ी। एसटीसी के लिए कोष आवंटन केंद्र क्षेत्र की योजना और केंद्र प्रायोजित योजना के सकल आवंटन से ही किया जाता है, मंत्रालय/विभाग के कुल बजट में से नहीं। लेकिन ऐसी लचीली व्यवस्था ज़रूर है कि मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की विशेष गतिविधियों के लिए कोष आवंटित कर सकते हैं बशर्ते कि उनकी योजनाएँ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़ी न हों और उन के कार्य का सीधा उद्देश्य इन समुदायों का कल्याण न हो।

इन सबके अतिरिक्त भारत सरकार जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएँ और केंद्र-प्रायोजित कई योजनाएँ भी चला रही है। सरकार जनजातीय कल्याण की योजनाएँ लागू करने में राज्यों को सहायता देती है तथा जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और उसे बढ़ावा देने से जुड़े अनुसंधान और विकास पर निवेश भी करती है।

जनजातीय कल्याण की केंद्रीय क्षेत्र वाली और केंद्र प्रायोजित योजनाओं में से कुछ महत्वपूर्ण योजनाएँ हैं :

1. **जनजातीय उपयोजना या राज्यों की जनजातीय उपयोजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता :** जनजातीय लोगों और अन्य सामाजिक समूहों के बीच का अंतर कम करने के लिए मानव संसाधन विकास करने, जीवन स्तर बेहतर बनाने और प्रशासन में सुधार लाकर बेहतर अवसर जुटाने तथा ग्रीष्मी दूर करने के लिए

राज्यों को विशेष केंद्रीय सहायता दी जाती है।

2. **अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत सहायता अनुदान :** राज्यों में अपने अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में सुधार लाकर उन्हें शेष राज्यों की बाबाबरी पर लाने के अनुसूचित जनजाति कल्याण कार्यों के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को राजकोष में से सहायता अनुदान दिया जाता है। यह सहायता राज्यों के प्रयासों में सहयोग के लिए ही दी जाती है ताकि प्रशासन में महत्वपूर्ण अंतराल की भरपाई हो सके।

3. **छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजनाएँ :** केंद्र सरकार ने देश में अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति और फेलोशिप योजनाओं की व्यवस्था की है और ये शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर दी जाती हैं, जैसे- मैट्रिक-पूर्व शिक्षा और मैट्रिक-पश्चात शिक्षा। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें बढ़ावा देने के लिए टॉप क्लास एजुकेशन स्कीम यानी उच्च शिक्षा योजना चलाई जा रही है जो अनुसूचित जनजातियों के उन



विद्यार्थियों के लिए है जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 6 लाख रुपये से कम है।

4. **स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान :** उपरोक्त छात्रवृत्तियों और फेलोशिप के अलावा भारत सरकार राज्यों को कई अन्य योजनाओं के जरिए मदद करती है। ये योजनाएँ हैं:- (i) अनुसूचित जनजातियों के कल्याण में लगे स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान, (ii) विशेष रूप से कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले जनजातीय समूहों के विकास की योजना, (iii) जनजातीय लोगों के उत्पादों की हाट-व्यवस्था विकसित करने के लिए संस्थागत समर्थन की योजना, और (iv) कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजातियों के लड़कियों के बीच शिक्षा व्यवस्था सशक्त बनाने की योजना।

पीवीटीजी की सुरक्षा के लिए विशेष कोष : विशेष रूप से कमज़ोर आर्थिक स्थिति वाले जनजातीय समूह पीवीटीजी ऐसे जनजातीय समुदाय हैं जो प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञता या कृषि पूर्व स्तर में हैं और जिनकी जनसंख्या घट रही है या स्थिर है, साक्षरता का बेहद कम स्तर और अर्थव्यवस्था में गिरावट है। भारत सरकार ने देश के 18 राज्यों में ऐसे 75 पीवीटीजी की पहचान की है और आजीविका, स्वास्थ्य, पोषाहार और शिक्षा जैसे सामाजिक संकेतकों में सुधार लाकर इन्हें आगे बढ़ाने को प्राथमिकता दी जा रही है।

बालिकाओं (लड़कियों) की शिक्षा के लिए : केंद्र सरकार ने हाल के वर्षों में महिला सशक्तिकरण और बालिका-शिक्षा पर विशेष बल दिया है। जनजातियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की लड़कियों की शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए अधिक क्षेत्र आवंटित किया गया है।

साथ ही, जनजातीय अनुसंधान को भी महत्व दिया जा रहा है। भारत सरकार राज्यों के जनजातीय विकास के लिए जनजातियों पर अनुसंधान करने पर ज़ोर दे रही है तथा इसके लिए जनजातियों की संस्कृति के संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन, जनजातियों के प्रति जागरूकता



और जानकारी का प्रसार करने की योजना बनाने और कानून बनाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का एक प्रतिष्ठान अनुसूचित जनजातियों के उन पात्र लोगों को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध कराता है जो मानदंडों के अनुरूप प्रक्रिया के अनुसार आय पैदा करने के कार्य या स्वरोज़गार करना चाहते हैं।

भारत सरकार की ओर से जनजातीय आबादी को शिक्षित बनाने का मिशन शुरू कर दिया गया है। इसके तहत जनजातीय बच्चों की शिक्षा का स्तर उठाने के उद्देश्य से एकलब्ध मॉडल के रिहाइशी स्कूलों के विकास पर बल दिया जा रहा है।

जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को महत्व देने के उद्देश्य

से सरकार ने 15 नवंबर को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की है। यही जनजातीय नेता विरसा मुंडा का जन्मदिन (जयंती) भी है। इस फैसले से आने वाली पीढ़ियों को महान विरसा मुंडा का इतिहास जानने में मदद मिलेगी और उन्हें देश के लिए उनके त्याग एवं बलिदान का पता चलेगा।

वन उत्पादों पर जनजातीय लोगों के अधिकार को समझते हुए भारत सरकार ने अभी हाल में कृषिवन प्राकृतिक संसाधन आधारित सूक्ष्म उद्योग लगाने पर ज़ोर दिया है। छोटे वन उत्पादों की बिक्री की व्यवस्था के लिए तंत्र स्थापित करने की हाल में शुरू की गई योजना- 'वनधन विकास कार्यक्रम' के अंतर्गत जनजातीय लोगों को छोटे बन्य उत्पादों की बिक्री की ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे वैल्यू चेन विकसित कर सकें।

मौजूदा योजनाओं में सुधार

वर्ष 2021-26 के लिए, कई मौजूदा योजनाओं को एक-दूसरे के साथ मिला दिया गया है, उन्हें सुधार कर नया रूप दिया गया है और उनके दायरे को बड़ा कर दिया गया है। आदिवासियों के समग्र विकास के लिए बनाई गई 3 योजनाएँ इस प्रकार हैं।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना : एससीए से टीएसएस की मौजूदा योजना का दायरा बढ़ा दिया गया है, जिसमें 'प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना' के तहत 36,428 गाँवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के साथ मिलकर इन गाँवों का व्यापक विकास किया जाएगा। इन गाँवों में आदिवासियों की आबादी 500 से अधिक और कुल संख्या की 50 प्रतिशत तक है। 1354 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है जिसका उपयोग जनजातीय कल्याण कार्यक्रमों के लिए विभिन्न मंत्रालयों को उनकी संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित किए गए 87,524 करोड़ रुपये के एसटीसी घटक के अलावा गैप फिलिंग व्यवस्था के रूप में किया जाएगा। अगले पाँच वर्षों के लिए 7276 करोड़ रुपये की धनराशि को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन : इस मिशन का लक्ष्य वन धन समूहों के गठन के माध्यम से अगले पाँच वर्षों में आजीविका संचालित आदिवासी विकास हासिल करना है। इन वन धन समूहों को वन धन केंद्रों के रूप में संगठित किया गया है। आदिवासियों द्वारा एकत्रित एमएफपी को इन केंद्रों में संसाधित किया जाएगा और वन धन निर्माता उद्यमों के माध्यम से इनका विपणन किया जाएगा। "आत्म-निर्भर भारत अभियान" के हिस्से के रूप में अगले 5 वर्षों में नए हाट बाजार और माल गोदाम विकसित किए जाएँगे। इस योजना को लागू करने के लिए ट्राइफेड नोडल एजेंसी होगी। वन उत्पादों का विपणन ट्राइब इंडिया स्टोर्स के माध्यम से किया जाएगा। मिशन के तहत अगले पाँच वर्षों के लिए 1612 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

एसटी के लिए बैंचर कैपिटल फंड : 'अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यम पूँजी कोष (वीसीएफ-एसटी)' की नई योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, जिसका उद्देश्य एसटी समुदाय के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना है। वीसीएफ-एसटी योजना एसटी उद्यमिता को बढ़ावा देने और एसटी युवाओं द्वारा स्टार्ट-अप की सोच को विकसित करने और उनका समर्थन करने के लिए सामाजिक क्षेत्र की एक पहल होगी। ■

Just Released

परीक्षोपयोगी सीरीज-7

**प्रतियोगितादर्पण
का अतिरिक्तांक**

**संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की
प्रारम्भिक व मुख्य परीक्षाओं हेतु**

**समसामयिक
घटनाचक्र
करेन्ट अफेयर्स 2022**

Vol. 2

राष्ट्रीय

अन्तर्राष्ट्रीय

आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिवृश्य

समसामयिक सामान्य ज्ञान

खेलकूद



Code No. 807
₹ 145.00

Code No. 815
₹ 135.00



**अन्य विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं
के लिए भी समान रूप से उपयोगी**

**समसामयिक वस्तुनिष्ठ
प्रश्नोत्तर**

Scan the QR
Code with
your mobile
and open the
link to see the
range of extra
issues.

ORPD002S



Download FREE QR Scanner
app from the app store

प्रतियोगिता दर्पण || 1, स्टेट बैंक कॉलोनी, खन्दारी, आगरा-मथुरा बाईपास, आगरा-282 005
कॉन : (0562) 4040735, 2530966 • E-mail : care@pdgroup.in • Website : www.pdgroup.in
• नई दिल्ली 23251844, 43259035 • हैदराबाद 24557283 • पटना 2303340 • हल्द्दीनी मो. 07060421008

YH-1924-V22

जनजातीय बहुल इलाकों के खिलाड़ियों का दबदबा

शिवेन्द्र चतुर्वेदी

देश के कुछ राज्यों विशेषतौर पर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के जनजातीय बहुल हिस्सों से भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी उभर कर आए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपने राज्य तथा देश का नाम रोशन किया। खास बात ये है कि इन जगहों पर विषम भौगोलिक परिस्थितियों और आम तौर पर विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं की अपेक्षाकृत सीमित उपलब्धता के बावजूद, जनजातीय बहुल क्षेत्रों से उभरकर आने वाले तमाम खिलाड़ियों ने बार-बार इस कहावत को सही साबित किया है कि “प्रतिभा कभी भी पराश्रय की मोहताज नहीं होती है।”

भा

रत, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विविधता संपन्न देश है जहाँ रहने वालों का धर्म, भाषाएँ, वेशभूषा और खान-पान अलग-अलग होने के बावजूद, भारतीयता की भावना, देशवासियों को एक सूत्र में पिरोने का काम करती है यानी अनेकता में एकता है, भारत की विशेषता। अपनेपन की इस भावना को और सुदृढ़ बनाता है खेल का मैदान अर्थात् ‘खेल सिखाता मेल’। हाल के वर्षों में हमारे देश में खेलों को लेकर नया उत्साह देखने को मिला है जिससे ओलिंपिक्स, एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल तथा अन्य विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में बेहतर परिणाम देखने को मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विश्व स्तर पर अग्रणी देश बनाने के क्रम में, खेलों एवं खिलाड़ियों की प्रगति और प्रोत्साहन को लगातार अहमियत दी है। यूँ तो संपूर्ण भारत में खेलों को लेकर खासी जागरूकता है, लेकिन देश के कुछ राज्यों विशेषतौर पर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, उत्तर पूर्वी राज्यों तथा महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल के जनजातीय बहुल हिस्सों से भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी उभर कर आए हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में अपने राज्य तथा देश का नाम रोशन किया।

खास बात ये है कि इन जगहों पर विषम भौगोलिक परिस्थितियों और आम तौर पर विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं की अपेक्षाकृत सीमित उपलब्धता के बावजूद, जनजातीय बहुल क्षेत्रों से उभरकर आने वाले तमाम खिलाड़ियों ने बार-बार इस कहावत को सही साबित किया है कि “प्रतिभा कभी भी पराश्रय की मोहताज नहीं होती है।” एक सच्चा कर्मयोगी, अपनी लगन, परिश्रम और संकल्प से खुद की कामयाबी का रास्ता ढूँढता है और उस पर सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, नए आयाम स्थापित करता है।

अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्था के.पी.एम.जी. की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था में खेलों का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 1 से 5 प्रतिशत अनुमानित किया गया है। यहाँ तक कि वैश्विक मंदी के दौरान भी, वर्ष 2009-13 के मध्य, खेल बाजार 7 प्रतिशत की



जयपाल सिंह मुंडा

3 जनवरी 1903 - 20 मार्च 1970





सलीमा टेटे (बाएँ) और निककी प्रधान (दाएँ), जो क्रमशः आदिवासी बहुल सिमडेगा और खूंटी जिलों से आती हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रमुख खिलाड़ी थीं जिन्होंने टोक्यो में ऐतिहासिक और उत्साही प्रदर्शन किया।

दर से बढ़ा, जो कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि से अधिक रहा है। साथ ही खेल क्षेत्र श्रम-आधारित होने के कारण रोज़गार प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। विशेषकर खेल खुदरा व्यापार का क्षेत्र, जो अमेरिका में लगभग 11 प्रतिशत तथा भारत में लगभग 6 प्रतिशत रोज़गार प्रदान करने में सहायक है। अतः खेल, खेल-शिक्षा, खेल अनुसंधान, खेल चिकित्सा, खेल-उद्योग, खेल व्यापार तथा खेल-सेवाओं को प्रोत्साहित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक हो सकते हैं।

प्रारम्भ से ही जनजातीय बहुल इलाकों के खिलाड़ियों का दबदबा

हमारे देश के खेल इतिहास में हॉकी को बेहद विशिष्ट स्थान हासिल है और उसका कारण है 1928 के एम्स्टरडम्स ओलंपिक्स से 2021 के टोक्यो ओलंपिक्स तक भारत द्वारा हॉकी में जीते गए 12 पदक जिसमें 8 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत ने अब तक ओलंपिक खेलों में कुल 10 स्वर्ण सहित 35 पदक जीते हैं जिनमें से 34 प्रतिशत पदक, सिर्फ हॉकी में भारतीय खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। दरअसल 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल करके, सारी दुनिया में तहलका मचा दिया था। भारतीय हॉकी के उस स्वर्णिम काल में देश को पहला ओलंपिक स्वर्ण दिलाने वाली टीम

के कप्तान की भूमिका निभाई थी जयपाल सिंह मुंडा ने। वर्तमान झारखंड की राजधानी रांची के पास 3 जनवरी 1903 को जन्मे जयपाल सिंह असाधारण प्रतिभा के धनी थे और 1925 में ऑक्सफोर्ड ब्लू का खिताब पाने वाले, हॉकी के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे। खिलाड़ी होने के साथ-साथ वे एक जाने माने राजनीतिज्ञ, पत्रकार, लेखक, संपादक और शिक्षाविद् भी थे। हॉकी के मैदान पर टीम की रक्षापंक्ति में प्रमुख भूमिका निभाने वाले जयपाल सिंह मुंडा, देश की सर्विधान सभा के भी सदस्य रहे और आजीवन, जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए प्रयासरत रहे।

1928 के एम्स्टरडम्स ओलंपिक्स के 52

साल बाद, 1980 के मास्को ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम ने हॉकी में 8वां और अंतिम स्वर्ण पदक जीता और उस समय भी, भारतीय टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे झारखंड के जनजातीय बहुल ज़िले सिमडेगा से आने वाले सिल्वेनस डुंग डुंग। 27 जनवरी 1949 को जन्मे सिल्वेनस डुंग डुंग 1965 में भारतीय सेना में शामिल हुए, देश की सेवा की, ओलंपिक स्वर्ण विजेता बने और 2016 में, उन्हें हॉकी के खेल में जीवनपर्यात योगदान के लिए द्वोषाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पिछले वर्ष टोक्यो ओलंपिक खेलों में 41 साल के लंबे अंतराल के बाद भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पोंडियम फिनिश करते हुए कांस्य पदक हासिल किया और इस टीम के उपकप्तान थे। ओडिशा के जनजातीय बहुल ज़िले सुंदरगढ़ में जन्मे बीरेंदर लकरा। एशियाई खेलों की स्वर्ण और रजत पदक विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे बीरेंदर लकरा का पूरा परिवार ही हॉकी से जुड़ा है। बीरेंदर के बड़े भाई बिमल भी मिडफील्डर के तौर पर भारत के लिए खेल चुके हैं और उनकी बहन असुंता लकरा, भारतीय महिला हॉकी टीम का नेतृत्व भी कर चुकी हैं।

हॉकी की नर्सरी

खास बात ये है कि सिमडेगा ज़िले को आज हॉकी की नर्सरी कहा जाता है और देश के जनजातीय बहुल अंचल में स्थित इस ज़िले में

भारत ने अब तक ओलंपिक खेलों में कुल 10 स्वर्ण सहित 35 पदक जीते हैं जिनमें से 34 प्रतिशत पदक, सिर्फ हॉकी में भारतीय खिलाड़ियों ने हासिल किए हैं। दरअसल 1928 से 1956 तक लगातार 6 ओलंपिक खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने स्वर्ण पदक हासिल करके, सारी दुनिया में तहलका मचा दिया था। भारतीय हॉकी के उस स्वर्णिम काल में देश को पहला ओलंपिक स्वर्ण दिलाने वाली टीम के कप्तान की भूमिका निभाई थी। जयपाल सिंह मुंडा ने।

हॉकी के प्रशिक्षण की अत्याधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। संभवतः यही कारण है कि ब्यूटी डुंग-डुंग, प्रमोदिनी लकरा, रजनी करकेरा, महिमा टेटे, दीपिका सोरेंग और काजल बारा जैसे युवा खिलाड़ी, भारतीय महिला हॉकी में शामिल होने की ओर आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं। सिमडेगा ज़िले का विवरण वहाँ की धरती से अवतरित हुए एक और शानदार हॉकी खिलाड़ी माइकल किंडो के जिक्र के बिना अधूरा रहेगा। अर्जुन पुरस्कार से नवाज़े गए रक्षा पंक्ति के बेहतरीन खिलाड़ी माइकल किंडो, 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे। 1971, 1973 और 1975 के हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने कांस्य, रजत और स्वर्ण पदक

हासिल किए थे और उस टीम का अहम हिस्सा थे सिमडेगा के सपूत्र माइकल किंडो।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में कांस्य पदक जीता और भारतीय महिला हॉकी टीम, बेहद यादगार और जीवंट भरे प्रदर्शन के बावजूद टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक से चूक गई। टोक्यो में ऐतिहासिक प्रदर्शन करने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की महत्वपूर्ण सदस्या थीं सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, जो जनजातीय बहुल सिमडेगा और खूंटी ज़िलों से आती हैं। दरअसल 2016 के रियो ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली निक्की प्रधान, झारखण्ड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी थीं जिन्हें खेलों के इस महा आयोजन का हिस्सा बनने का गौरव हासिल हुआ था।

तीरंदाजी में देश का परचम

हॉकी के अलावा तीरंदाजी एक ऐसा खेल है जिसमें जनजातीय बहुल इलाकों से बहुत-सी प्रतिभाएँ उभर कर सामने आई और उन्होंने तमाम विश्वस्तरीय प्रतियोगिताओं में देश का परचम फहराया है। दीपिका कुमारी ऐसी ही एक खिलाड़ी हैं जो अपनी नैसर्गिक प्रतिभा और मेहनत के संयोजन से दुनिया की नंबर एक तीरंदाज बनी। पद्मश्री और अर्जुन पुरस्कार से नवाज़ी जा चुकी दीपिका ने 2012 में लंदन, 2016 में रियो तथा 2021 में टोक्यो ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व किया। सच्चाई यही है कि सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए दीपिका ने लम्बा रास्ता तय किया है और बचपन में जब उनके पास अभ्यास के लिए तीर कमान उपलब्ध नहीं होते थे, वे पत्थर से आम के फल तोड़कर, अपना निशाना दुरुस्त करती थी।

जनजातीय बहुल इलाकों से आने वाले प्रतिभाशाली तीरंदाजों में ‘गोल्डन ब्लॉय’ के नाम से मशहूर हुए ‘गोरा हो’ का नाम भी शामिल है, जिन्हें 2015 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाज़ा गया था। झारखण्ड से आने वाले प्रसिद्ध तीरंदाजों में संजीव कुमार सिंह का नाम भी शामिल है जिन्हें खिलाड़ी के तौर पर अर्जुन पुरस्कार और फिर प्रशिक्षक के तौर पर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इनके अलावा रिमिल बुरिउली, पूर्णिमा महतो, लक्ष्मीरानी माझी, कोमालिका बारी तथा संगीता कुमारी कुछ ऐसे तीरंदाज हैं जो देश के सबसे युवा राज्यों में शामिल झारखण्ड से निकल कर, अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी परिदृश्य पर छा गए। इसी तरह राजस्थान से लिंबाराम, श्यामलाल मीणा, रजत चौहान और छत्तीसगढ़ से सानंद मित्रा कुछ ऐसे तीरंदाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीते और भारत का



टोक्यो 2020 ओलंपिक में बीरेंद्र लाकड़ा

परचम फहराया।

उपरोक्त खिलाड़ियों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कामयाबी इसलिए और भी प्रशंसनीय कही जा सकती है कि देश के जनजातीय बहुल इलाकों से आने वाले ज्यादातर खिलाड़ी या तो किसान परिवार से आते हैं या फिर ऐसी पृष्ठभूमि से, जहाँ जीवनयापन, अपने आप में संघर्ष का पर्याय कहा जा सकता है और खेलकूद का मैदान तथा वहाँ उपलब्ध होने वाली सुविधाएँ, ऐसे खिलाड़ियों के लिए सपने से ज्यादा कुछ नहीं होती। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर जनजातीय क्षेत्रों से खिलाड़ी आगे निकले हैं और उन्होंने अपनी एक खास पहचान बनाई है, तो यह निश्चित तौर पर, उनके कड़े संघर्ष, अथक परिश्रम, जन्मजात प्रतिभा और कभी हार न मानने वाली प्रवृत्ति का ही परिचायक कहा जा सकता है।

खिलाड़ियों को प्रोत्साहन की नीतियाँ

जनजातीय क्षेत्रों में मौजूद प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की पहचान, उनके संवर्धन एवं प्रशिक्षण के लिए उचित सुविधाएँ उपलब्ध कराना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए उन्हें समुचित माहौल उपलब्ध कराने का केंद्र सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ सरकार के खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा लगभग 5 वर्ष पहले एक विस्तृत नीति की घोषणा की गई थी। दरअसल 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के गठन के बाद ही, वर्ष 2001 में खेल नीति का ऐलान हुआ था। इसका लक्ष्य राज्य में खेल संस्कृति का सृजन करने के साथ-साथ विभिन्न खेल योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन पंचायत स्तर तक करना था। छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित एवं विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ खेल नीति 2017 के अन्तर्गत रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर ज़ोर दिया गया है जिसके तहत राज्य के सभी ज़िलों में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट सामर्थ्यवान एवं क्षमतावान खिलाड़ियों की पहचान करना शामिल है।

साथ ही विभिन्न ज़िलों में आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिताएँ, ज़िले के रहवासियों के मध्य खेल के प्रति रुक्षान, ज़िले के किशोर एवं युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक क्षमता के अनुरूप उपयुक्त खेलों की पहचान कर संबंधित ज़िले में विभिन्न खेलों को प्रोत्साहित किया जाना भी, छत्तीसगढ़ खेल नीति का अहम उद्देश्य है।

राज्य में खेलों एवं खिलाड़ियों को विकसित करने तथा छत्तीसगढ़ को विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेलों में अपनी गौरवमयी पहचान को बढ़ाने हेतु राज्य के शासकीय, अर्द्धशासकीय, निजी क्षेत्र की संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, गैर सरकारी संस्थाओं, अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, निर्वाचित जन प्रतिनिधियों एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों को एक खेल एवं एक खिलाड़ी या कोई भी एक (खिलाड़ी या खेल) को गोद लेने हेतु प्रोत्साहित किए जाने का अभिनव प्रयास भी, खेल नीति का हिस्सा है।

वित्त संयोजन के तहत राज्य की ज़िला खनिज निधि का एक निश्चित प्रतिशत उपयोग खेलों एवं खिलाड़ियों को विकसित तथा प्रोत्साहित करने में किए जाने का प्रावधान है। इस नीति के तहत खेल संवर्धन परिषद, खेल संघों तथा स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त बनाया जाना आवश्यक है ताकि वे विभिन्न खेलों एवं खिलाड़ियों को लोकप्रिय बना कर, लोगों को खेल-कूद की गतिविधियों से जोड़ सकें।

छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में भी शासकीय स्तर पर जनजातीय बहुल क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने का सक्रिय प्रयास हो रहा है। प्रदेश में प्रथम खेल नीति वर्ष 1989 में बनाई गई थी तथा 5 वर्ष पश्चात उसका मूल्यांकन कर वर्ष 1994 में पुनः नई खेल नीति बनाई गई। इस खेल नीति में प्रदेश के खेलों के विकास के विभिन्न पहलू शामिल थे। मध्य प्रदेश में खेलों के संवर्धन के लिए घोषित नवीनतम नीति का उद्देश्य जीवन में खेलों एवं शारीरिक शिक्षा की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुए, युवाओं की प्रतिभा एवं ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग करना है। नागरिकों में खेल, युवा तथा साहसिक गतिविधियों के प्रति उत्साह एवं इसके माध्यम से राष्ट्रीयता, मैत्री, सामाजिक समरसता तथा सौहार्दपूर्ण प्रतिस्पर्धा की भावना को जागृत करना भी, खेल नीति का उद्देश्य कहा जा सकता है। खेलों में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाना तथा प्रदेश के युवाओं की ऊर्जा को राज्य एवं देश के विकास के लिए प्रोत्साहित कर उसका उपयोग करना खेल नीति में निहित है।

मध्य प्रदेश खेल संवर्धन नीति के तहत कुछ नीति निर्धारक बिन्दुओं की पहचान की गई है जिसमें प्रमुख है अधोसंरचना का विकास। इसके अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम में, पंचायत को खो-खो, कबड्डी, कुश्ती एवं वॉलीबाल आदि खेलों के लिए एक खेल मैदान चरणबद्ध तरीके से तैयार करना प्रस्तावित है। इसके अलावा ऐसे ज़िला मुख्यालय, जिनमें परिपूर्ण खेल परिसर नहीं है, उनमें परिपूर्ण खेल परिसर का निर्माण किया जाना भी प्रस्तावित किया गया है।

राष्ट्रीय खेलों में किए गए प्रदर्शन, प्राप्त पदकों तथा खेल सुविधाओं की वर्तमान में उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए खेलों पर ध्यान केन्द्रित किया जाना चाहिए, जिसमें एथेलेटिक्स, कुश्ती, खो-खो, कबड्डी, वालीबॉल, तैराकी, केनोइंग-क्याकिंग, ताईक्वांडो, जूडो, हॉकी, बास्केटबाल, निशानेबाजी तथा घुड़सवारी शामिल है। आदिवासी क्षेत्रों में कबड्डी, रस्साकसी, तेज़ दौड़ तथा ऊँचीकूद, कुश्ती तथा धनुर्विद्या जैसे खेलों में अन्तर्राष्माम पंचायत प्रतियोगिताएँ आयोजित करना एवं उक्त आयोजन के लिए, खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा आदिवासी उपयोजना के अन्तर्गत विभागीय बजट में प्रावधान किया जाना भी प्रस्तावित है।

मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, खास तौर पर जनजातीय बहुल इलाकों में खेल नीति के कार्यान्वयन और समुचित प्रोत्साहन के सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के हर्दा ज़िले में 15 जनजातीय बहुल गाँवों की बालिकाओं के बीच ‘गर्ल्स प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता’ के आयोजन की उत्साहजनक खबर आई, जिसे लैंगिक समानता या जेंडर इक्वलिटी का भी एक उदाहरण कहा जा सकता है। इस अनोखी क्रिकेट प्रतियोगिता में दीमों के नाम हर्दा ज़िले के गाँवों के नाम पर रखे गये थे, जिनमें 13 से 25 वर्ष आयु वर्ग की 11-11 बालिकाएँ शामिल थीं। खास बात ये थी कि इससे पहले इन बालिकाओं ने अपने गाँव की सीमाओं से बाहर कभी कदम नहीं रखा था और न ही कभी क्रिकेट के खेल का विधिवत प्रशिक्षण लिया था। इसके बावजूद इन सभी ने अपने खेलों

छत्तीसगढ़ राज्य में विभिन्न खेलों एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित एवं विकसित करने हेतु छत्तीसगढ़ खेल नीति 2017 के अन्तर्गत रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाने पर ज़ोर दिया गया है जिसके तहत राज्य के सभी ज़िलों में विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट सामर्थ्यवान एवं क्षमतावान खिलाड़ियों की पहचान करना शामिल है।

में अभ्यास करते हुए प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और उसे अपने जीवन का एक अविस्मरणीय अनुभव बताया।

देश के खेल मानचित्र पर ओडिशा राज्य ने भी अपनी खास पहचान बनाई है और बहुत से बेहतरीन खिलाड़ी, ओडिशा के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से उभर कर सामने आए हैं। इन्हीं में से एक जाना पहचाना नाम है भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान दिलीप टिक्की का। तीन ओलंपिक खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले दिलीप टिक्की ने 400 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और उन्हें सरकार द्वारा पद्मश्री तथा अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ओडिशा के सुंदरगढ़ ज़िले में जन्मे दिलीप टिक्की 1998 में बैंकाक एशियाई खेलों में स्वर्ण तथा 2002 में बुसान में रजत पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम में शामिल थे। दिलीप के पिता विंसेंट टिक्की भी हॉकी खिलाड़ी थे और उनके दो जुड़वां भाई, अनूप और अजीत टिक्की, भारतीय रेलवे की हॉकी टीम के सदस्य रहे। दरअसल दिलीप टिक्की पद्मश्री से नवाज़े जाने वाले और 3 ओलंपिक खेलने वाले चुनिंदा खिलाड़ियों में शामिल हैं और 2012 से 2018 तक राज्य सभा के सदस्य भी रहे।

देश के लिए खेल के मैदान पर भविष्य की आशा के रूप में गुमला ज़िले की एथलीट सुप्रीती कच्छप का नाम लिया जा सकता है। बेहद सामान्य आदिवासी पृष्ठभूमि से आने वाली सुप्रीति ने एथलेटिक्स में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है और अब वे अगस्त में कोलंबिया में होने वाली अंडर-20 विश्व चैपियनशिप की तैयारी कर रही हैं। गुमला ज़िले से ही आती है कार्तिक ओरांव की दो बेटियाँ ममता बारा और बरखा रानी बारा। जीवन की तमाम विसंगतियों को पीछे छोड़ते हुए ये दोनों बहने फुटबाल के मैदान पर अपनी कामयाबी की कहानी लिखने को तत्पर दिख रही हैं और खेलों इंडिया गेम्स तथा अन्य प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन, उनके उज्ज्वल भविष्य का संकेत दे रहा है।

कुछ ऐसी ही कहानी झारखंड के किसान परिवार की बेटी सुमति कुमारी की है। अक्सर खेती में अपने परिवार का हाथ बटाने वाली सुमति ने जब फुटबाल मैदान का रुख किया तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। वे ए.एफ.सी. महिला एशिया कप तथा कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं।

देश के जनजातीय बहुल क्षेत्रों से लगातार उभरकर आने वाली खेल प्रतिभाओं की प्रेरणादायक गाथाएँ इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि आज का भारत बदल रहा है। देश में खेलों के क्षेत्र में समावेशी विकास का नया अध्याय शुरू हो चुका है जिसमें समाज के हर वर्ग का अपना विशिष्ट योगदान है। इसके साथ ही केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा भी लगातार इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि देश के सुदूर अंचलों में स्थित जनजातीय बहुल इलाकों से प्रतिभाओं की पहचान करके, उन्हें समुचित प्रशिक्षण, अत्याधुनिक उपकरण और सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ। इमानदारी से किए जाने वाले ऐसे प्रयासों से न केवल प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि विश्व मानचित्र पर एक खेल महाशक्ति के रूप में उभरने का भारत का सपना भी साकार हो सकता है। ■



PERFECTION IAS

An Institute for UPSC & BPSC

69 SELECTIONS IN 65th BPSC

OUR TOPPERS IN TOP 100



RAGHVENDRA PRATAP
RANK 15
BIHAR ADMINISTRATIVE SERVICE (BAS)



KESHAV RAJ
RANK 31
SUB REGISTRAR/
JOINT SUB REGISTRAR



ALOK KUMAR
RANK 32
BIHAR POLICE SERVICE
(By SP)



SWETA PRIYADARSHI
RANK 33
BIHAR ADMINISTRATIVE SERVICE (BAS)



NIPUN KUMARI
RANK 39
BIHAR ADMINISTRATIVE SERVICE (BAS)



KUMAR SUBHAM
RANK 59
DISTRICT COMMANDANT

and many more

107 SELECTIONS IN 64th BPSC

OUR TOPPERS IN TOP 100



MEDHA SINHA
Rank: 24
BIHAR ADMINISTRATIVE SERVICE



ASHISH RAJ
Rank: 33
DSP, BIHAR POLICE SERVICE



VIVEK YADAV
Rank: 45
SUB ELECTION OFFICER



DIVYANSHU DIVYAL
Rank: 58
JOINT SUB REGISTRAR



SHILPI ANAND
Rank: 66
BIHAR ADMINISTRATIVE SERVICE



KAUSHALENDRA KUMAR
Rank: 91
SG, Bihar LEGISLATIVE ASSEMBLY

and many more

OUR FEATURES

CLASSES BY
**UPSC SELECTED &
INTERVIEW**
APPEARED FACULTIES

DAILY
ANSWER WRITING

MONTHLY
CURRENT AFFAIRS
MAGAZINE

WEEKEND TESTS

**SEPARATE BATCHES
FOR HINDI & ENGLISH
MEDIUM**

**UPSC Interview
Appeared Content Team**

Reg. Office: 103, Kumar Tower, Boring Rd. Crossing, Patna
9155090871/72/73

www.perfectionias.com
 perfectionias@gmail.com

अब प्रिंट संस्करण और ई-बुक संस्करण उपलब्ध



भारत 2022



भारत के प्रांतों, केंद्रशासित प्रदेशों,
भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों तथा
नीतियों, कार्यक्रमों और उपलब्धियों की
आधिकारिक जानकारी देने वाला
वार्षिक संदर्भ ग्रंथ

मूल्य: प्रिंट संस्करण ₹ 330/- ई-बुक संस्करण ₹ 248/-

पुस्तकें खरीदने के लिए प्रकाशन विभाग की

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in और मोबाइल ऐप Digital DPD पर जाएं

ई-बुक एमेजांन और गूगल प्ले पर भी उपलब्ध

देश भर में प्रकाशन विभाग के विक्रय केन्द्रों और
पुस्तक विक्रेताओं से भी खरीद सकते हैं



ऑफर के लिए संपर्क करें :

फोन : 011-24367260

ई-मेल : businesswng@gmail.com

हमारी पुस्तकें ऑनलाइन खरीदने के लिए

कृपया www.bharatkosh.gov.in पर जाएं।

प्रकाशन विभाग

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,

भारत सरकार

सूचना भवन, सी. जी. ओ. कॉम्प्लेक्स,

लोधी रोड नई दिल्ली -110003

वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in

सूचना भवन की पुस्तक दीघां में पधारे



@publicationsdivision



@DPD_India



@dpd_India

देशज संस्कृतियाँ

डॉ मधुरा दत्ता

विश्व भर में देशज समुदाय सुदृढ़ पारम्परिक संस्कृतियों, कला, शिल्प और पर्यावरण-सम्बन्धी ज्ञान के वाहक होते हैं। संतुलित प्रकृति-संस्कृति सम्बन्धों को बनाए रखने में स्थानीय, सांस्कृतिक और प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ उपयोग के इन समुदायों के कौशल को मान्यता देते हुए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2007 में देशज जनों के अधिकारों का घोषणा-पत्र पारित किया। इस घोषणा-पत्र में विश्व भर के देशज जनों के जीवन, गरिमा और कल्याण के न्यूनतम मानकों का एक सार्वभौम स्वरूप निर्धारित किया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि कैसे मानव अधिकारों के वर्तमान मानक तथा मूलभूत स्वतंत्रताएँ देशज जनों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप लागू की जा सकती हैं। अनुमान है कि विश्व भर में 47.6 करोड़ देशज जन हैं जो 90 देशों में फैले हुए हैं और करीब पाँच हजार विशिष्ट संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का 6.2 प्रतिशत देशज जन हैं जो विश्व के सभी भौगोलिक क्षेत्रों में बसते हैं।

भा

रत में देशज संस्कृतियों और लोक-समुदायों की अद्भुत विविधता है। करीब 10.4 करोड़ लोग यानी देश की जनसंख्या का करीब 8.6 प्रतिशत हिस्सा इन समुदायों में बसता है। देश में 705 सरकारी तौर पर मान्यता-प्राप्त ऐसे लोक-समुदाय हैं, लेकिन इनकी वास्तविक संख्या बहुत अधिक है। पूर्वोत्तर राज्यों, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में इन समुदायों की संघनता है।

इन लोगों की विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक परम्पराएँ अनेक पीढ़ियों से चले आ रहे सामूहिक सम्बन्धों तथा भू-स्वामित्व पर आधारित हैं। इसलिए प्रकृति पर इन समुदायों की निर्भरता अधिक रूप से इनकी पहचान, संस्कृतियों, आजीविका के साधनों आदि के साथ-साथ, इनकी भौतिक तथा आध्यात्मिक प्रसन्नता से भी जुड़ी हैं। उनकी पारम्परिक संस्कृति और जीवन-शैली में जीने का वैज्ञानिक तरीका, उच्च टैक्नोलॉजी और श्रेष्ठ मानवीय कौशल नजर आता है। स्थानीय वनस्पतियों और जीवों, बीजों, औषधियों, मछली पकड़ने, घर बनाने, वस्त्र तैयार करने, भोजन आदि की उनकी गहरी समझ, सही मायने में

टिकाऊ विकास-मार्ग का आधार है। देशज समुदायों के बारे में विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है, “देशज समुदाय विश्व के स्थल क्षेत्र के एक चौथाई हिस्से पर रहते हैं अथवा इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे विश्व की बची हुई 80 प्रतिशत जैव-विविधता की रक्षा करते हैं। जलवायु और प्राकृतिक विनाश के खतरों को कम करने, उनसे बचाव और प्रकृति के साथ अनुकूलन के बारे में इन समुदायों के पास पीढ़ियों का संचित ज्ञान और विशेषज्ञता है।”¹²



आदि, अन्य स्वदेशी समुदायों की तरह, प्रकृति पर निर्भर हैं और अपनी आजीविका और जीवन शैली में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं।



एक आदि घर में घर के ऊपरी सामने के हिस्से को कवर करने वाली एक लंबी ओवरहैंगिंग डबल छत होती है।

दुर्भाग्य से, देशज समुदायों के जीवन, आजीविका और व्यवहार से जुड़े इन पारम्परिक तौर-तरीकों के विलुप्त होने का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके लिए ज़िम्मेदार अनेक कारकों में इन लोगों के अधिकारों को मान्यता और संरक्षण न दिया जाना, इन्हें अलग-थलग रखने वाली सरकारी नीतियाँ और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव शामिल हैं। इस लेख में भारत की कुछ स्थानीय देशज संस्कृतियों का रोचक विवरण प्रस्तुत किया गया है।

अरुणाचल प्रदेश के आदीवासी

आदि अरुणाचल प्रदेश के अनेक देशज समुदायों में एक हैं। उनका मानना है कि उनके पूर्वज उत्तरी इलाकों से इस शीतोष्ण और उप-उष्ण-कटिबंधीय इलाके में आ कर बस गए। इस समय, ये लोग अरुणाचल प्रदेश के सिआंग, पूर्वी सिआंग, अपर सिआंग, पश्चिमी सिआंग, लोअर डिबंग वैली, लोहित, शि योमी और नामसाई इलाकों में रहते हैं। ‘आदी’ शब्द का स्थानीय भाषा में अर्थ ‘पहाड़ी’ या ‘पर्वत-शिखर’ है। ये लोग चीनी-तिब्बती भाषा बोलते हैं।

ये पारम्परिक रूप से प्रकृति-पूजक हैं और दोन्ही-पोलो मत को मानते हैं। अन्य अधिकतर देशज समुदायों की तरह, आदी भी प्रकृति पर निर्भर हैं। ये अपनी आजीविका और जीवन-शैली में पूर्णतः आत्मनिर्भर हैं। इनके सभी संसाधन वनों से आते हैं और अपने इस जीवन-स्रोत की वह रक्षा करते हैं। इनके पुरातन काल से चले आ रहे कौशलों में एक मकान बनाने की विशेषज्ञता है। मकान के आकार और इसे बनाने वालों की संख्या के आधार पर, ये एक-दो दिन में ही मकान बना लेते हैं।

आदी खास तरह के ज़मीन से ऊपर उठे, आम तौर पर चौकोर और मचानों पर टिके घर बनाते हैं। ऊपर के सामने के हिस्से को ढकने वाली ऊँची आगे को बढ़ी दोहरी छतों से इनके घर पहचाने जाते हैं। ज्यादातर पुरुष आदी अच्छे शिल्पी होते हैं और ये विभिन्न पेड़-पौधों से प्राप्त सामग्री से अनोखे तरीके से मकान बनाते हैं। पारम्परिक मकान विभिन्न प्रकार के बाँस, दूसरी लकड़ियों, बेंत, पत्तियों आदि से बनाए जाते हैं। इन्हें बनाने में कीलों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होता। घरों की दीवारें लकड़ी और बाँस से बनती हैं। फर्श भी बाँस से और छतें पत्तों के छप्पर से बनती हैं। मकानों को बनाने में इस्तेमाल होने वाली रस्सियाँ भी प्राकृतिक पदार्थों से बनती हैं। इन्हें लंबे समय तक चलने और मजबूती के लिए विशेष

रूप से तैयार किया जाता है। मकान बनाने की प्रत्येक सामग्री को हासिल करने में कुछ सप्ताह से लेकर एक से डेढ़ साल तक लग सकता है और इनकी छिनाई-छँटाई आदि (प्री-प्रोसेसिंग) पहले से कर ली जाती है ताकि मकान बनाते वक्त सुविधा हो और कम समय लगे। इस सामग्री को चंद्रमा के पक्ष के अनुसार जमा किया जाता है। कृष्ण पक्ष से तुरंत पहले जमा की गई सामग्री में कीड़े नहीं होते और यह ज्यादा टिकाऊ होती है। लेकिन दूसरे किसी समय जमा की गई सामग्री में दीमक और अन्य कीड़े लगाने की आशंका रहती है। घर का आकार उसमें रहने वालों की संख्या पर भी निर्भर करता है। घर आम तौर पर पूर्व-पश्चिम दिशा में बनाए जाते हैं ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा सूर्य का प्रकाश मिले। एक पारम्परिक आदी घर में खिड़की नहीं होती और एक सामने, एक पीछे - दो दरवाजे होते हैं। हर घर में एक अथवा अधिक चूल्हे होते हैं। घर के पूरे आंतरिक स्थान में कोई पार्टिशन नहीं होता। लेकिन उपलब्ध स्थान, उपयोग के हिसाब से, अलग-अलग नाम वाले कई हिस्सों में बंटा होता है। मकान बन जाने पर, आदी लोग अपनी पारम्परिक चावल से बनी बीयर पीकर उत्सव मनाते हैं।

अरुणाचल प्रदेश के तांग्सा

तांग्सा समुदाय के लोग पूर्वी अरुणाचल प्रदेश चांगलांग ज़िले में रहते हैं। यह किला पाटकाई पहाड़ियों की गोद में बसा है। प्राचीन वनों के बीच बहती मोहक नोआ-देहिंग नदी इन स्थानीय जनों के लिए जीवन-दरियानी है।

तांग्सा समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर है और खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण, भोजन पकाने में ईंधन बचाने, कपड़ा बुनने, भवन बनाने और टोकरियाँ बनाने में इन्हें महारत हासिल है। उनकी अब तक चली आ रही एक विशेषता बाँस की चाय बनाने की है। तांग्सा और सिंगाकॉस समुदाय भारत के मूलभूत चाय-निर्माता माने जाते हैं जिन्होंने अँग्रेज़ों द्वारा भारत में चाय को व्यापारिक रूप से लोकप्रिय बनाने से बहुत पहले चाय बनाना शुरू कर दिया था।

तांग्सा लोगों को भी नहीं पता कि कितने प्राचीन काल से वे अपने पारम्परिक तरीकों से चाय की पटियाँ तैयार कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में भुनी हुई पत्तियाँ कई वर्षों तक ताजा बनी रहती हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये लोग अपने गाँव के बगीचों से पत्तियाँ चुनते हैं,



बाँस की चाय बनाने की प्रक्रिया गाँव के बगीचों से चाय की पत्तियाँ को तोड़ने, आग में सुखाने, बाँस की ताजी नली के अंदर भूनने और अंत में एक ठोस रूप बनाने के साथ शुरू होती है।

फिर उन्हें आग में सुखाते हैं, फिर बाँस के खोलों में भूनते हैं जिनके अंदर पत्तियाँ ठोस रूप में तैयार हो जाती हैं। चाय बनाते समय, ये लोग ठोस पत्तियों वाले हिस्से में बाँस की पतली पर्त को काटते हैं और छोटे-छोटे टुकड़े काट लेते हैं जिन्हें गरम पानी में डाल कर चाय बनाई जाती है। पारम्परिक तरीके में तो चाय उबाली भी बाँस के खोलों में जाती थी लेकिन अब केतलियों में भी चाय बनाई जाने लगी है। ये लोग रोज़ इस चाय को पीते हैं क्योंकि इसमें औषधीय गुण माने जाते हैं। चाय तैयार करने के अलावा भी, तांग्सा लोगों के जीवन में बाँस के अनेक उपयोग हैं। तांग्सा लोगों के रोज़ाना के पारम्परिक भोजन में चावल, माँस और मछली शामिल हैं और ये सभी बाँस जला कर ही पकाए जाते हैं।

तांग्सा लोगों की स्थानीय पेड़-पौधों के बारे में जानकारी बड़ी समृद्ध है और वे प्रकृति से अभिन्न रूप से जुड़े हैं। इस समृद्ध जानकारी के बल पर, वे बाँसों से अपने मकानों के साथ अनेक उपयोगी वस्तुएँ, जैसे टोकरियाँ, बर्तन, सामान रखने के कंटेनर, चटाई आदि बनाते हैं जो उनके जीवन को पर्यावरण की दृष्टि से पूरी तरह अनुकूल और टिकाऊ बनाते हैं।

राजस्थान के कालबेलिया

कालबेलिया पारम्परिक संपर्कों का अनोखा समुदाय है। यह योगी पंथ के नवनाथ बंजारा समुदाय से हैं। लगातार धूमते रहने से उन्हें 'धूमन्तर' भी कहा जाता है। कुछ दशक पहले ये लोग राजस्थान में जोधपुर में चोपसनी इलाके में बस गए। यहाँ करीब 200 कालबेलिया रहते हैं जिनमें 100 क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ये कालबेलिया गीत-संगीत और नृत्य के गुरु होते हैं। चोपसनी के कालूनाथ कालबेलिया, अप्पानाथ कालबेलिया, आशा संपरा, सुवा देवी समदा प्रमुख गुरु हैं। कालूनाथ को तो इस लोक कला का सजीव रूप ही माना जाता है।

इनके सांस्कृतिक कला-रूपों और उनके अभ्यासों की परम्परा पूरी तरह वाचिक है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को पहुँचाती है। 'काल' का मतलब है 'साँप' और 'बेलिया' का मतलब 'मित्र' है। 1972 में वाइल्डलाइफ एक्ट के लागू होने के बाद साँपों के साथ खिलवाड़ करने की मनाही हो जाने के बाद से, इन लोगों का परम्परागत पेशा समाप्त हो गया। अब ये नाच-गाने से ही अपनी आजीविका चलाते हैं। इनका देशज गीत-संगीत, नृत्य और हस्त-शिल्प बड़े समृद्ध, रंगारंग और जीवंत हैं। नर्तकियों के मोहक वस्त्र, उनका तेजी से धूमना और साँपों जैसी भाव-भंगियाँ कालबेलिया को अत्यंत आकर्षक नृत्य-रूप बना देते हैं। अपनी भाव-सघनता और ऊर्जा की वजह से कालबेलिया नर्तकियाँ विश्व भर में जानी जाती हैं। पुरुष संगीत बजाते हैं। इनका मुख्य वाद्य पुंगी या बीन है जिसके साथ डफली और मंजीरा की संगत दी जाती है। इसी संगीत पर कालबेलिया नर्तकियाँ नाचती हैं। इस समुदाय के लोगों की स्थानीय जंतुओं और वनस्पतियों की गहन जानकारी होती है और ये प्राकृतिक वस्तुओं से



नर्तकियों के धूमने और सांप जैसी हरकतों के साथ उनकी भव्य वेशभूषा की आकर्षक विशेषताएँ कालबेलिया को बनाती हैं सबसे असर्चर्यजनक लोक नृत्य रूप।

औषधियाँ बनाने में निपुण होते हैं।

राजस्थान के कालबेलिया समुदाय और उनके पुरुषों के बारे में काफी शोधकार्य हुआ है और फिल्में भी बनी हैं। माना जाता है कि उनके पुरुषे अमेरिका और यूरोप में बसे धूमंतू रोमा कबीलों के जमाने के थे। कालबेलिया समुदाय को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संगठन - युनेस्को की मानवता की धरोहरों की प्रतिनिधि सूची (प्रिंजेंटेटिव लिस्ट ऑफ़ हेरिटेज ऑफ़ ह्यूमेनिटी) में शामिल किया गया है। लेकिन गाँवों में कलाकारों की स्थिति बहुत खराब है। पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाने और आमदनी जुटाने के अन्य काम न अपना पाने से कालबेलिया संगीतकारों और नर्तकियों की संख्या कम होती जा रही है।

'लाहे', 'रुदाली' जैसी अनेक फिल्मों और वृत्तचित्रों में कालबेलिया कलाकारों ने काम किया है। कालबेलिया नृत्य पर पुस्तकें भी लिखी गई हैं। इन लोगों की सामाजिक और आर्थिक विपन्नता बहुत अधिक है - न आजीविका के पर्याप्त साधन हैं, न सामाजिक सम्मान है। कालबेलिया स्त्रियाँ अपनी नृत्य-कला के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक परम्परा को आगे बढ़ा रही हैं और इस कला-रूप की साधना में पुरुषों के बराबर सहभागी हैं। उनकी संस्कृति, विभिन्न स्थानों में प्रवास और जीवन-शैली का उनके सामाजिक जीवन पर जो असर पड़ा है, उसे समझने तथा सूत्रबद्ध करने की आवश्यकता है।

पश्चिम बंगाल के राजबंशी

राजबंशी भी एक देशज समुदाय है जिसके लोग पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और देश के अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में बसे हैं। यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी और दक्षिणी दिनाजपुर इलाके के सबसे बड़े देशज समुदायों में एक है। अनुकूल प्राकृतिक परिस्थितियों की वजह से, कृषि इनकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्रोत है। उनकी प्राचीन सभ्यता, धरोहर तथा संस्कृति, अपनी बोली, कला-रूप और जीवन-शैली हैं। 'राजबंशी' शब्द 'शाही समुदाय' का द्योतक है। माना जाता है कि ये प्राचीन कोच साम्राज्य के वंशज हैं। कभी इनके पूर्वज यहाँ की ज़मीन के



गोमिरा नृत्य (मुखा नाच) के कलाकारों का मानना है कि एक बार वे मुखौटे लगाते हैं तो उस मुखौटे का व्यक्तित्व नर्तक के व्यक्तित्व पर प्रतिबिंబित हो जाता है स्वामी थे, लेकिन अँग्रेज़ों के आने और अन्य बाहरी लोगों के हमलों में इन्होंने अपनी ज़मीन और टिकाऊ ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था खो दी।

राजबंशियों के कला-रूपों में बड़ी विविधता है। इनमें बाँस और ढोकरा शिल्प, गोमिरा नृत्य (मुखा नाच) और व्यंगात्मक लोक नाट्य-खोन शामिल हैं। यह समुदाय, परम्परा से जीववादी (एनिमिस्ट) है इसलिए इनके सभी सांस्कृतिक कला-रूप प्रकृति, अध्यात्म, प्राकृतिक संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल और स्थानीय जैव-विविधता के गहन ज्ञान पर आधारित हैं।

गोमिरा नृत्य को स्थानीय तौर पर मुखा नाच भी कहा जाता है। यह एक पारम्परिक नृत्य अथवा संगीत लोक नाट्य है, जिसमें मुँह पर विभिन्न देवी-देवताओं के लकड़ी के बने गोमिरा यानी मुखौटे पहने जाते हैं। नृत्य करने वालों की मान्यता है कि मुखौटे पहनते ही, देवी-देवता उन पर उत्तर जाते हैं। नृत्य के साथ ढोल, ढाक, शहनाई और घंटे बजाए जाते हैं। देवी-देवता के चरित्र के अनुरूप उन्हें रंग-बिरंगी पोशाकें पहनाई जाती हैं। इन प्रस्तुतियों से इन समुदायों को रोज़ी-रोटी में कुछ मदद मिल जाती है।

ज्यादातर गोमिरा मुखौटे बनाने वाले दक्षिण दीनाजपुर के कुशमाँड़ी ब्लॉक और उत्तर दीनाजपुर के कालियागंज ब्लॉक में रहते हैं। इन दो ब्लॉकों में करीब 250 कलाकार रहते हैं जो महिषबाठन, सबदलपुर, बेलडांगा, उषाहरण, मधुपुर, बेरैल, मंगलदाई, कलियागंज आदि गाँवों में रहते हैं।



ढोकरा या जूट की चटाई बुनाई उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर ज़िलों के गाँवों में राजबंशी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक स्वदेशी परम्परा है।

चैत्र-आषाढ़ (अप्रैल-जुलाई) के महीनों में हर गाँव कम से कम एक बार पारम्परिक गोमिरा नृत्य आयोजित करता है। यह आम तौर पर गाँव के मंदिर में आयोजित किया जाता है। गोमिरा नृत्य मुख्य रूप से ग्राम-देवी चंडी को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। भक्तों की इच्छा-पूर्ति के लिए मुखौटे भी देवी को चढ़ा दिए जाते हैं। नृत्य से पहले एक संगीतमय प्रस्तावना के बाद देवी के आहान के लिए, उनकी वंदना होती है। इसके बाद मुख्य कार्यक्रम होता है। आजकल, इस क्षेत्र के युवा इस परम्परा को बनाए रखने और बढ़ावा देने के प्रयासों में रुचि ले रहे हैं।

उत्तर और दक्षिण दीनाजपुर ज़िलों की राजबंशी महिलाएँ ढोकरा (जूट की चटाईयाँ) बनाती हैं। इन्हें पत्ता करघे (स्ट्रेप लूम) पर घर में ही बनाया जाता है। ढोकरा बनाना इन महिलाओं की आजीविका का स्रोत है। वे स्थानीय हाटों में भी तो इन चटाईयों को तो बेचती ही हैं, वे शहरी उपभोक्ताओं के लिए विविधतापूर्ण उत्पाद भी बना रही हैं। जूट की पैदावार भी इन्हीं गाँवों में होती है और यहाँ इनकी प्रोसेसिंग कर बहुत टिकाऊ चटाईयाँ बनाई जाती हैं। हस्त शिल्प और घरेलू डिज़ाइनों के बाज़ार में इन उत्पादों की विशिष्ट पहचान है।

राजबंशी समुदाय व्यंग्यात्मक, नए गढ़े विषयों वाला लोक नाटक-खोन भी आयोजित करते हैं। माना जाता है कि यह करीब दो सौ साल पुराना पारम्परिक नाट्य-रूप है। राजबंशी परम्परा में ‘खोन’ का मतलब ‘क्षण’ है। इसमें स्थानीय घटनाओं के आधार पर कहानियाँ गढ़ी जाती हैं और उनका हास्य-व्यंग्य मिश्रित नाट्य-रूप प्रस्तुत किया जाता है। इन नाटकों में संवाद, गीत और नृत्य होता है। ‘खोन’ गीत रामायण के गीतों से प्रेरित होते हैं। ‘खोन’ की विशेषता यह होती है कि इसमें पहले से कोई नाट्य-कथा लिखी नहीं होती है। यह नाटक स्थानीय उत्सवों और रीति-रिवाजों का अभिन्न भाग है।


निष्कर्ष

स्पष्ट है कि इन अनूठी पारम्परिक ज्ञान-प्रणालियों, कला और शिल्पों का घनिष्ठ आपसी संबंध होता है और इन सभी में प्रकृति के प्रति गहरा अनुरोग होता है। प्राचीन काल से ही, देशज समुदायों ने गीतों, नाटकों और सामाजिक रीति-रिवाजों की मौखिक सांस्कृतिक परम्पराएँ विकसित की हैं ताकि वे आस्था और आशा के साथ बदलते समय के साथ जीवित रह सकें। जहाँ एक ओर विश्व 2030 तक के धारणीय विकास के लक्ष्यों को 2030 तक प्राप्त करने के लिए संर्घण्य कर रहा है, वहाँ दूसरी ओर ऐसे सैकड़ों देशज समुदाय हैं जो अपने पारम्परिक तरीके के जीवन से प्रकृति में जगा भी कार्बन प्रदूषण नहीं फैलाते। ऐसे ज्यादातर समुदाय आत्म-निर्भर हैं और अपने प्राकृतिक तथा सांस्कृतिक ज्ञान एवं विवेक के साथ जीते हैं। इस ज्ञान-विवेक को पहचान कर मान्यता देते हुए यथाशीघ्र बचाया जाना चाहिए, न कि इनको चारों तरफ फैली प्रभावी संस्कृति में जबरदस्ती मिलाने की कोशिश की जानी चाहिए। मनुष्य, प्रकृति और संस्कृति के बीच सजग संतुलन को समझने तथा कायम करने के लिए प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना और सँजो कर रखना आवश्यक है। ■

संदर्भ

- संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (21 जुलाई, 2019), टैन थिंग्स टु नो अबाउट ईंडिजीनस पीपुल, <https://stories.undp.org/10-things-we-all-should-know-about-indigenous-people> से।
- विश्व बैंक (14 अप्रैल 2022), ईंडिजीनस पीपुल <https://www.worldbank.org/en/topic/indigenouspeoples#1> से।


सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु पुस्तकें




ISBN: 9788179308110
₹ 590



ISBN: 9788179307908
₹ 475




ISBN: 9788179308141
₹ 325




ISBN: 9788179308226
₹ 320



ISBN: 9788179308165
₹ 570




ISBN: 9788179307915
₹ 825




ISBN: 9788179308011
₹ 405



ISBN: 9788179308257
₹ 425



ISBN: 9788179306420
₹ 325



ISBN: 9788179308233
₹ 385

Spectrum Books Pvt. Ltd.

www.spectrumbooksonline.in, e-mail: info@spectrumbooks.in

Phone: 011-25507922, 25623501, 25611640, Mobile 9958327924



योजना

विकास को समर्पित मासिक
(हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू व 10 अन्य भारतीय भाषाओं में)

आजकल

साहित्य एवं संस्कृति का मासिक
(हिंदी तथा उर्दू)

हमारी पत्रिकाएँ

प्रकाशन विभाग
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

रोजगार समाचार

साप्ताहिक
(हिंदी, अंग्रेज़ी तथा उर्दू)

कुरुक्षेत्र

ग्रामीण विकास पर मासिक
(हिंदी और अंग्रेज़ी)

बाल भारती

बच्चों की मासिक पत्रिका
(हिंदी)

घर पर हमारी पत्रिकाएँ मंगाना है काफी आसान...

आपको सिर्फ नीचे दिए गए 'भारत कोश' के लिंक पर जा कर पत्रिका के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान करना है-
<https://bharatkosh.gov.in/Product/Product>

सदस्यता दरें

प्लान	योजना या कुरुक्षेत्र या आजकल (सभी भाषाएँ)	बाल भारती	रोजगार समाचार		सदस्यता शुल्क में रजिस्टर्ड डाक का शुल्क भी शामिल है। कोविड-19 महामारी के मद्देनज्जर नए ग्राहकों को अब रोजगार समाचार के अलावा सभी पत्रिकाएँ केवल रजिस्टर्ड डाक से ही भेजी जाएंगी। पुराने ग्राहकों के लिए मौजूदा व्यवस्था बनी रहेगी।
वर्ष	रजिस्टर्ड डाक	रजिस्टर्ड डाक	मुद्रित प्रति (साधारण डाक)	ई-संस्करण	
1	₹ 434	₹ 364	₹ 530	₹ 400	
2	₹ 838	₹ 708	₹ 1000	₹ 750	
3	₹ 1222	₹ 1032	₹ 1400	₹ 1050	

ऑनलाइन के अलावा आप डाक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट, भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर से भी प्लान के अनुसार निर्धारित राशि भेज सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट,

भारतीय पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर 'अपर महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

रोजगार समाचार की 6 माह की सदस्यता का प्लान भी उपलब्ध है, प्रिंट संस्करण ₹. 265/-, ई-संस्करण ₹. 200/-, कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए

<https://eneversion.nic.in/membership/login> लिंक पर जाएं। डिमांड ड्राफ्ट 'Employment News' के पक्ष में नई दिल्ली में देय होना चाहिए।

अपने डीडी, पोस्टल आर्डर या मनीआर्डर के साथ नीचे दिया गया 'सदस्यता कूपन' या उसकी फोटो कॉपी में सभी विवरण भरकर हमें भेजो। भेजने का पता है-

संपादक, पत्रिका एकांश, प्रकाशन विभाग, कक्ष सं. 779, सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003.

अधिक जानकारी के लिए ईमेल को- pdjucir@gmail.com

हमसे संपर्क करें- फोन: 011-24367453, (सोमवार से शुक्रवार सभी कार्य दिवस पर प्रातः साढ़े नौ बजे से शाम छह बजे तक)

कृपया नोट करें कि पत्रिका भेजने में, सदस्यता शुल्क प्राप्त होने के बाद कम से कम आठ सप्ताह लगते हैं,

कृपया इतने समय प्रतीक्षा करें और पत्रिका न मिलने की शिकायत इस अवधि के बाद करें।

सदस्यता कूपन (नई सदस्यता/नवीकरण/पते में परिवर्तन)

कृपया मुझे 1/2/3 वर्ष के प्लान के तहत पत्रिका भाषा में भेजें।

नाम (साफ व बड़े अक्षरों में)

पता :

..... ज़िला पिन


ईमेल मोबाइल नं.

डीडी/पीओ/एमओ सं. दिनांक सदस्यता सं.

आदिवासी गढ़ छत्तीसगढ़

लेखक - सुशील गौतम

छत्तीसगढ़ रोमांचक यात्राओं, वन और संस्कृति प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह प्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, वन, बन्य अभयारण्य, आदिवासी समाज की बहुरंगी संस्कृति के साथ-साथ ऐतिहासिक-धार्मिक महत्व की विरासतों से समृद्ध है। घने जंगल और आदिवासी छत्तीसगढ़ की पहचान हैं। आदिवासियों की भाषा, बोली और लोक संस्कृति पर आज खतरा मंडरा रहा है। इनके संरक्षण की तुरंत आवश्यकता है। लेखक ने इस पुस्तक में छत्तीसगढ़ के इतिहास, कला, संस्कृति, आदिवासी जन-जीवन और प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत रोचक वर्णन प्रस्तुत किया है।



उत्तराखण्ड
के
आदिवासी



उत्तराखण्ड के आदिवासी


लेखक - देवेन्द्र उपाध्याय

उत्तराखण्ड की सदियों पुरानी सांस्कृतिक, सामाजिक एवं भौगोलिक विविधता ही इसकी अपनी विशिष्ट पहचान रही है। जातीय विविधता ने इसे और समृद्ध बनाया है। उत्तराखण्ड में सदियों से बसी थारू, बुक्सा, जौनसारी, राजी (बनराजत) और भोटिया (शौका) जनजातियों की, सामाजिक एवं अर्थिक पिछड़ेपन के बावजूद अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान रही है। वहाँ के अन्य गैर-आदिवासियों के साथ उनके मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हैं और ये सम्बन्ध परस्पर विश्वास पर आधारित हैं। इस पुस्तक में लेखक ने उत्तराखण्ड की आदिवासी जनजातियों का विस्तार से वर्णन किया है। लेखक उत्तराखण्ड राज्य से हैं और जाने-माने साहित्यकार हैं। इनकी कई कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं।

मध्यभारत के आदिवासी और स्वतंत्रता आंदोलन

लेखक - अंजनी कुमार झा

अँग्रेजों के भारत में आने के पश्चात् उनके साम्राज्य-विस्तार में आदिवासियों को भी शोषण के दौर से गुजरना पड़ा। 1764 में इलाहाबाद की संधि के बाद जब कंपनी को बंगाल, बिहार और ओडिशा की दीवानी का अधिकार मिला तो शोषण का वीभत्स रूप सामने आने लगा। 1766 में मेदिनीपुर में आदिवासियों ने पहली बार अँग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जोरदार आवाज उठाई। प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने प्रथम आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम से देश की आज़ादी तक मध्य भारत के आदिवासियों के संघर्ष की गाथा को समेटा है।



उपरोक्त तीनों पुस्तकों के ई-वर्जन उपलब्ध हैं।

अधिक जानकारी के लिए प्रकाशन विभाग की वेबसाइट : www.publicationsdivision.nic.in पर लॉग इन करें।



अखिल मूर्ति के निर्देशन में

पढ़िये देश की सर्वश्रेष्ठ टीम से



श्री अखिल मूर्ति
इतिहास
कला एवं संस्कृति



श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)
एथिक्स



श्री ए.के. अरुण
भारतीय अर्थव्यवस्था



श्री सीबीपी श्रीवास्तव
(DISCOVERY IAS)
राजव्यवस्था, सामाजिक न्याय
गवर्नेंस, आंतरिक सुरक्षा



श्री कुमार गौरव
भूगोल, पर्यावरण
आपदा प्रबंधन



श्री राजेश मिश्रा
भारतीय राजव्यवस्था
अंतर्राष्ट्रीय संबंध



श्री रीतेश आर जायसवाल
सामान्य विज्ञान
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी



श्री विकास रंजन
(TRIUMPH IAS)
सामाजिक मुद्दे

सामान्य अध्ययन

फाउंडेशन कोर्स (प्रिलिम्स+मेन्स)

वैकल्पिक विषय

सीसैट

इतिहास

द्वारा - श्री अखिल मूर्ति

दर्शन शास्त्र

द्वारा - श्री अमित कुमार सिंह
(IGNITED MINDS)

कुल कक्षाएँ

120+

नियमित रिवीजन

भूगोल

द्वारा - श्री कुमार गौरव

राजनीति विज्ञान

द्वारा - श्री राजेश मिश्रा

उपलब्ध लाइव कोर्स

सामान्य अध्ययन
फाउंडेशन कोर्स
(प्रिलिम्स+मेन्स)

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - श्री कुमार गौरव

सीसैट

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - श्री अखिल मूर्ति

प्रेनाइटिव कोर्स

सामान्य अध्ययन
प्रिलिम्स कोर्स

GS (PT & Mains)
Ques-Ans. Discussion Course

वैकल्पिक विषय
भूगोल
द्वारा - श्री कुमार गौरव

वैकल्पिक विषय
इतिहास
द्वारा - श्री अखिल मूर्ति

हेड ऑफिस

636, भू-तल,
मुखर्जी नगर, दिल्ली-09

9555-124-124

प्रयागराज केंद्र

7/3/AA/1, ताशकंद मार्ग,
पत्रिका चौराहा, प्रयागराज, उ.प्र.



प्रकाशक व मुद्रक : मोनीदीपा मुखर्जी, महानिदेशक, प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा
 प्रकाशन विभाग के लिए विबा प्रेस, सी-66/3, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस-2, नई दिल्ली-110020 द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशन
 विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक : कुलश्रेष्ठ कमल